

C O N T E N T S

**Sixteenth Series, Vol.VI, Third Session, 2014/1936 (Saka)
No.11, Monday, December 8, 2014/Agrahayana 17, 1936 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
WELCOME TO PARLIAMENTARY DELEGATION FROM ROMANIA	2
REFERENCE BY THE SPEAKER Reported loss of lives of eight Army personnel, three policemen and two civilians in four serial terrorist attacks in Jammu and Kashmir on 05 December, 2014	3
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS *Starred Question No.201 to 205	9-48
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS Starred Question Nos.206 to 220 Unstarred Question Nos.2301 to 2530	49-125 126-567

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 568-573

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

8th Report 574

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 34th Report of the Standing Committee on Social Justice on Demands for Grants (2013-14), pertaining to the Ministry of Tribal Affairs

Shri Jual Oram 575

(ii) Incident of sexual assault of a woman by a cab driver in Delhi on 5/6.12.2014

Shri Rajnath Singh 591-592

CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 147 DATED 24TH NOVEMBER, 2014, REGARDING AMENDMENTS TO LABOUR LAWS ALONGWITH REASONS FOR DELAY

Shri Bandaru Dattatreya 576-590

SUBMISSIONS BY MEMBERS

(i) Re : Alleged attack on churches in Delhi and other parts of the country 594-597

(ii) Re : Inhuman treatment towards the martyrs of Chhatishgarh Naxal Attack 723-724

MATTERS UNDER RULE 377 618-631

(i) Need to provide land lying unutilized with Forests and Railway Departments to landless labourers for farming.

Shri Kaushal Kishore 618

(ii) Need to provide adequate passenger facilities at Darbhanga railway station in Bihar and also beef up security system at the station.

Shri Kirti Azad 619

- (iii) Need to provide the minimum pension of Rs. 1,000/- to all the eligible EPF pensioners
Shri Ramdas C. Tadas 619
- (iv) Need to ensure social security of employees working in news channels rendered jobless or facing the threat of retrenchment in the country
Shri Prahlad Singh Patel 620
- (v) Need to ensure proper operation of sewage treatment plants in the country
Shri Sharad Tripathi 621
- (vi) Need to shut down slaughter houses in Unnao district, Uttar Pradesh causing pollution of Lon river of the region and posing a serious health hazard to the people of the region
Dr. Swami Sakshiji Maharaj 622
- (vii) Need to undertake doubling of Jhansi-Manikpur and Banda-Kanpur railway lines in Uttar Pradesh and also increase the frequency of trains running on these routes
Shri Bhairon Prasad Mishra 623
- (viii) Need to establish a centre for Cotton Excellence in Gujarat
Dr. Kirit P. Solanki 624
- (ix) Need to take appropriate action regarding dumping of uniform and shoes of jawans of CRPF in a garbage pile martyred in naxal attack in Sukma District of Chhattisgarh
Shri Tamradhwaj Sahu 625

(x)	Need to construct an alternative approach road to Namakkal Railway Station in Tamil Nadu and augment train services in Namakkal Parliamentary Constituency	Shri P.R. Sundaram	626
(xi)	Need to construct a flyover or subway at level crossings at Krishnanagar and Bethuadahari in Nadia in Krishnanagar Parliamentary Constituency, West Bengal	Shri Tapas Paul	627
(xii)	Need to construct a flyover between Khandagiri Square-Kolathia Chhak in Bhubaneswar, Odisha	Shri Prasanna Kumar Patasani	628
(xiii)	Need to develop mega tourist circuits in Telangana	Shri B. Vinod Kumar	629
(xiv)	Need to increase the honorarium of teachers and helpers engaged in Child Welfare Scheme	Shri P. Karunakaran	630
(xv)	Need to take stringent action against quacks and doctors indulging in unethical medical practices in the country.	Shri Rajesh Ranjan	631
	REPEALING AND AMENDING (SECOND) BILL, 2014		632-651
	Shri M. Veerappa Moily		632-635
	Shri Kalyan Banerjee		636-641
	Shri Dushyant Chautala		643
	Shri Rajesh Ranjan		644

Dr. A. Sampath	645-646
Shri D.V. Sadananda Gowda	647-648
Clauses 2 to 4 and 1	649-650
Motion to Pass	651
DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS – (GENERAL), 2014-15	652
PAYMENT AND SETTLEMENT SYSTEMS (AMENDMENT) BILL, 2014	652
DISCUSSION UNDER RULE 193	654-722
Natural calamities in various parts of the country	
Shri Keshav Prasad Maurya	654-656
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	657-659
Shri Kirti Azad	660-666
Shrimati P.K. Sreemathi Teacher	667-669
Dr. Ratna De (Nag)	670-672
Shrimati Kothapalli Geetha	673-674
Shrimati Santosh Ahlawat	675-676
Shri Gaurav Gogoi	677-678
Shri Rajesh Ranjan	679-681
Shri Dharmendra Yadav	682-683
Shri Dharam Vira Gandhi	684-685
Shri Nana Patole	686-687
Dr. Arun Kumar	688
Shri E.T. Mohammad Basheer	689-691
Dr. Mahendra Nath Pandey	692-694
Shri Kaushalendra Kumar	695-696
Shrimati Kavitha Kalvakuntla	697-699

Adv. Joice George	700-701
Shri Daddan Mishra	702-703
Shri Ashok Shankarrao Chavan	704-705
Shrimati Krishna Raj	706-707
Shri Kiren Rijju	708-719

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	725
Member-wise Index to Unstarred Questions	726-731

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	732
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	733

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Prof. K.V. Thomas

Shri Anandrao Adsul

Shri Prahlad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday, December 8, 2014/Agrahayana 17, 1936 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

**WELCOME TO PARLIAMENTARY DELEGATION
FROM ROMANIA**

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have to make an announcement.

On my own behalf and on behalf of the hon. Members of the House, I have great pleasure in welcoming His Excellency Mr. Valeriu Stefan Zgonea, President of the Chamber of Deputies of the Parliament of Romania and the members of the Romanian Parliamentary Delegation who are on a visit to India as our honoured guests.

They arrived in India on Saturday, 6th December, 2014, and have visited Fatehpur Sikri and Agra. They are now seated in the Special Box. We wish them a happy and fruitful stay in our country. India has had very good relations with Romania. Through them we convey our greetings and best wishes to the Parliament, the Government and the friendly people of Romania.

11.03 hrs.

REFERENCE BY THE SPEAKER

Reported loss of lives of eight Army personnel, three policemen and two civilians in four serial terrorist attacks in Jammu and Kashmir on 05 December, 2014

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, 5 दिसंबर, 2014 को जम्मू-कश्मीर में चार शृंखलाबद्ध आतंकी हमलों में आठ सेना कर्मी, तीन पुलिसकर्मी तथा दो नागरिकों के मारे जाने की सूचना मिली है।

सभा इन कायरतापूर्ण हमलों, जिनके कारण शोक संतप्त परिवारों तथा चोटग्रस्त व्यक्तियों को व्यथा तथा परेशानियाँ झेलनी पड़ी हैं, के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है।

सभा अब दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी।

11.04 hrs.

The Members then stood in silence for short while.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam Speaker, I am sorry. I do not want to interrupt the business of the House but I would just like to bring one thing to your kind notice. जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर शुक्रवार के दिन हाजिर थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट साध्वी ज्योति जी के बारे में दिया था। उस वक्त हमने यह सोचा कि चन्द क्लेरिफिकेशन प्राइम मिनिस्टर से पूछें और जो हादसा या जो स्टेटमेंट्स हर जगह हो रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है। सारी पार्टियों के नेताओं का कहना और जो सारे मॅबर्स इधर हैं, उनका यही कहना है कि हम सभी को मिलकर ऐसे स्टेटमेंट्स को कॅडेम्न करना चाहिए। यह अच्छा नहीं है। यह बात हम प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में लाना चाहते थे। शायद प्राइम मिनिस्टर भी फिर एक बार उस पर अपना रिएक्शन देते। लेकिन मैं जब बात कह रहा था, उसी वक्त माइक्रोफोन स्विच ऑफ हो गया। मैंने जब प्रोसीडिंगज़ निकालकर भी देखा तो उसमें इंटरप्शंस, इंटरप्शंस लिखा है। जो बात मैंने यहां कही है, वह बात उसमें आई नहीं है और माइक्रोफोन भी स्विच ऑफ हो गया। ऐसा होना ठीक नहीं है। वह कैसे हुआ, क्यों हुआ? ... (व्यवधान) हमको भी अच्छा नहीं लगा और हम आपको बार-बार इसके बारे में कहना भी नहीं चाहते हैं। आप तो हमारी संरक्षक हैं। आपको इसके बारे में बार-बार कहना और सदन में इंटरप्शन करना हमारी इच्छा नहीं है। हमारी सिर्फ इतनी ही उम्मीदें थीं कि प्राइम मिनिस्टर इसके बारे में बोलेंगे और सारी तरफ जो एक माहौल फैल रहा है, इस माहौल को रोकने के लिए वे कदम उठाएँगे, यही हमें आपके नोटिस में, सदन के नोटिस में और देश की जनता के नोटिस में लाना था। लेकिन बदकिस्मती से एक तरफ माइक भी ऑफ हुआ और टेलिविज़न पर भी मैं देख रहा था, क्योंकि हाउस में जो कुछ चलता है, वह हमेशा आप दिखाते हैं। लेकिन टेलिविज़न पर भी वह बात नहीं आई, वह भी ऑफ हो गया था। इसलिए, आइंदा ऐसी चीज़ें नहीं होने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ क्योंकि इस सदन के सभी सदस्य बराबर हैं और सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, चाहे मैं हूँ या दूसरी पार्टी के नेता हों। क्योंकि हम कहते हैं कि उनको जो कहना है, वे कह देते हैं, इसमें हमारी आपत्ति नहीं है लेकिन आइंदा ऐसा न हो, इसके लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। यह कहते हुए मैं कहूँगा कि हाउस को चलने देने से रोकने के लिए हम यहाँ पर नहीं हैं। हम हाउस को चलाएँगे, ठीक ढंग से चलाएँगे और लोकतंत्र के उसूल के तहत चलाएँगे, यही हमारी आशा है।

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam Speaker, I am thankful to Khargeji as he said that he wants the House to run smoothly and effectively. I am happy about it. मेरा कहना इतना ही है कि जो रिकार्ड मैंने देखा, उसमें खड़गे जी ने जो बोला, वह रिकार्ड पर आया। प्रधान मंत्री जी ने जो बोला, वह रिकार्ड पर आया। बाद में जो इंटरप्शन हुआ, वह रिकार्ड पर नहीं आया। This is the factual position....

(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, अब उसी पर बात नहीं करें। आप भी सुनिये।

...(व्यवधान)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: When you say something, you must be ready to hear also. विपक्ष ने जो मांगा कि प्रधान मंत्री जी सदन में आएँ और वक्तव्य दें, तो प्रधान मंत्री जी सदन में आएँ और वक्तव्य दिया। That is the end of the matter.

Madam, I would request you to please proceed with the Question Hour, now. There are other important issues also on which the hon. Members have given notice. That also, we would take up during the course of the day.

माननीय अध्यक्ष : माननीय खड़गे जी, आपकी बात हमने सुनी है। मैं धन्यवाद भी देती हूँ कि अब आप सदन चलाने में सहयोग कर रहे हैं। मैं चाहूँगी, लेकिन बात इतनी सी होती है कि स्पीकर जिसको अलाऊ करती है, उसी का माइक चलता रहता है। लेकिन यह बात सही है कि मैं आज चाहूँगी कि आगे सभी लोग एक दूसरे को कोआपरेट करते हुए हाउस को चलाएँ, देश के लिए महत्वपूर्ण बातों पर ठीक चर्चा करें। अब इसी बात पर कितने घंटे चर्चा दे दूँ, यह पहले बता दें if you want to.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब आप बाद में बोलें। एक बात उन्होंने कही है। हर कोई इस बात पर नहीं बोलेगा। मैंने आप सबकी बात सुन ली है।

...(व्यवधान)

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Madam, our points also should be heard... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: Now, Question Hour.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़ बैठ जाइए। आप सभी बैठ जाइए। यह नहीं होगा। फिर मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगी।

... (*व्यवधान*)

HON. SPEAKER: Yes, Mr. Venugopal.

... (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, I would like to invite the attention of this House to a shocking incident of inhuman behaviour towards the CRPF martyrs, those who had been killed in the Maoist attack in Chhattisgarh.

SHRI M. VENKAI AH NAIDU: After the Question Hour, he can raise this issue.

SHRI K.C. VENUGOPAL : No, I have already given a notice for Adjournment Motion for suspension of the Question Hour. Madam Speaker has already allowed it.

In a shocking incident, the uniforms and shoes of the slain CRPF personnel, who were killed in a recent Naxalite attack in Chhattisgarh, were found in a trash bin near Dr. B.R. Ambedkar Hospital on Wednesday. What a shameful incident?

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No, not more than that. Only two sentences are all right.

SHRI K.C. VENUGOPAL : Madam, I have one more thing.

HON. SPEAKER: I am sorry.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No, you have made it, please.

... (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL : What is the attitude of the Government towards these things?... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received notices.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Venugopal Ji, this is not the way. फिर यही होता है, फिर माइक बंद हो गया आपका। I am sorry.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I have received notices of Adjournment Motion from Shri Rajesh Ranjan and Shri K.C. Venugopal. The matters, though important enough, do not warrant interruption of business of the day. The matters can be raised through other opportunities. I have, therefore, disallowed all the notices of Adjournment Motion.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : यह क्या होता है? No, I am sorry. You have raised the issue.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am sorry. मैंने आपको बोलने का मौका दे दिया है लेकिन दस मिनट बोलने का मौका नहीं दिया है। I am sorry.

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप फिर भले ज़ीरो आवर में बोलें, लेकिन अभी नहीं।

11.12 hrs.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER : Now, Question Hour. Q. 201—Dr. Virendra Kumar.

(Interruptions) ...

(Q.201)

डॉ. वीरेन्द्र कुमार : आदरणीय अध्यक्ष महोदया, माननीय नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश बुलेट ट्रेन की ओर कदम बढ़ा रहा है। माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर के भाग ग में कहा है - “सेल ने रेलवे के साथ एक संयुक्त उद्यम के आधार पर कोच निर्माण यूनिट की स्थापना करने के लिए अप्रैल, 2013 में एक प्रस्ताव भारतीय रेलवे को प्रस्तुत किया था।”

HON. SPEAKER: Nothing will go on record. Only Question Hour proceedings will go on record.

*(Interruptions) ...**

डॉ. वीरेन्द्र कुमार : मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण रेलवे के इंजीनियरों एवं तकनीकी विशेषज्ञों के संयुक्त प्रयासों से विश्वसनीय आधुनिकतम एवं गुणवत्ता के अनुरूप आधुनिक सुविधाओं से लैस कोचों का निर्माण करने की दिशा में कोई कदम बढ़ाएगा, जिन कोचों में रेल यात्रियों को जापान एवं आस्ट्रेलिया की कोचों के समान सुखद अहसास हो सके?
...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : माननीय अध्यक्ष महोदया, सेल ने 2013 में रेलवे को रेलवे कोच निर्माण की दृष्टि से एक प्रस्ताव दिया था और सेल की इच्छा थी कि रेलवे के साथ मिलकर कोच निर्माण करे। लेकिन उससे पहले ही रेलवे डिपार्टमेंट ने एक निर्णय किया और निर्णय में इस प्रकार का कोच निर्माण का कारखाना डालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बोली स्पर्द्धा में प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, फिर वही बात हो रही है। जब आप बोलेंगे, मैं मिनिस्टर को नहीं कहूँगी। वे रिप्लाई दे देंगे। आपको उचित समय पर मैं अलाउ करूँगी। फिर अगर उनको जवाब देना होगा तो देंगे, लेकिन हर समय शुरूआत में नहीं होगा। मैं अलाउ नहीं करूँगी।

...(व्यवधान)

* Not recorded.

HON. SPEAKER: No, that is after the Question Hour.

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : सेल के पास चूँकि रेलवे कोच की टैक्नोलॉजी नहीं थी, बोली स्पेडार्ड में मानदंड रखे गए थे। उन मानदंडों में जो टैक्नोलॉजी कोच बनाने के लिए सेल से मांगी गई थी, वह सेल के पास उपलब्ध नहीं थी। इसलिए निविदा में सेल ने पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन यदि रेलवे की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा कि सेल उनके साथ कोच बनाने के लिए काम करे और वे टैक्नोलॉजी देने को तैयार होंगे तो निश्चित रूप से सेल इस पर विचार करेगा। ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: If he wants, then it is after the Question Hour. It is not now.

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : अध्यक्ष महोदया, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड देश का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक उपक्रम है जो न केवल भारतीय रेलवे परियोजनाओं के विकास के सामान की आपूर्ति करता है ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वीरेन्द्र जी, एक मिनट।

देखिए, यह तरीका नहीं है। आपको मैंने मौका दिया था मगर एडजर्नमेंट नोटिस ग्राह्य नहीं किया है। यदि आप चिल्लाकर कुछ मजबूरी करें, प्लीज़, ऐसा मत होने दें। मैं आपको रिक्वैस्ट कर रही हूँ। वह भी ऐसा होता नहीं है। शून्य काल में आपको फिर से मामला उठाने का मौका दूँगी। मंत्री चाहें तो उत्तर दे सकते हैं, मैं उनको मजबूर नहीं कर सकती। No, I will not, और हर कोई चिल्लाकर सदन नहीं चलाए।

... (व्यवधान)

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : महोदया, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड देश का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक उपक्रम है, जो न केवल भारतीय रेल परियोजनाओं के विकास हेतु इस्पात की आपूर्ति करता है, बल्कि दूसरे देशों में भी रेल नेटवर्क के विकास के लिए इस्पात की आपूर्ति करता है।... (व्यवधान) जैसा कि सेल ने तेहरान के साथ रेल नेटवर्क के विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपयों का अनुबंध किया है।... (व्यवधान)

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि देश में रेलवे को विश्व स्तरीय बनाने के लिए आवश्यक इस्पात की शत-प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित कराने में विदेशों को दिए जाने वाले इस्पात से हमारे देश की उपलब्धता प्रभावित तो नहीं होगी तथा सेल की रेल के साथ आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण की क्या कोई योजना है?... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : अध्यक्ष जी, सेल का रेलवे के साथ अनुबंध रेल की पटरियां सप्लाई करने का है। इसमें हमारी वचनबद्धता है कि रेलवे जितनी पटरियां मांगेगा, सौ प्रतिशत उतनी पटरियां की सप्लाई की जाएगी।... (व्यवधान) इसके अतिरिक्त सेल दूसरे देशों में भी अतिरिक्त रेल पटरियों की सप्लाई करता है परंतु उस सप्लाई से रेलवे की आपूर्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।... (व्यवधान)

सेल के आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण की योजना निश्चित रूप से अभी प्रचलित है और इसमें सेल ने 61,870 करोड़ रुपए का काम प्रारम्भ किया है, जिसमें से 56661 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है।... (व्यवधान) सेल के आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण प्रक्रिया में निश्चित रूप से विलम्ब हुआ था, लेकिन नई सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री जी के मजबूत संकल्प के कारण छह महीने में जो मोनिटरिंग हुई, उसके कारण अब यह प्रक्रिया काफी हद तक पूरी होने की स्थिति में आ गई है।... (व्यवधान) बर्नपुर, राउरकेला स्टील प्लांट में विस्तार और आधुनिकीकरण का काम इस महीने पूरा हो जाएगा और हम पूरी क्षमता के साथ उसमें काम करना शुरू कर देंगे। बोकारो स्टील प्लांट का आधुनिकीकरण का काम पूरा हो गया है। वहां ट्रायल चल रहा है। दुर्गापुर स्टील प्लांट और भिलाई स्टील प्लांट मार्च 2015 और सितम्बर 2015 में पूरे हो जाएंगे।... (व्यवधान) आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण का काम पूरा होने के बाद निश्चित रूप से इस्पात बेचने योग्य हमारी क्षमता, जो वर्तमान में 11.1 मिलियन टन है, वह बढ़ कर 20.23 मिलियन टन हो जाएगी।... (व्यवधान)

SHRI KADIYAM SRIHARI (WARANGAL): Madam Speaker, thank you very much. As per the Andhra Pradesh Re-organisation Act, 2014, two States, namely, Telangana and Andhra Pradesh came into existence from June 2, 2004. At the time of bifurcation of the united Andhra Pradesh State, the Government of India had made several provisions for the overall development of Telangana and Andhra Pradesh States.

Keeping in view the backwardness of Telangana region, the Government of India made a provision in the Act that Steel Authority of India Limited shall examine, within six months from the appointed day, the feasibility of establishing an integrated steel plant in Khammam district of the successor State of Telangana.

I want to know from the hon. Minister whether the Steel Authority of India Limited has made any feasibility studies on establishment of an integrated steel plant in Khammam district. If so, please provide the details thereof.

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : अध्यक्ष जी, जब आंध्रप्रदेश और तेलंगाना का बंटवारा हो रहा था, उस समय बातचीत के दौरान यह बात हाउस के सामने आई थी और यह कहा गया था कि यहां स्टील प्लांट की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा। यह काम सेल के जिम्मे किया गया था और निश्चित रूप से इस पर कार्यवाही प्रारंभ हो गई है। इसकी संभावनाएं पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे ही पूरी रिपोर्ट आएगी, आपकी जानकारी में लाया जाएगा।

DR. SHASHI THAROOR : Thank you, Madam Speaker. It is intriguing to listen to the Minister and see the statement that he has laid on the Table of the House. Mr. Minister, are you aware of the increasing world-wide trend in Railway development in moving away from steel towards composite plastics, which are very much friendlier to the environment? Even the Indian Railways has initiated the process of laying composite sleepers in more than 10 Railway Zones of the country.

In that sense, the projections of the Minister and the statements that he is making have nothing to do with the pending reality of diminishing use of steel in the Indian Railways. I am very curious as to whether the Minister is aware of this new technology of composite sleepers. Does he have any view on what this portends for the future use of steel for rail tracks, particularly, given the environmental hazards involved in manufacturing steel *versus* recycling plastic? Thank you, Madam.

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : माननीय सदस्य ने जो कहा है, निश्चित रूप से वह मेरे संज्ञान में आया है। लेकिन, उसके बारे में पूरी जानकारी मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है। मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा।

प्रो. सौगत राय : मैडम, पश्चिम बंगाल के बर्द्धमान जिले के कुल्टी में इस्को का एक प्लांट है, जो मॉडर्नाइज किया जा रहा है। जब ममता बनर्जी जी रेल मंत्री थीं, उस समय स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के साथ रेलवे बोर्ड का एक एग्रीमेंट हुआ था कि कुल्टी में रेलवे वैगन्स और रेलवे पाटर्स बनेंगे in joint

collaboration between SAIL and Railway authority. इसके बारे में कितनी प्रगति हुई है? क्या माननीय मंत्री इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं?

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : माननीय सदस्य जो बात पूछ रहे हैं, यह बात सही है कि उस समय यह समझौता हुआ था। लेकिन, वह समझौता इसकी संभावनाएं पता लगाने के लिए हुआ था। संभावनाएं पता लगाने की प्रक्रिया जारी है। जैसे ही वह पूरी होगी, अगर वहां वायबिलिटी होगी तो वह काम आगे बढ़ेगा।... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : इसके तीन साल हो गए हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : जो पुराने काम नहीं हुए हैं, उनको हम गति देने का प्रयास कर रहे हैं।... (व्यवधान)
जैसे ही संभावनाओं का पता चलेगा, हम आपको बताएंगे।... (व्यवधान)

(Q. 202)

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI : My additional Question to the hon. Minister is that there is some very deep knowledge, which exists with the tribals of India. A few years ago, *Arogya pacha* was a medicine, which was brought in by tropical botanical garden. Similarly, several such medicinal and forest knowledge exists. Is there a plan of the Government to store that knowledge, digitize it or utilize it for future generations?

श्री जुएल ओराम : महोदया, इसके बारे में अभी मेरे पास तथ्य नहीं हैं। मैं माननीय सदस्या को यह दे दूंगा।

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI : Earlier, there was a policy of the Government to have Tribal Development Index on the lines of Human Development Index because most of these tribes are either dependent on shifting cultivation or forest produce or some landless labour activity. Under those circumstances, is there a new plan or some such methodology of indicators to see the development amongst tribes of India, particularly, the vulnerable sections?

श्री जुएल ओराम : महोदया, बाकी लोगों के डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के साथ ट्राइबल का अलग-से प्लानिंग कमीशन आकलन करता है। उसमें जितना भी गैप होता है, उसको फिल-अप करने के लिए, उसको इम्पूव करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं।...(व्यवधान)

सॉरी, इसे रजिस्ट्रार जनरल और सेन्सस कमिश्नर अलग से सेन्सस करते हैं।...(व्यवधान) Yes, I stand corrected. सेन्सस कमिशन इसे करता है और वह हमें देता है। हम उसके आधार पर आगे काम करते हैं।

SHRI P. KARUNAKARAN: Madam, a lot of information has been given in the answer placed by the hon. Minister with regard to the States, but at the same time there are a number of instances where young children are dying due to malnutrition.

There is also tribal population in Attappadi in Kerala where 13 young children have died, and one of our MPs who is also the local MP, namely, Shri M.

B. Rajesh, was on hunger strike for five days. Thereafter, the Kerala Government had intervened and agreed that some measures should be taken.

It is unfortunate and sad that in the written answer to the question, he has stated that the deaths were not due to malnutrition and there was nothing wrong there. Has the Government realised that there are such instances? Irrespective of one or the other State, malnutrition is one of the major issues. In the answer itself, you have stated that the rate of infant mortality is 62 per cent, while the total comes to about 57 per cent. This is a very, very serious issue in the tribal areas. Even the State Government has agreed that something should be done in this respect.

Will the Central Government take up this matter with the State Government so as to identify such areas where a special plan of action needs to be implemented to deal with these issues?

श्री जुएल ओराम : महोदया, शिशु मृत्यु के बहुत सारे कारण हैं, उसमें से मॉल न्यूट्रिशन भी एक कारण है। मॉल न्यूट्रिशन जहाँ-जहाँ रिपोर्टेड होता है, वहाँ पर भारत सरकार की ओर से स्पेशल प्रोविजन हम उनको देते हैं। लेकिन उसमें क्या चाहिए, यह राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है? केरल के 13 बच्चों के मर जाने की जो रिपोर्ट हमने माँगी थी, उस प्रदेश की सरकार ने यह मॉल न्यूट्रिशन की डेथ नहीं है, कहकर इसे मना किया है। हम राज्य सरकार को बाध्य कैसे करेंगे, तो जो वहाँ से उत्तर आया है, उसे हमने रखा है।

SHRI P. KARUNAKARAN : That is really wrong. The deaths occurred due to malnutrition.

HON. SPEAKER: Karunakaran Ji, the hon. Minister has already given the reply.

SHRI K. ASHOK KUMAR : Madam, one of the Vulnerable Tribal Groups called 'Irular' community is living in many tribal areas of my constituency, Krishnagiri, in Tamil Nadu.

The Union Government is implementing various schemes for their welfare and development. In 2003, under IAY, the Union Government has sanctioned funds for the construction of 510 houses for the 'Irular' community at a cost of Rs.

30,000 each and handed over to them for their habitation. Now, those houses are in a very dangerous condition. During the rainy season, water leaks through the roofs and these houses have become unfit for living. Now, the Union Government has sanctioned Rs. 30,000 each for the construction of only 50 houses. I would like to know from the hon. Minister whether there is any proposal to sanction funds for repairing the remaining 460 damaged houses.

श्री जुएल ओराम : महोदया, केरल के पी.वी.टी.जी. में एरला ग्रुप नहीं है। उसमें जो ग्रुप है, वह चोलानाइक्कन है। ... (व्यवधान) मैं उस कम्युनिटी के बारे में डिटेल् में तथ्य माननीय सदस्य को दे दूँगा।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : महोदया, बिहार के बाँका से हम आते हैं, जो आदिवासी जनजातीय क्षेत्र है। जनजाति वर्गों को केन्द्र से जो भी या राज्यों से धनराशि दी जाती है, यह महसूस किया गया है कि उसकी हकमारी होती है और इसमें उदासीनता बरती जाती है, चाहे वह आंगनबाड़ी का मामला हो, छात्रवृत्ति का मामला हो, बिजली का हो, पानी का हो, स्वास्थ्य को हो, शिक्षा का हो, सड़क का मामला हो। यहाँ तक कि आर्सेनिक और फ्लोराइड का जहरीला पानी आदिवासी भाई पीते हैं। वे नदी और कछाड़ का पानी पीते हैं। वे जंगल में रहते हैं। जल-जमीन-जंगल, आदिवासी कहाँ जाएंगे, वे वहाँ के मूल निवासी हैं। उन पर झूठे मुकद्दमे दर्ज किए जाते हैं। उनकी सुरक्षा, संरक्षा और विकास के लिए कौन सी ठोस पहल की जा रही है, ताकि उनकी धनराशि की हकमारी न हो और उनके कार्यों के प्रति सरकार उदासीन न रहे? उनके बारे में ऐसी कौन सी योजना बनाई जा रही है? इस बारे में माननीय मंत्री जी बताएँ।

श्री जुएल ओराम : महोदया, जो अति पिछड़े 75 पी.वी.टी.जी. हैं, यह उसका है।

माननीय अध्यक्ष : यह अति पिछड़े के सन्दर्भ में है।

(Q.203)

श्री धर्मेन्द्र यादव : महोदया, सभा पटल पर रखे हुए उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बेहतर उत्तर देने का प्रयास किया। महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि 23.08.2013 को इसी सदन के पटल पर भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की निष्पादन लेखा रिपोर्ट में भारतीय पुरातन सर्वेक्षण और इससे सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण पदों पर कर्मचारियों की भारी कमी की रिपोर्ट आई थी ? इतने कर्मचारियों की कमी होने के बाद माननीय मंत्री जी संग्रहालय और स्मारकों की सुरक्षा, संरक्षा और रख-रखाव कैसे कर पा रहे हैं? मैं माननीय मंत्री जी से इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ।

डॉ. महेश शर्मा : माननीय सांसद ने जो चिंता व्यक्त की है, वह सच्चाई है कि कुछ म्यूजियम्स के लिए हमें सक्षम कार्यकर्ता नहीं मिल पा रहे हैं, सक्षम कर्मचारी भी नहीं मिल पा रहे हैं और जो कमियां अभी महसूस की गई हैं, उन कमियों को एक पारदर्शिता के माध्यम से कल्चर मंत्रालय की सभी योजनाओं और उनमें पद हैं, उसका एक ग्रंथ समर्थन के माध्यम से, अंग्रेजी वर्जन तैयार हो गया है, हिंदी वर्जन तैयार हो रहा है जिसमें कल्चर मंत्रालय की योजना के तहत सरकार ने जो पारदर्शिता की शुरुआत की है, उपलब्ध है। इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया जारी है और वे शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएंगे। देश में म्यूजियम्स और आर्काइव्स विषय के बहुत-सारे ज्ञाता उपलब्ध नहीं हैं, उनकी उपलब्धता पूरी की जा रही है।

श्री असादुद्दीन ओवैसी : ताजमहल के बारे में आपका क्या ख्याल है?... (व्यवधान) ताजमहल किसका है?

माननीय अध्यक्ष : बीच में कौन बोल रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव : माननीय मंत्री जी, अगर इसकी अहर्ताएं कम हैं तो क्या मानव संसाधन मंत्रालय के साथ बैठ कर उसमें कोई नए कोर्स या नई योजना की तैयारी कर रहे हैं, जिससे उनके लिए योग्य कर्मचारी मिल सकें और यदि यह नहीं कर रहे हैं तो उसे कैसे कर पाएंगे?

जहां तक हमारे दूसरे सप्लिमेंट्री का प्रश्न है तो इलाहाबाद हिन्दुस्तान की आजादी का केन्द्र रहा है। इलाहाबाद केवल आजादी का केन्द्र ही नहीं, बल्कि कई मायनों में महत्वपूर्ण स्थान है। इलाहाबाद संगम नगरी है। इलाहाबाद उत्तर भारत के न्याय का केन्द्र है। माननीय मंत्री जी ने इलाहाबाद के संग्रहालय के बारे में जो कहा, सभी संग्रहालयों की तुलना में इलाहाबाद के केन्द्रीय संग्रहालय को जो अनुदान मिल रहा है, अगर उनकी तुलना करेंगे तो इलाहाबाद संग्रहालय का नम्बर नीचे से दूसरा या तीसरा है। जबकि देश की आजादी में, देश के निर्माण में, हर क्षेत्र में, इलाहाबाद चन्द्रशेखर आजाद का शहादत स्थल है, इलाहाबाद

न्यायपालिका का केन्द्र है, गांधी जी के आंदोलन से लेकर कई आंदोलनों की चर्चा करेंगे तो यह चर्चा लंबी हो जाएगी। मैं उस शहर से भावनात्मक रूप से जुड़ा हूँ। इसलिए माननीय मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि इलाहाबाद के संग्रहालय के लिए आप कोई न कोई विशेष योजना चला कर जो पिछड़ापन है, उसमें जो कमी है, चाहे वह आपके स्तर से रही हो या किसी सरकार के स्तर से रही हो, क्या आप इलाहाबाद संग्रहालय के लिए विशेष पैकेज देने का काम करेंगे? यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। ... (व्यवधान)

डॉ. महेश शर्मा : माननीय सांसद की चिंता है कि ट्रेंड मैन पावर हमारे म्यूजियम्स को उपलब्ध हों जिसके तहत भारत सरकार की तीन स्कीम्स हैं - म्यूजियम ग्रांट स्कीम, कैपेसिटी बिल्डिंग और मैन पावर प्रोफेशनल ट्रेंड करने की स्कीम भारत सरकार ने इसी वर्ष लागू की है। इस स्कीम के फल आएंगे। मैं समझता हूँ कि पिछले 7,80,00,000 रुपए इलाहाबाद म्यूजियम को दिए गए हैं। वर्ष 2012, 2013, और 2014 में दी गई राशि 2,71,00,000 रुपए से बढ़ा कर 7,80,00,000 की गई है। मैं माननीय सदस्य की भावनात्मक विषय को देख कर इलाहाबाद म्यूजियम के विषय में और क्या किया जा सकता है, के बारे में और प्रयास करूंगा।

श्री केशव प्रसाद मौर्य : अध्यक्ष महोदया, मैं उसी लोक सभा क्षेत्र से निर्वाचित हो कर आया हूँ जिस क्षेत्र में इलाहाबाद संग्रहालय है। उस संग्रहालय की दशा निश्चित तौर से खराब है। माननीय सदस्य ने जो विषय उठाए हैं मैं उससे अपने-आपको संबद्ध करते हुए, माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस वर्ष वहां की बहुत-सारी आवश्यकतओं के लिए उसके बजट में कोई तात्कालिक वृद्धि करके देश के महत्वपूर्ण म्यूजिम, चंद्रशेखर आजाद पार्क के परिसर के अंदर है, के लिए अलग से कुछ धन आवंटन करेंगे? प्रयाग चूंकि संगम नगरी है, संगम नगरी के प्रधान देवता वहां के वेणी माधव भगवान हैं। उसके अलावा 12 माधव का वहां जिक्र है, कुछ लुप्त हुए हैं। यह इसी से जुड़ा हुआ विषय है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उसका पता करवाकर, वह संग्रहालय से जुड़ा है, प्रयाग से जुड़ा हुआ है, उस पर भी कार्यवाही करेंगे?

डॉ. महेश शर्मा : अध्यक्ष महोदया, माननीय सांसदों ने इलाहाबाद म्यूजियम के बारे में जो चिन्ता जाहिर की है, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उस विषय में जांच करके उचित कार्यवाही और उपलब्धि के अनुसार फंड्स एलोकेट किए जाएंगे।

SHRI VINCENT H. PALA : Madam Speaker, it is the policy of the Government to protect and maintain museums and archives of national importance in the



country. In the North-East in Shillong, Don Bosco Museum is one of the best museums in Asia. May I know from the hon. Minister as to what financial assistance the Government provides in terms of capacity building to these types of museums? How serious is this Government to promote the tribal culture in these types of museums?

डॉ. महेश शर्मा : अध्यक्ष महोदया, माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपने पिछले दौरों के अनुसार नार्थ-ईस्ट स्टेट्स के लिए विशेष योजना जाहिर की है। माननीय सांसद मेरे संज्ञान में शिलांग के बारे में जो विषय लाए हैं, उस विषय में और जांच करके उपलब्धता का प्रयास किया जाएगा।

DR. PRABHAS KUMAR SINGH: Madam Speaker, I thank you for giving me an opportunity. I want to know from the hon. Minister whether it is a fact that the post of Head of the museum is filled up by bureaucrats. These posts are meant for technical persons. Can it be filled by technically sound persons?

Secondly, a number of museums are there in Odisha. We have a lot of Buddhist Circuits in Odisha. During the last Budget, no funds have been allocated for the safeguard of the Buddhist Circuit.

Another point is that there are serious security lapses in the museums in the whole of the country. A number of sculptures and antiques are stolen due to security lapses. There are no CCTVs, no metal detectors and no armed personnel. Can the hon. Minister say as to how he is going to safeguard those museums?

Another issue is of tourists' interest. Can the research activities, publications, Interpretation Centres be opened in the museums of India? I would like to know this from the hon. Minister.

DR. MAHESH SHARMA: Madam, hon. Member has raised a question about bureaucrats. Bureaucrats like IAS officers are kept only at the level of Culture Ministry. But, in all other Departments, technically sound persons and those specializing in that field are being appointed as Heads of those museums and archives. What the hon. Member has brought to my notice about Odisha, I will get it examined.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Madam Speaker, Sri Padmanabhaswamy Temple in Thiruvananthapuram, to which Madam also visited last month, is a traditional, old and ancient temple. In recent months, big invaluable treasures have been found out from the Temple. It is historically important. It is having big monument value also. There was a plan to construct a museum in order to display the invaluable treasures in the interests of the public. What is the Plan of the Government? I would like to know whether any estimate has been done. It is learnt that even the estimated value of the treasures has not been assessed so far. My specific question to the hon. Minister is this. Is that plan pending before the Government of India? If there is a plan, what are the details of the plan in order to protect it and also to have a display so that the public can also have an access to it?

DR. MAHESH SHARMA: The Government has got a plan to establish at least one museum in every State. I will get this specific question which the hon. Member has brought to my knowledge, examined and I will come back to the hon. Member.

(Q.204)

श्री रामा किशोर सिंह : महोदया, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। यह स्पष्ट है कि सरकार छोटे उद्योग को बढ़ावा देना चाहती है, लेकिन डी.जी.एस एंड डी के द्वारा ग्रीन पॉलिसी लाया गया, जो नीतियां बनाई गई हैं उससे स्पष्ट है कि उससे छोटे उद्योगों को रोकने का, अवरोध करने के कई हथकंडे अपनाए गए, जिसमें बहुत सारी बातें हैं। छोटी कंपनियां एक हजार करोड़ रुपये का टर्न ओवर कहां से लाए, 50 लाख रुपये की बैंक गारंटी, पेमेंट और इंस्पेक्शन जो तरीका है, बिहार का यदि कोई छोटा उत्पादक कन्याकुमारी कोई समान भेजता है तो उसका इंस्पेक्शन और पेमेंट कन्याकुमारी से होगा। हमने देखा है कि एक साल पहले लाया गया उसका परिणाम यह हुआ कि इससे एम.एस.एम.ई की वृद्धि दर में कमी आई है, दो प्रतिशत की कमी आई है। हमारी सरकार से मांग है कि क्या सरकार डी.जी.एस एंड डी ग्रीन पॉलिसी के अंतर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अंतर्गत आरक्षित जो 358 उत्पादों को आरक्षित किया गया है कि रेट कांट्रैक्ट का अधिकार उत्पादों के स्पेसिफिकेशन और निबंधन के बिना बड़े उद्यमियों को दिए गए, उसे समाप्त कर पुनः सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को रेट कांट्रैक्ट का अधिकार प्रदान करने का मंशा रखती है, यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है।

श्री कलराज मिश्र : महोदया, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वह बहुत ही समुचित है। एक खरीद नीति सुनिश्चित की गई, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के विकास की दृष्टि से यह भी तय किया गया कि जितने भी पी.एस.यू हैं और इस प्रकार जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, वे खरीदे गए उत्पादों का कम से कम 20 प्रतिशत प्रक्योर करेंगे। लेकिन वह तीन वर्ष के अंदर जिस तरह की अपेक्षा थी वह पूर्ण नहीं हो सकी। इन्होंने जो कठिनाइयां बताई हैं वह बिल्कुल ठीक है। उसके लिए हमने एक शिकायत प्रकोष्ठ सुनिश्चित किया है, शिकायत प्रकोष्ठ के माध्यम से जो भी शिकायतें आ रही हैं उनके निराकरण के लिए लगातार प्रयत्न हो रहे हैं। डी.जी.एस एंड डी के बारे में जो बताया गया है, यह बात सही है कि उनके साथ भी कई बैठकें हुई हैं, परामर्श समिति के द्वारा उस पर विचार भी किया गया है और विचार करने के पश्चात् किस ढंग से इसका निराकरण किया जा सके, उसके लिए प्रक्रियाएं सुनिश्चित की गईं और उस दिशा में हमारा प्रयत्न है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के जो उत्पाद हैं, जो आरक्षित किए हैं, उसको खरीदने की दृष्टि से ये सार्वजनिक उपक्रम आगे आए।

श्री रामा किशोर सिंह : महोदया, सरकार की छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की मंशा स्पष्ट है लेकिन हम माननीय मंत्री जी जानना चाहते हैं कि एक तरफ सरकार की मंशा है कि हम छोटे उद्योगों को बढ़ावा दें, लोगों को जागरूक करें, उसके लिए सेमिनार का आयोजन किया जाता है, लेकिन कहीं भी विभाग के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया है। मंत्री जी ने पहले पूरक प्रश्न में स्पष्ट किया है कि हम ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में जो भी खामियां हैं, जो भी त्रुटि हैं, उसको दूर करेंगे। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि छोटे उद्योगपतियों को बढ़ावा मिले। दूसरे पूरक प्रश्न का उत्तर भी माननीय मंत्री जी ने पहले पूरक में ही दे दिया है। मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

श्री संतोष कुमार : महोदया, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया है वह भ्रामक और अस्पष्ट है। अतः मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि गत एक वर्ष में और चालू एक वर्ष के दौरान एमएसजीआई एक्ट, 2006 के अंतर्गत डीजीएस एंड डी द्वारा लघु उद्योगों के हित में भुगतान में विलंब की स्थिति में ब्याज सहित भुगतान करने के संबंध में टेंडर में उल्लेख करने और प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी, 2012 के तहत सूक्ष्म और लघु उद्योगों के विकास के लिए आयोजित किए गए जागरूकता अभियान या सेमिनार संबंधित संचालित करने हेतु राज्य-वार ब्योरा क्या है।

श्री कलराज मिश्र : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उस संबंध में मैंने कोई भ्रामक उत्तर न देकर स्पष्ट उत्तर दिया है। जहां तक जागरूकता का सवाल है, उस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे विकास आयुक्त ने स्वयं बॉयर्स के साथ 349 स्थानों पर बैठकें की हैं। हमने निरन्तर, अनेक बैठकें की हैं, जिससे लोगों में जागरूकता पैदा हो। इसके साथ-साथ लोग सार्वजनिक उपक्रम के माध्यम से कठिनाई उत्पन्न कर रहे हैं। वे अपना टर्नओवर ज्यादा दिखा रहे हैं, इस कारण सूक्ष्म और लघु उद्यम के लोग अपना माल नहीं दे पाते। वे अर्निस्ट मनी के लिए बाध्य करते हैं, जो बाध्यकारी नहीं है। इस तरह की कई दिक्कतें हैं। इन परेशानियों को ध्यान में रखते हुए हमने 349 स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाने का प्रयास किया है। वेंडर अवेयरनेस की दृष्टि से भी प्रयास किया है। हम ये सारे कार्य लगातार कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि 1 अप्रैल, 2015 से यह मेनडेटरी हो जायेगा। इन लोगों को करना पड़ेगा, इस तरह का प्रावधान कानून में है। इस दिशा में हमारा प्रयास चल रहा है।

SHRI K.H. MUNIYAPPA : Hon. Speaker Madam, micro, small and medium industries in this country are contributing 40 per cent in manufacturing and also 40 per cent in exports. To protect these industries, UPA Government brought a policy to procure at least 20 per cent of the products manufactured by the micro, small and medium enterprises. Out of this, 20 per cent was to be procured from

industries managed by general category and 4 per cent to be procured from industries managed by SC-ST categories. The Ministry, Departments and PSUs altogether have to procure 20 per cent of products as per the policy of UPA Government. May I know from hon. Minister whether three years of continuous meetings yielded any result with the procurement? What is the exact percentage of procurement as on today vis-a-vis the 20 per cent procurement of products of small scale industries as per the policy? What is the percentage of procurement as on today vis-a-vis the 4 per cent of procurement of products of small scale industries managed by SC-ST categories? Small scale industries are exporting 40 per cent whereas the 80 per cent of investment is exporting 60 per cent, whereas 20 per cent of the investment from the public sector banks is exporting 40 per cent. May I know from the hon. Minister what is exactly the procurement from the Government side?

श्री कलराज मिश्र : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य स्वयं इस मंत्रालय को देखते रहे हैं। इन्होंने ठीक बताया कि यह कानून बना। यह बात सही है कि 20 परसेंट प्रोक्योरमेंट पीएसयूज के लिए होगा और 4 परसेंट एससी और एसटी के लिए होगा। पीएसयूज में एससी और एसटी चिन्हित न होने के कारण उसकी उपेक्षा होती रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार मंत्रालय की तरफ से जोर देने के कारण 32 ऐसे पीएसयूज हैं, जिन्होंने 20 परसेंट प्रोक्योरमेंट पूरा किया है और उनकी 4 परसेंट के बारे में भी कोशिश जारी रही है। एससी और एसटी का 4 परसेंट प्रोक्योरमेंट है, उस दिशा में हमारी तरफ से प्रयत्न चल रहा है। पूर्व मंत्री जी ने बहुत स्वाभाविक चिंता व्यक्त की है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के आंकड़े के अन्तर्गत एससी और एसटी का कोई स्थान नहीं था और न पीएसयूज उस दिशा में सोचती थी और न ही बाकी लोग सोचते थे। हमने इस बात पर जोर दिया है। इसे 32 पीएसयूज ने खरीदा है और 131 पीएसयूज उस दृष्टि से आंकड़े इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा प्रयास है कि वे इसे आगे बढ़ायें।

SHRI P.P. CHAUDHARY: Thank you very much, Madam Speaker, for affording me an opportunity to raise a Supplementary question. The hon. Minister, in response to part (a) of the Question stated that the Ministry has set up a grievance redressal cell in the Office of the Development Commissioner, MSME, which



receives the complaints of micro and small enterprises and also from the industry associations and resolves the issue.

My question is how many complaints have been received, how many have been resolved and the time taken to resolve the disputes.

श्री कलराज मिश्र : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने पूछा है कि कितनी शिकायतें आई हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि 100 से ज्यादा शिकायतें आई हैं। हमारे विभाग ने इसे समाप्त करने की दिशा में प्रयत्न किया है। शिकायतों का निराकरण 15 दिन के अंदर हो जाए, यह हमारी कोशिश रही है। हमने इस दिशा में काम किया है।

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO : Thank you. The contribution of small scale and medium scale industries in the country's economic growth is very important. However, small scale industries are facing major problems like outstanding payment from the Government Departments. Exemption of EMD, security deposit and performance bank guarantee are mandatory. However, the hon. Minister, in his reply said that the mandatory policy was not followed. What steps the Government is taking to safeguard the interests of small scale industries to follow strictly the rules regarding exemptions of EMD? May I also know whether any instruction is given to the Central Government Departments to release payments to small scale industries within 30 days as is stipulated by the Government, which is the standard term of payment? These are very important issues.


श्री कलराज मिश्र : माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2012 में इस कानून को लागू करने का प्रयत्न किया गया है और तीन वर्ष का आब्जर्वेशन था। यह बात सही है कि पीएसयू की तरफ से कठिनाइयां पैदा की गईं, ठीक से प्रोक्योरमेंट नहीं किया गया और मूल्य भी समय से नहीं दिया गया। 1 अप्रैल 2015 से मँडेटरी हो जाएगा और यह सुनिश्चित हो जाएगा। इस अवधि के अंदर ढंग से पीएसयू खरीद सकें, इसके लिए हमने कई प्रकार की व्यवस्था बनाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसके अंतर्गत लगभग सभी पीएसयू और सरकारी विभाग इस दिशा में प्रोक्योर करेंगे।

माननीय सदस्य ने ईएमडी रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी डिपोजिट के बारे में कहा है। यह बात सही है कि अर्नेस्ट मनी के बारे में कानून के अंतर्गत है कि नहीं लिया जाएगा, जबकि वे मांग रहे हैं और टर्न

ओवर ज्यादा दिखा रहे हैं। कई ऐसे पीएसयू हैं जो बिल्कुल ले नहीं रहे हैं। यदि मैं नाम लूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, रेल विभाग नहीं ले रहा है। ये कठिनाइयां हैं। आगे मॅडेटरी होने के पश्चात् कुछ चीजें होंगी जैसे कि कैसे दांडिक प्रावधान हो सकता है, इसके बारे में विचार किया जाएगा।

(Q.205)

श्री ओम बिरला : माननीय अध्यक्ष जी, रेल मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय ने साथ मिलकर पर्यटक रेल चलाई है, माननीय मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें कि क्या इसकी कोई समीक्षा की है? उस समीक्षा में पर्यटकों को कितना आकर्षित कर पाए हैं? वाणिज्य रूप से रेल को कितना नुकसान हुआ है?

श्री सुरेश प्रभु: माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार की नीति रही है कि किसी भी तरह से ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए अलग-अलग उपाय किए जाते हैं, इसमें एक उपाय यह भी है कि रेलवे अपना योगदान दे। हमें इस बात से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है कि भारत ऐसा देश है कि जहां बहुत कम विदेशी टूरिस्ट आते हैं। आपको पता होगा कि एक विदेशी टूरिस्ट आता है तो 10-15 अलग तरह की जॉब का निर्माण होता है। इसलिए जब हम मुनाफा या नुकसान का अनुमान करते हैं तो इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि उसके इकोनॉमिक रिटर्न्स क्या हैं। यदि समाज को, देश को और वहाँ काम करने वाले लोगों को उसमें से कुछ इकोनॉमिक रिटर्न्स मिल रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा। इसलिए टिकट का कलेक्शन कितना होगा, हम इसी बात पर सीमित नहीं रह सकते हैं। मेरे पास अभी इसकी जानकारी नहीं है कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन यदि आप चाहेंगे तो इसकी जानकारी मैं आपको  कर दे दूंगा। मेरी आपसे विनती यह है कि टूरिज्म को बढ़ाने से देश को बहुत लाभ होगा, इसके लिए उसे ओर कदम उठाने की आवश्यकता है। हमारे पास इतने अच्छे-अच्छे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जहाँ पहुंचने के लिए यातायात की सुविधा न होने के कारण लोग नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए हमारा मंत्रालय टूरिज्म डिपार्टमेंट और राज्य टूरिज्म कार्पोरेशन के साथ मिलकर ऐसी नीति बनाने जा रहा है जिससे और ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म को बढ़ावा मिले।

श्री ओम बिरला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सरकार की पॉलिसी सही है कि रेल की सुविधा हो न हो, लेकिन किस तरीके से पर्यटकों को आकर्षित करके उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचा सकें, इतना ही नहीं इस माध्यम से हम विदेशी पर्यटकों को देश की रेल सेवाओं के बारे में भी बता सकते हैं। राजस्थान की जो पैलेस ऑन व्हिल्स रेल सेवा है, यह देश में सबसे पहले चली जिसके माध्यम से देश और विदेश के पर्यटक आए। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि वर्ष 2012 से 2015 तक पाँच रेलगाड़ियाँ तीर्थस्थलों और पर्यटक स्थलों के लिए शुरू करने के लिए कहा है, लेकिन उसमें से राजस्थान के लिए एक भी रेलगाड़ी नहीं है, जबकि राजस्थान पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। कोटा-बूंदी लोक सभा क्षेत्र में बूंदी और कोटा को पर्यटन सर्किट में डेवलप कर सकते हैं। मेरी मंत्री महोदय से मांग है कि पैलेस ऑन व्हिल्स और रॉयल राजस्थान ऑन व्हिल्स, इन दोनों

ट्रेनों का ठहराव बूंदी स्टेशन पर हो, क्योंकि हमारा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा विदेशी पर्यटकों को लाकर हिन्दुस्तान में राजस्थान के पर्यटन सर्किट को ज्यादा से ज्यादा विकसित करना। पर्यटन सर्किट को डेवलप करना है तो नये गंतव्य स्थान पर ट्रेनों का ठहराव होना चाहिए।

श्री सुरेश प्रभु : मैडम, यह बिल्कुल सही है कि वर्ष 1981 से इस प्रकार की पहली ट्रेन राजस्थान जाती है और वहाँ से वापस आती है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो छः-सात मेजर ट्रेन्स हैं, जैसे पैलेस ऑन व्हिल्स राजस्थान जाती है, रॉयल राजस्थान ऑन व्हिल्स राजस्थान जाती है, डेक्कन ओडिशी राजस्थान जाती है, महाराजा एक्सप्रेस राजस्थान जाती है, स्टीम एक्सप्रेस भी राजस्थान जाती है, लेकिन बहुत सारी जो ट्रेनें हैं, वे राजस्थान ही जाती हैं क्योंकि राजस्थान ही हमारे देश के लोगों के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जरूर राजस्थान में ज्यादा ट्रेनें चलनी चाहिए। मैं आपकी मांग को मानने के लिए तैयार हूँ। यदि राजस्थान सरकार चाहेगी कि और ट्रेनें राजस्थान में चलें तो हम जरूर उस पर विचार करेंगे, लेकिन कहाँ ट्रेन रुकनी चाहिए, इस बिन्दु को टूरिज्म डिपार्टमेंट पर ही छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ज्यादा जगहों पर ट्रेन रुकेगी, चूंकि आप अभी पूछ रहे थे कि किस तरह से नुकसान हो रहा है, तो ट्रेनें ज्यादा रुकने से लाभ होता है या नुकसान होता है, इस बात को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

श्री भगवंत मान : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय रेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि सिख धर्म के पाँच तख्त हैं जहाँ पर लाखों की संख्या में हर वर्ष श्रद्धालु दर्शनार्थ जाते हैं। इनमें अमृतसर में तख्त श्री अकालतख्त साहिब हैं, आनंदपुर साहिब में तख्त श्री केशगढ़ साहिब हैं, पटना में तख्त श्री पटना साहिब हैं, तख्त श्री हुजूर साहिब हैं और तख्त श्री दमदमा साहिब हैं। सिर्फ सचखण्ड एक्सप्रेस इन जगहों पर जाती है जिसमें दो-ढाई महीने तक की वेटिंग रहती है। क्या रेल मंत्रालय ऐसा प्रावधान कर सकता है कि धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, इन सभी तख्तों के दर्शन करवाने के लिए पैलेस ऑन व्हिल्स की तर्ज पर एक ऐसी रेलगाड़ी चलायी जाए, जो बहुत ही कामयाब रहेगी और लोगों की धार्मिक भावनाओं का भी सत्कार हो जाएगा। क्या निकट भविष्य में रेल मंत्रालय इस पर विचार कर सकता है?

श्री सुरेश प्रभु : मैं आपसे सहमत हूँ। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि स्पेशल ट्रेन के तहत इस प्रकार की जितनी भी ट्रेनों की मांग है, उसमें यह भी देखना होगा कि कितनी डिमांड है, किस प्रकार से उसकी आपूर्ति की जाएगी, लेकिन यदि हम चाहते हैं, खासकर सिख धर्म के लिए, सिख ही नहीं, जैन धर्म के लिए भी अभी कुछ ट्रेनें शुरू की गयी हैं, मुस्लिम धर्म में अज़मेर जाने के लिए सूफी सर्किट पर भी लोग जा सकते हैं, चार धाम के लिए भी यात्रा का प्रबंध किया जा सकता है, लेकिन मैं आपसे यह विनती कर रहा हूँ कि यदि इस तरह का प्रस्ताव पंजाब सरकार हमारे साथ बैठकर करने को तैयार है तो मैं अभी



आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस तरह की स्पेशल ट्रेन हम जरूर पूरी सिख सर्किट के लिए चलाएंगे। हमारी एक कंपनी है - इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन, आईआरसीटीसी - वह कंपनी जल्दी ही इस तरह की ट्रेन शुरू करेगी। ... (व्यवधान)

SHRI GAURAV GOGOI : Hon. Speaker, Madam, thank you for giving me this opportunity. The recent cases of women being sexually assaulted and molested on the streets and buses and trains of India have shocked the entire nation and the world. With rising number of rapes and sexual assaults it has become difficult for woman tourists to travel single, unaccompanied or in groups on trains in India. I would like to ask the hon. Minister whether there is adequate force to protect female tourists on trains from all forms of harassment. Can the hon. Minister assure the House, the nation and the world that what has happened with the woman who was sexually assaulted in a cab in Delhi will not happen to woman travelling in trains in India?

12.00 hrs.

श्री सुरेश प्रभु: मैडम, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महिला बल, महिला वाहिनी बनाई जा रही है, वह इसे देखेगी। साथ ही, हम ट्रेन में सीसीटीवी लगाकर अगर कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश करे, तो उसे रोकेंगे। खासकर महिलाओं के लिए हम एक एप डेवलप करने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में वह रेडी हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि यदि यह एप जल्दी रेडी हो जाएगा तो वह महिलाओं की सुरक्षा के लिए जरूर काम आएगा।

श्री गणेश सिंह : मैडम, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक निशुल्क तीर्थयात्रा योजना शुरू की है और वे रेलवे की स्पेशल ट्रेन लेकर देशभर में सभी धर्मों के विभिन्न तीर्थस्थलों में लोगों को भेजते हैं। लेकिन जो मध्य प्रदेश के तीर्थस्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, वहां के लिए रेलवे की तरफ से आज तक कोई सुविधा नहीं दी गयी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, विशेष रूप से सतना मेरा लोक सभा क्षेत्र है, जहां चित्रकूट है, मैहर है, कई राष्ट्रीय उद्यान हैं, वहां से मुंबई के लिए एक ट्रेन देने की कृपा करेंगे।

श्री सुरेश प्रभु: हां, जरूर। हम इसके बारे में सोचेंगे।

12.02 hrs.**PAPERS LAID ON THE TABLE**

HON. SPEAKER: Now, papers to be laid on the Table of the House.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री कलराज मिश्र) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(Placed in Library, See No. LT 1018/16/14)

(2) एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (फ्रैगरेंस एण्ड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर), कन्नौज के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (फ्रैगरेंस एण्ड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर), कन्नौज के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 1019/16/14)

(3) एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंटर फॉर दि डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्री), फिरोजाबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंटर फॉर दि डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्री), फिरोजाबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 1020/16/14)

THE MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS (SHRI JUAL ORAM): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Limited, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
- (2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Limited, New Delhi, for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 1021/16/14)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Apprenticeship (Second Amendment) Rules, 2014 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 680(E) in Gazette of India dated 22nd September, 2014 under sub-section (3) of Section 37 of the Apprentices Act, 1961.

(Placed in Library, See No. LT 1022/16/14)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI DHARMENDRA PRADHAN): Madam, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

- (1) (i) Review by the Government of the working of the Oil and Natural Gas Corporation Limited, New Delhi, for the year 2013-2014.

- (ii) Annual Report of the Oil and Natural Gas Corporation Limited, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 1023/16/14)

- (2)
 - (i) Review by the Government of the working of the Oil India Limited, Dibrugarh, for the year 2013-2014.
 - (ii) Annual Report of the Oil India Limited, Dibrugarh, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 1024/16/14)

- (3)
 - (i) Review by the Government of the working of the Balmer Lawrie and Company Limited, Kolkata, for the year 2013-2014.
 - (ii) Annual Report of the Balmer Lawrie and Company Limited, Kolkata, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 1025/16/14)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CULTURE, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TOURISM AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (DR. MAHESH SHARMA):

Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Aero Club of India, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
- (2) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Aero Club of India, New Delhi, for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 1026/16/14)

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (क)(एक) बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।
- (दो) बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(Placed in Library, See No. LT 1027/16/14)

- (ख)(एक) ईस्टर्न इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।
- (दो) ईस्टर्न इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(Placed in Library, See No. LT 1028/16/14)

- (ग)(एक) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

- (दो) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(Placed in Library, See No. LT 1029/16/14)

- (घ)(एक) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

- (दो) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(Placed in Library, See No. LT 1030/16/14)

- (ड.)(एक) मेकॉन लिमिटेड, राँची के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

- (दो) मेकॉन लिमिटेड, राँची का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(Placed in Library, See No. LT 1031/16/14)

- (च)(एक) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की ।

- (दो) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(Placed in Library, See No. LT 1032/16/14)

- (2)(एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रॉक मेकेनिक्स, कोलार गोल्ड फिल्ड्स के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रॉक मेकेनिक्स, कोलार गोल्ड फिल्ड्स के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 1033/16/14)

(3)(एक) जवाहर लाल नेहरू एल्युमीनियम रिसर्च डेवलपमेंट एण्ड डिजाइन सेंटर, नागपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहर लाल नेहरू एल्युमीनियम रिसर्च डेवलपमेंट एण्ड डिजाइन सेंटर, नागपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 1034/16/14)

(4)(एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ, नागपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ, नागपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 1035/16/14)

12.03 hrs.

**BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
8th Report**

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Madam, I beg to present the Eighth Report of the Business Advisory Committee.

12.03 ½ hrs.

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 34th Report of the Standing Committee on Social Justice on Demands for Grants (2013-14), pertaining to the Ministry of Tribal Affairs*

THE MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS (SHRI JUAL ORAM): Madam, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 34th Report of the Standing Committee on Social Justice on Demands for Grants (2013-14), pertaining to the Ministry of Tribal Affairs.

—————

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 1037/16/14.

12.04 hrs.

CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 147 DATED 24TH NOVEMBER, 2014, REGARDING AMENDMENTS TO LABOUR LAWS ALONGWITH REASONS FOR DELAY *

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): Sir, I beg to lay a Statement correcting the reply to Unstarred Question No. 147 given on 24th November, 2014 asked by Sarvashri C.N. Jayadeven, Dharmendra Yadav, Kodikkunnil Suresh, Dileep Singh Bhuria, Shrirang Appa Barne, Adhalrao Patil Shivajirao, Sumedhanand Sarswati and Ram Mohan Naidu Kinjarapu, MPs regarding 'Amendments to Labour Laws'.



* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 1038/16/14.

Revised Reply

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
LOK SABHA**

**UNSTARRED QUESTION NO. 147
TO BE ANSWERED ON 24.11.2014**

AMENDMENTS TO LABOUR LAWS

**147. SHRI C.N. JAYADEVEN:
SHRI DHARMENDRA YADAV:
SHRI KODIKKUNNIL SURESH:
SHRI DILEEP SINGH BHURIA:
SHRI SHRIRANG APPA BARNE:
SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO:
SHRI SUMEDHANAND SARSWATI:
SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU:**

Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

- (a) whether the Union Government and also some State Governments have proposed certain amendments in labour laws;**
- (b) if so, the details of the proposed amendments proposed by the Union and the State Governments separately along with the reasons therefor;**
- (c) the extent to which the proposed changes in the labour laws are likely to reduced hassles for employers and employees;**
- (d) whether the Government has also proposed for self-certification by the employer regarding the safety and security of the employees and of the people in and around the factory; and**
- (e) if so, the details thereof?**

ANSWER

**MINISTER OF STATE (IC) FOR LABOUR AND EMPLOYMENT
(SHRI BANDARU DATTATREYA)**

(a): Yes, Madam.

(b): The details of the amendments proposed by the Union Government are at Annexure-I. The details of amendment proposed by the State Governments and submitted for obtaining the instructions of the Hon'ble President of India are at Annexure-II.

(c) to (e): Review/updation of labour laws is a continuous process in order to bring them in tune with the emerging needs of the economy after tripartite consultations amongst Government, Employers' & Employees' Organizations. While undertaking such changes overall interests of labour like wages, employment, social security, working environment, health and safety etc. are protected keeping in view the requirements of the Indian Industry to make it efficient and internationally competitive. This constitutes an essential part of labour reforms which essentially means taking steps to increase production, productivity and employment opportunities in the economy.

The Ministry of Labour & Employment is also proactively engaged in addressing the issues related to multiplicity of labour laws and the ease of compliance to promote an enabling business environment.

A single unified Web Portal has been developed for Online Registration of units, Reporting of inspections, and submissions of Annual Returns and redressal of grievances. This portal facilitates ease of reporting at one place for various Labour Laws by a single online annual return; consolidate information of Labour Inspection and its enforcement thereby enhancing transparency in Labour Inspection as well as that in monitoring of Labour Inspections.

Annexure-I

Annexure referred to in reply to part (b) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 147 for 24.11.2014 by Shri C.N. Jayadeven, Shri Dharmendra Yadav, Shri Kodikkunnil Suresh, Shri Dileep Singh Bhuria, Shri Shrirang Appa Barne, Shri Adhalrao Patil Shivajirao, Shri Sumedhanand Sarswati and Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu regarding Amendments to Labour Laws.

Amendments proposed to Labour Laws by Union Government**1. The Child Labour (Prohibition & Regulation) Act, 1986**

- Linking the definition of child under this Act to that under the Right to Education Act, 2009,
- complete prohibition on employment of children below 14 years and linking the age of the prohibition with the age under Right to Free and Compulsory Education Act,
- prohibition of working of Adolescents in Mines, Explosives and hazardous occupations set forth in the Factories Act, 1948,
- More strict punishment to the offenders and making the offences under the Act cognizable.

2. The Factories Act, 1948

- The threshold limit for coverage under the Factories Act as defined in Section 2(m), is proposed to be amended to include besides the existing limits of 10 workers (for units with power) and 20 workers (for units without power), units with such number of workers as may be prescribed by the State Government with a cap of 20 workers (for units with power) and 40 workers (for units without power) respectively. This will provide flexibility to the State Governments to amend their State Law as per their requirements.
- Amendment of Section 66 of the Act relating to permission for employment of women for night work for a factory or group or class or description of factories with adequate safeguards for safety and provision of transportation till the doorstep of their residence.

- Amendment of Sections 64 and 65 of the Act to enhance the limit of overtime hours from the present limit of 50 hours per quarter to 100 hours per quarter. The amendment also proposes this limit to be increased to a maximum of 125 hours per quarter in public interest with the approval of State Government. Insertion of provision relating to compounding of certain offences (Section 92 C and new Fourth Schedule) and amendment of Section 92 of the Act enhancing the quantum of penalty for offences.
- The provision of self-certification has been introduced for the purpose of expansion of the factory through amendment in Section 6.
- Provision of empowering the State Government to increase the period of spreadover from 10.5 hours to 12 hours (Section 56) through notification in the Official Gazette.
- Introduction of a new Section 35A on provision of personal protective equipment for workers exposed to various hazards and amendment of Sections 36 and 37 regarding entry into confined spaces and precautions against dangerous fumes, gases etc.
- Provision of canteen facilities in respect of factories employing 200 or more workers instead of the present stipulation of 250 workers (Section 45) and also provision of shelters or restrooms and lunchrooms in respect of factories employing 75 or more workers instead of the present stipulation of 150 workers (Section 47).
- Introduction of new terms like “hazardous substance” and “disability” to existing definitions (Section 2cc. 2ea)
- Prohibition of employment of pregnant women (it was earlier for all women) and persons with disabilities on or near machinery in motion and near cotton openers (Section 22 (2)).
- Reduction in the eligibility criteria for entitlement of annual leave with wages from 240 days to 90 days (Section 79).
- Presently only the State Governments are empowered to make rules under the Factories Act. It is now proposed to empower the Central Government also to make rules under the Act on some of the important provisions.

3. The Mines Act, 1952

- Amend the “long title” so as to provide that “the regulation of conditions of work, health and welfare of persons employed in mines”,

- Substitute the definition of owner so as to make it more comprehensive;
- Define “foreign company” with reference to the Companies Act, 1956;
- Make provisions for appointment of officials in addition to agents of the employer in the mines;
- Increase the penalties provided in sections 63 to 70, sections 72A, 72B, 72C and 73 and also to shift the burden of proof upon the person who is being prosecuted or proceeded against to prove that it was not reasonably practical, o, all practical measures to satisfy the safety requirements; and
- Amend section 76 so as to enlarge the scope to cover the foreign companies and to insert a new section 76 A to provide that the person who has actual ultimate control over the affairs of the mines would continue to be liable for the contravention of the provisions of the Act or of any rule or regulation or by law or order made there under.

4. The Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by Certain Establishments) Act, 1988

- Extending the coverage of the Principal Act from 9 Scheduled Acts to 16 Scheduled Acts as had been proposed in the 2005 Bill,
- Continuing with the existing method of defining establishments as ‘very small’ and ‘small’ with the change that the ‘small’ establishments would now cover the establishments employing between 10 to 40 workers as against the existing provision of 10 to 19 workers,
- The small establishments will be required to maintain two registers as against the existing provision of maintaining three registers,
- Allow maintaining of registers or records in computer, floppy, diskette or on other electronic media and submitting return through e-mail as had been proposed in the 2005 Bill.

5. The Apprentices Act, 1961

In order to make the apprenticeship more responsive to youth and industry, the major proposed changes in the Apprentices Act, 1961 are given below:

- providing for establishments operating in four or more states will be taken into the fold of Directorate General of Employment and Training;
- providing for prescribing number of apprentices to be engaged at establishment level instead of trade wise;

- providing for apprenticeship training to non-engineering graduate and diploma holders;
- providing for employers to undertake new courses (optional trades) which are demand based;
- providing for employers to determine, qualification, period of apprenticeship training, holding of test, grant of certificate and other conditions relating to the apprentice in optional trade;
- providing for simplifying the procedure for registration of contract apprenticeship training;
- providing for exchange of information through a portal-site;
- providing for allowing employers to engage apprentices from other states;
- providing for employers to formulate their own policy for recruiting apprentice;
- the regime for penalties will be in terms of fine only;
- providing for ex post facto rule making powers to facilitate recognition of training started pending notification of new trades under the Act;
- providing for sitting in the examination optional and certification from any competent agency.

Annexure-II

Annexure referred to in reply to part (b) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 147 for 24.11.2014 by Shri C.N. Jayadeven, Shri Dharmendra Yadav, Shri Kodikkunnil Suresh, Shri Dileep Singh Bhuria, Shri Shrirang Appa Barne, Shri Adhalrao Patil Shivajirao, Shri Sumedhanand Sarswati and Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu regarding Amendments to Labour Laws.

1. Amendments proposed by Government of Rajasthan in the Apprentices Act, 1961 [Statement of Objects and Reasons of the Apprentices (Rajasthan Amendment) Bill, 2014]

In the skill sector and for an apprentice; the importance of shop-floor training in an industry, to learn by actually doing the job, cannot be over-emphasized. Since creation of marketable skill is a State priority to make youths of the State more employable; apprenticeship training scheme in Rajasthan under the Apprentices Act, 1961, needs to be effectively implemented. However, number of current provisions in the Act needs to be realigned to bring them in sync with rapidly changing skill sector.

The Apprentices Act, 1961 is a Central Act and received the assent of the President on 12th December, 1961. Subsequently, the Act was amended from time to time. Nonetheless, reasons generally attributed to poor implementation of Apprentice Training Scheme, stem from the inflexibility and incapability of the Act, to cater to the industry as well as to the apprentice in accordance with their felt needs.

The periods of training for various designated trades prescribed by Rules of 1992 under the section 6 of the Act are quite long. Now-a-days, compact modules of shorter durations with desired quality are available. Neither the apprentice nor the industry prefers long periods of training. Moreover, instead of the Union, the State being closely aware of the demands of the sectors should be empowered to carry out the required changes in consultation with industry. Therefore to make State Apprenticeship Council enable to prescribe the periods of training clause (b) of section 6 of the Act is proposed to be substituted.

In case of termination of an apprenticeship contract either by the industry or by the apprentice, State Apprenticeship Council and State Apprenticeship Adviser are being empowered in place of their central counterparts in order to expedite the grievance redressal mechanism. Therefore proviso to sub-section (3) of section 7 of the Act is proposed to be substituted.

Section 8 stipulates the number of apprentices to be trained by an industry in a designated trade, as per a prescribed ratio applicable to the number of permanent employees of the industry in the same trade. If an industry seeks lower number of apprentices in a particular trade, the same can be granted up to fifty per cent, provided the industry carries out adjustments of the rest of the seats in other trades. In order to make these provisions more realistic and conducive for the State to take steps as per the need, the State Apprenticeship Council, is being empowered to work out the ratio. Accordingly amendments are proposed under section 8 to replace the Union by the State. The lowest limit for a trade to qualify for intra-industry readjustment of seats is also being proposed to be reduced from fifty per cent to thirty per cent.

After completion of apprentice training under a designated trade as per prescribed curriculum, National Apprenticeship Council conducts the test and awards National Apprenticeship Certificate to successful candidates. Many industries lack proper working environment and trainer to conduct apprentice training in the campus. In the market today, there are third party professional trainers, capable of providing industry level training as per prescribed curriculum. However, current provisions do not allow third party training. Therefore sub-section (1) of section 9 is proposed to be substituted to allow third party training provider to conduct practical training of apprentices.

There has been persistent demand from the industries to exempt them to bear the recurring costs in connection with basic training imparted to trade apprentices. To encourage the industry to come forward to ensure better implementation of the Act, amendment in clause (a) of sub-section (8) of section 9 is proposed accordingly. Without providing reasonable amount of stipend to defray the basic costs of accommodation, food and transport; it is not possible to attract large number of willing apprentices for apprenticeship training. The present amount of stipends being quite low. Therefore amendment in section 13 is proposed to pay notified minimum wage of unskilled worker category to apprentices.

The purpose of amendment in section 14 is to make the health, safety and welfare standards as prescribed under Rajasthan Shops and Commercial Establishments Act, 1958 applicable to apprentices under the Act. This will ensure

uniformity across the sponsoring industries in the best interest of apprentices. Accordingly section 14 of the Act is proposed to be amended.

Section 23 of the Act provides for mandatory affiliation of State Council and State Apprenticeship Council to their central counterpart. The said provision is proposed for this to be made optional, to ensure more flexibility at State level for expeditious decision making in the apprenticeship training sector. Accordingly section 23 of the Act is proposed to be amended.

2. Amendments proposed by Government of Uttarakhand in the Payment of wages (Uttarakhand Amendment) Bill:

In place of section 6 of the Payment of Wages Act, 1936 (Central Act No.04 of 1936), the following section shall be substituted; namely:-

“6. All wages shall be paid by Banks Cheques or Real Time Gross Settlement or National Electronic Fund Transfer or Electronic Clearing service System or Postal Cheque:

Provided that if the work of the Employed person is of temporary nature or employed person is migrant person and he wants getting cash payment of his earn wage, then after the written permission of the officer not below the rank of Assistant Labour Commissioner posted in the work area of employer may be paid cash payment of wage of the concerning employed person”.

3. Amendments proposed by Government of Punjab in the Payment of Wages (Punjab Amendment) Bill, 2013:

In the Payment of Wages Act, 1936, in its application to the State of Punjab, in section 6, at the end of the existing proviso, for the sign (punctuation)”.” the sign “:” shall be substituted and thereafter, the following proviso shall be added namely:-

“Provided further that the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify the industrial establishments, the employers of which shall pay to the persons employed therein, the wages either by cheque or by crediting the wages in their bank account.”

4. Amendments proposed by Government of Kerala in the Payment of Wages (Kerala Amendment) Ordinance, 2014:

In the Payment of Wages Act, 1936, in section 6, after the existing proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify the industrial establishments, the employers of which shall pay to the persons employed therein, the wages either by cheque or by crediting the wages in their bank account, without obtaining any authorization of the employed person.”

5. Proposal of Government of Madhya Pradesh regarding the Madhya Pradesh Labour Laws (Amendment) and Miscellaneous Provisions Ordinance, 2014

The Objectives of the proposed Ordinance are to amend various Labour Laws as follows:

- (i) Insertion of sub section 3A after sub section (3) of Section 7 of the Building and other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996: for incorporating the deeming provision for registration of establishment after lapse of prescribed period after submission of application complete in all respects for registration.
- (ii) Insertion of sub section (1A) after sub section (1) of section 3 of the Building and other Construction Workers Welfare Cess Act, 1996: for arriving at the rational cost of building construction works by excluding the cost of plant and machinery purchased from outside the installation in a factory and such other costs that can be specified by the government e.g. such costs which are the part of the project cost but should not be included towards the cost of construction such as : Taxes, Bank Interest, Advertisement Expenses, Audit Fees, Legal Fees, Cost of Finance, etc.

Substitution of sub section (1) of section 11 of the Act is to streamline and simplify the procedure for appeal against an order of assessment of cess by assessing officer. At present the assessee, with appeal, has to deposit ordered amount of cess and one percent of the disputed amount as fee. This seems unjust as the amount in dispute has to be deposited in full, therefore, intention of this amendment is to incorporate such provisions in the rules by the state government so that only undisputed cess amount in full and one percent of the disputed amount as fee has to be deposited with appeal.

- (iii) Insertion of a new section 14-A after section 14 in the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 is to incorporate a new provision for recovery of Rupees Twenty Five Thousand from the employer engaging a child labour after summary enquiry for ensuring speedy rehabilitation of released child labour.

- (iv) Insertion of sub section (3) of section 7 and sub section (4) of section 13 of the Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970: to incorporate the deeming provisions for registration of principal employer and license to contractor respectively after lapse of prescribed period after submission of application complete in all respects for registration or license, as the case may be.
- (v) Deletion of sub section (2) and (3) of section 65 and addition of section 65-A in the Factories Act, 1948 are proposed for doing away with prior permission for overtime work, for extending the limit of overtime work and also to include element of consent from workers for taking overtime work and deletion of clause (b) of sub section 66 is to facilitate employment of women during night shifts.

Insertion of sub section 1-A of section 66 of the Act is to make provisions for health & safety of women employees working in night shifts in factories.

Amendment in sub section (1) of section 79 is proposed to enable the workers who have worked for 180 days (in place of present provision of 240 days) in a calendar year, will get benefit of leave with wages in the same calendar year instead of next calendar year.

Amendment in sub section (1) of section 105 is proposed for seeking permission of Labour Commissioner before filing any prosecution in the Court of Law so as to avoid unnecessary harassment of employers & to ensure filing of prosecution after due scrutiny.

- (vi) To propose amendment in sub section (3) of section 2-A of Industrial Disputes Act, 1947 is to fix maximum time limit of 3 years for approaching conciliation officers thus making this time limit in consonance with the time limit prescribed for courts and tribunals to entertain applications in the matters related to discharge, dismissal, termination etc.

Amendment of clause (a) of section 25-F is proposed for amending the notice period to three months from one month before retrenchment of an employee for providing him more time for seeking new job and amendment of clause (b) of section 25-F is to provide for better compensation of at least 3 months average pay to every/ retrenched employee.

Amendment of sub section (1) of section 25-K is proposed to increase the number of employees from 100 to 300 for application of

- Chapter V-B of the Act with respect to permission for lay-off, retrenchment and closure, thus making such procedures simple for small and medium scale establishment and also to promote such units to enroll upto 300 workers on their permanent / regular pay roll instead of keeping the workers as contract labour.
- (vii) Amendment of sub section (3) of section 4 of Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment & Conditions of Service) Act, 1979 is proposed for including deeming provision of registration of an establishment after a period of 30 days after submission of application complete in all respects.
 - (viii) Amendment of sub section (2) of section 3 of the Motor Transport Workers Act, 1961 is proposed for including deeming provision of registration of an establishment after a period of 30 days elapsed after submission of application complete in all respects.
 - (ix) Special provision for exemption to Micro industries, as classified under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 from application of various labour laws, namely:
 - (a) The Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970 (No 37 of 1970);
 - (b) The Factories Act, 1948 (No.63 of 1948). Provided that if the said factory is notified by the State Government under section 85 of the Factories Act, 1948 then all the provisions of the Act shall apply on it;
 - (c) The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment & Conditions of Service) Act, 1979 (No.30 of 1979)
 - (d) The Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by Certain Establishments) Act, 1988 (No.51 of 1988);
 - (e) The Motor Transport Workers Act, 1961 (No.27 of 1961);
 - (f) The Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act, 1976 (No.11 of 1976).
 - (g) The Trade Unions Act, 1926 (No.16 of 1926)

The above exemption of proposed as the Micro and Very Small Industries and establishment face hardship in getting registrations, maintaining multiple records and registers and furnishing annual returns, ensuring formalities and multiplicity of provisions provided under multiple labour laws and thus have to in turn they have to face unnecessary litigations.

Therefore, it is proposed to keep them out from the purview of certain Labour Laws and from the frequent inspections under such Acts. Though it is also being proposed that the State Government, at any time, may withdraw all or any of such exemption, in the interest of workers.

- (x) It is proposed to incorporate the provisions of composition of offences and abatement of trials under various labour laws, namely:
- (a) The Equal Remuneration Act, 1976 (No.25 of 1976)
 - (b) The Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by Certain Establishments) Act, 1988 (No.51 of 1988);
 - (c) The Minimum Wages Act, 1948 (No.11 of 1948);
 - (d) The Payment of Wages Act, 1936 (No.4 of 1936);
 - (e) The Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act, 1976 (No.11 of 1976).

This proposal is for ensuring speedy disposal of cases of such breaches wherein the penalty and imprisonment upto 3 months are provided. It is observed that under the existing provisions in various labour laws, there is no provision for compounding of offences, resulting in higher number of prosecutions cases pending in various courts that also leads to consumption of precious time of government officials and the employers as well. For speedy disposal of offences with penalties and imprisonment up to 3 months only and to minimize the number of litigations, this amendment is being proposed.

An offence punishable with fine only can be compounded after the expiry of two years period from the previous offence. But an offence punishable with imprisonment (upto 3 months) can be compounded only once and that too on depositing ten times of the maximum fine prescribed.

- (xi) It is also proposed to exempt from maintaining multiple registers and submission multiple returns in Labour Laws, namely:-
- (a) The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (No.37 of 1970);
 - (b) The Equal Remuneration Act 1976 (No.25 of 1976)
 - (c) The Factories Act 1948 (No.63 of 1948)
 - (d) The Industrial Disputes Act, 1947 (No.14 of 1947)

- (e) The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (No.30 of 1979)
- (f) The Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by Certain Establishments) Act, 1988 (No.51 of 1988);
- (g) The Maternity Benefit Act, 1961 (No.53 of 1961)
- (h) The Minimum Wages Act, 1948 (No.11 of 1948)
- (i) The Motor Transport Workers Act, 1961 (No.27 of 1961)
- (j) The Payment of Bonus Act, 1965 (No.21 of 1965)
- (k) The Payment of Gratuity Act, 1972 (No.39 of 1972)
- (l) The Payment of Wages Act, 1936 (No.4 of 1936)
- (m) The Sales Promotion Employees (Condition of Service) Act, 1976 (No.11 of 1976)

To prescribe simplified and integrated registers and returns in lieu of those prescribed in above Acts in order to minimize unnecessary harassment to entrepreneurs and commercial establishments and to avoid the multiplicity of information and records.

12.05 hrs.

STATEMENTS BY MINISTERS...Contd.

(ii) Incident of sexual assault of a woman by a cab driver in Delhi on 5/6.12.2014*

HON. SPEAKER: The hon. Home Minister, Shri Rajnath Singh, would like to make a statement regarding an unfortunate incident which occurred in Delhi.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJNATH SINGH): Madam Speaker, I rise to report an extremely unfortunate incident of sexual assault on a young woman in the night intervening 5/6.12.2014.

The Government of India strongly condemns this dastardly act. It will be ensured that all necessary steps are taken to bring the offender to justice.

On 5.12.2014, during later evening hours, a 26 year old woman had hired a taxi through the online cab service 'UBER' at around 10.30 p.m. for going from Vasant Vihar area to Inder Lok in the jurisdiction of Police Station Sarai Rohilla, North District. The woman works in Gurgaon and after her office hours, she had come to Vasant Vihar with some friends.

The woman reported that, while sitting in the taxi, she dozed off for a while and then suddenly realized that the taxi was parked at an isolated place and the driver was trying to molest her on the back seat. She tried to raise an alarm but the driver threatened her of physical injury and then she was sexually assaulted in the car. After committing the crime, the driver dropped her at her home at around 1.00 a.m. and threatened her again not to disclose about the incident to anyone.

As soon as the information was received by the Delhi Police, a case was registered vide FIR No. 1291/14 dated 6.12.14, U/S 376/323/506 IPC at Police Station Sarai Rohilla. Immediately, police teams were formed to identify and locate the culprit. The woman was sent for medical examination and she was also counseled by an NGO volunteer authorized by Delhi Commission for Women.

* Placed in Library, See No. LT 1036/16/14.

Following the clues at hand and through painstaking investigation, the culprit driver was zeroed down as one person from Mathura, owner of the vehicle Swift Desire No. DL-1YD 7910. He has this vehicle registered with Uber Cab Service. The vehicle used in the crime has been found and brought to Delhi where it will be subjected to thorough forensic examination.

The accused has been arrested on 7.12.2014 from Mathura and has been brought to Delhi where he will be produced before court on 8.12.2014, that is, today.

HON. SPEAKER: We shall now take up 'Zero Hour'.

... (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, this is the condition of women in Delhi today. What steps is the Government taking for the safety of women?...

(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, आप बैठ जाइये। आपने नोटिस नहीं दिया है।

...(ब्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप प्रीवलेज नोटिस की बात कर रहे हैं।

...(ब्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइये। जीरो-आवर में ऐसा नहीं होता है। पहले जिन्होंने नोटिस दिया है उन्हें अलाऊ करुंगी, फिर आपको अलाऊ करुंगी।

...(ब्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री कृपाल बालाजी तुमाने - उपस्थित नहीं।

...(ब्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया - उपस्थित नहीं।

...(ब्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइये, आपको बुलाऊंगी, पहले जिन्होंने नोटिस दिये हैं उन्हें बुलाने दीजिए।

...(ब्यवधान)

HON. SPEAKER: Have you given a notice?

... (*Interruptions*)

12.10 hrs.

SUBMISSIONS BY MEMBERS

(i)Re : Alleged attack on churches in Delhi and other parts of the country

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): Madam Speaker, thank you for giving me this opportunity. ... (*Interruptions*)

I invite the attention of this august House to the incidents of attacks on churches in Delhi. Last week, St. Sebastian's Church in Delhi's Dilshan Garden area was gutted. Day before yesterday, another church in South-East Delhi's Jasola area, namely Fathima Matha Church was attacked. Recurring attacks on churches is the concern not only of Christians in this country but also of people who want religious harmony.

Several Members of Parliament including me visited St. Sebastian's Church in Dilshad Garden and we could see that people from all walks of life cutting across religious lines expressed their concerns over the destruction of a sacred place. They consoled and extended their solidarity to the people who lost their worship centre. This is the greatness of the Indian society.

This august House also condemned the heinous attack on the Church. However, some anti-social elements want to harm and break the bond of brotherhood among the Indians. Recent attacks on these Churches are considered to be the part of it. If the people behind the attack on St. Sebastian's Church had been arrested, the attack on Fathima Matha Church would not have happened.

Laxity in taking action against the culprits is the major reason behind the recurring attacks on churches. Therefore, I appeal to the Government to trace and take proper action against the culprits in this regard, and ensure the security of religious institutions and minority communities in the country.... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी से उत्तर आ चुका है। अब बार-बार एक ही विषय पर नहीं हो सकता है। I am sorry. The Minister has already responded.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Mullappally Ramachandran, Shri Jose K. Mani, Shri P. Karunakaran, Shri N.K. Premachandran, Shri P.K. Biju, and Adv. Joice George are allowed to associate with the matter raised by Shri Anto Antony.

श्रीमती रीती पाठक (सीधी) : अध्यक्ष जी, मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।... (व्यवधान)

महोदया, ऊर्जा का उत्पादन करने वाला मेरा संसदीय क्षेत्र सीधी तीन राज्यों को छूता है- झारखण्ड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़।... (व्यवधान) यह वामपंथ उग्रवाद से भी बहुत ज्यादा प्रभावित है।... (व्यवधान) वहाँ रहने वाली अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के नौजवान बेहद प्रतिभाशाली हैं।... (व्यवधान) परन्तु रेलवे लाइन न होने के कारण उन प्रतिभाओं को आज तक अवसर नहीं मिल पाया है।... (व्यवधान) मेरे संसदीय क्षेत्र में एलसीएल, एनटीपीसी जैसी कई और भी कम्पनियाँ हैं।... (व्यवधान) कई बड़े खेल मैदान भी हैं, लेकिन वहाँ प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। अतः एसएआई जैसे खेल प्रतिष्ठानों की वहाँ आवश्यकता है जो हमारे युवाओं को खेल के माध्यम से सही दिशा दे सकें और उन्हें भ्रमित करने से रोक सकें।

इसलिए मैं आपके माध्यम से इस सदन से अनुरोध करती हूँ और माननीय खेल व युवा कल्याण मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र में भारतीय खेल प्राधिकरण की शाखा खोलने की कृपा करें।... (व्यवधान)

श्री रामदास सी. तडस (वर्धा) : अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र वर्धा में एक ऐसी घटना हुई कि अभी भी लोगों में भय व्याप्त है।... (व्यवधान) एक माह पूर्व एक नौ साल के लड़के का अपहरण किया गया।... (व्यवधान) उसकी नरबलि दी गयी। उसकी दोनों आंखें निकाल ली गईं।... (व्यवधान) उसकी मुण्डी धड़ से अलग कर दी गयी और उसका पूरा खून एक लोटे में भर कर हमारे गांव में एक मंदिर है, जिसमें डाला गया। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको बोलने का समय में दे रही हूँ, लेकिन माननीय सदस्य को तो कम्पलीट करने दीजिए।

श्री रामदास सी. तडस : अंधश्रद्धा के कारण यह घटना हुई है। आज वहाँ के लोगों में इतना भय है कि लोग स्कूल में अपने बच्चे भेजने के लिए तैयार नहीं हैं। इतनी बड़ी घटना यह हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जो तांत्रिक बाबा इसमें शामिल

रहा है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। इसके अलावा इस घटना की जांच सीआईडी से करवायी जाए।... (व्यवधान)

12.15 hrs.

SUBMISSIONS BY MEMBERS-Contd...

(i)Re : Alleged attack on churches in Delhi and other parts of the country

माननीय अध्यक्ष : ई. अहमद जी आप मेरी बात सुनिए। आप चर्च के विषय में कहना चाहते हैं। If the Minister is ready, I have no objection. But he has already responded to it once. But if you want him to respond again and if he is also ready, I have no objection.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Is it about the Church incident or what?

SHRI E. AHAMED (MALAPPURAM): The attack on the Church is a very serious matter.... (Interruptions) The attack on the Church, which the hon. Member Shri Anto Antony has raised, is a very serious matter. We would like to know the reaction of the Government. ... (Interruptions) The Government has a duty.... (Interruptions)

HON. SPEAKER: If he is ready, I have no objection. Once he has already responded to it.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Again, if you want, if the hon. Minister is ready, I have no objection to it.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : हर कोई नहीं बोलेगा। एक बार हो चुका है। सबने यह मुद्दा उठाया था।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Minister, if you want to say something, you can.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप स्वयं को संबद्ध कर लीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप संबद्ध करने के लिए स्लिप भिजवा दीजिए।

...(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदया, इस देश की कम्युनल हॉर्मनी को बनाए रखना हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में टॉप पर है। ...(व्यवधान) इस संबंधित घटना, जिसकी चर्चा माननीय सदस्य ने की है, उसकी जानकारी ज्यों ही मुझे प्राप्त हुई, तुरंत मैंने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात की और उनको कहा कि इस मामले की प्रॉपर इंवेस्टिगेशन होनी चाहिए। इस मामले की इंवेस्टिगेशन के लिए तुरंत एक एसआईटी कंस्टिट्यूट कर दी गई और साथ ही साथ इस इंवेस्टिगेशन को हमने टाइमबाउंड भी किया है।...(व्यवधान) यदि कोई नई घटना है, जिसकी चर्चा माननीय सदस्य कर रहे हैं तो उसकी जानकारी मुझे दे दें, मैं उसकी प्रॉपर इंवेस्टिगेशन करवाऊंगा। ...(व्यवधान)

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र में माथेरान नामक हिल स्टेशन है, जो कि ब्रिटिश काल से प्रसिद्ध है। यहां हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं, जिससे देश को आर्थिक लाभ मिलता है। पर्यावरण विभाग ने शुरू से ही इस क्षेत्र को इको-सेंसिटिव ज़ोन घोषित किया हुआ है। महोदया, यहां पर माथेरान नगर परिषद् भी है। बीते कई वर्षों से यहां रह रहे नागरिक इस समस्या से जूझ रहे हैं। यहां ब्रिटिश काल से मिनी ट्रेन चल रही है। कोई और साधन नहीं होने के कारण यहां आने वाले पर्यटक आने-जाने के लिए इस ट्रेन का उपयोग करते हैं तथा पर्यटकों को पूर्ण रूप से इस मिनी ट्रेन और घोड़ों पर निर्भर रहना पड़ता है। बारिश या कई अन्य कारणों से यह मिनी ट्रेन कई बार बंद कर दी जाती है, जिससे यहां आने-जाने वाले बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि सरकार इस विषय पर ध्यान दे और माथेरान हिल स्टेशन में पर्यटकों के अवागमन हेतु सीएनजी वाहनों या बैटरी वाहनों की अनुमति प्रदान करे और इस क्षेत्र में रोप-वे की व्यवस्था करे। यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से सरकार को और अधिक आर्थिक लाभ मिलेगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. संजय जायसवाल - उपस्थित नहीं।

श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली - उपस्थित नहीं।

श्री विक्रम उसेंडी।

श्री विक्रम उसेंडी (कांकेर): अध्यक्ष महोदया, छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में पोस्ट ऑफिस की व्यवस्था ठीक नहीं है। वहां पर प्रत्येक जिला मुख्यालय में भवन वगैरह की कमी तो है ही साथ ही साथ जो विकासखण्ड मुख्यालय और तहसील मुख्यालय हैं, वहां पर भी भवन वगैरह नहीं होने से पोस्ट ऑफिस प्रॉपरली संचालित नहीं हो पा रहा है। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से वहां पर पंचायतों की वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित पेंशन, मनरेगा का भुगतान, आधार कार्ड का वितरण आदि ऐसे बहुत सारे काम किए जाते हैं। लेकिन भवन वगैरह नहीं होने कारण ये सारे काम-काज ठीक से संचालित नहीं हो पा रहे हैं तथा उनके बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है।

महोदय, बस्तर संभाग जो केरल राज्य से बड़ा संभाग है, वहां पर जिला मुख्यालय जैसे कुंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा आदि जैसी जगहों में पोस्ट ऑफिस या कोई भवन नहीं है। मेरा कहना है कि वहाँ पोस्ट ऑफिस की व्यवस्था ठीक ढंग से संचालित हो। बहुत सारे विकास खण्ड मुख्यालय वगैरह में बैंकों की व्यवस्था नहीं है। पोस्ट ऑफिस के लिए देश की आजादी के बाद वहाँ पर भवनों का निर्माण नहीं हो पाया। वहाँ भवनों का निर्माण कर ठीक से पोस्ट ऑफिस की व्यवस्था की जाए। यह मेरी माँग है।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): महोदया, बिहार में राज्य सरकार के उदासीन रवैये के कारण स्वास्थ्य सैक्टर में काफी धीमी प्रगति है। आज भी हजारों-हजार लोग बीमारियों के इलाज के लिए कर्ज लेकर घर-जमीन को बंधक रखकर दो-दो दिन ट्रेन में सफर कर दिल्ली, कोलकाता, बंगलौर, चेन्नई, मुंबई जैसे महानगरों में जाते हैं, क्योंकि उन्हें बिहार में समुचित चिकित्सा की सुविधा नहीं मिलती है।

टेली-मेडिसिन एक चमत्कारी चिकित्सा प्रणाली है, जिसमें चिकित्सक विज्ञान और तकनीक के द्वारा देश के दूर-दराज के क्षेत्रों के लोग बिना बड़े शहर में गए हुए स्वास्थ्य सुविधा का लाभ ले सकते हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर के शिवहर, सीतामढी के और पूर्वी चम्पारण जिलों में हजारों गरीब बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग लोग हैं, जो समय पर समुचित चिकित्सा के अभाव में असमय ही मौत के शिकार हो जाते हैं। जब एक घर में कोई बीमार होता है तो उसका दर्द उसके परिजन ही महसूस कर सकते हैं और जब इलाज के अभाव में उनका कोई प्यारा दम तोड़ देता है, तो उसका असर पूरे परिवार पर जीवन पर्यन्त पड़ता रहता है।

मुझे जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है, उसके अनुसार बिहार में टेली-मेडिसिन के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा कुछ कदम तो उठाए गए हैं, परन्तु उन प्रयासों का विशेष फायदा राज्य की गरीब जनता को नहीं मिल पा रहा है। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ई-स्वास्थ्य पहल के अन्तर्गत केन्द्रीय

स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय को राष्ट्रीय ग्रामीण टेली-मेडिसिन नेटवर्क स्थापित करना था, परन्तु यह नेटवर्क कितना प्रभावकारी है या इसका कितना फायदा लोगों को मिला है, इसकी जाँच बहुत जरूरी है।

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): महोदया, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से दिए अपने भाषण में टेली-मेडिसिन का जिक्र किया था। अब लोगों को यह उम्मीद होने लगी है कि हेल्थ का सेक्टर जरूर सुधरेगा और उसमें टेली-मेडिसिन का अहम रोल होगा। आज बिहार सहित पूरे देश में स्वच्छता अभियान की तर्ज पर टेली-मेडिसिन केन्द्रों को स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है। मुझे पूरा भरोसा है कि इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। ग्रामीण भारत के गरीब लोगों की बीमारी दूर होगी। अगर इस काम में एन.जी.ओज. की भी मदद लेने की जरूरत पड़े तो सरकार को उनकी मदद लेनी चाहिए और वे मदद देने को तैयार हैं।

इसलिए हम चाहेंगे कि जैसे तो इस योजना को पूरे भारत में लागू करने की सख्त जरूरत है। परन्तु कम से कम हमारे संसदीय क्षेत्र शिवहर के पूर्वी चम्पारण जिले की ग्राम पंचायत घोड़ासहन (दक्षिण), जो दसवीं पंचायत है, जिसे हमने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया है, में इसे लागू कर दिया जाए। मेरे 17 प्रखण्ड हैं, उनमें जल्द से जल्द इस योजना को लागू कर दिया जाए। ऐसा करने से गरीबों को बहुत फायदा होगा। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI K.C. VENUGOPAL(ALAPPUZHA) : I have given a notice for Adjournment Motion also in the morning for suspending the Question Hour.

HON. SPEAKER: I know.

SHRI K.C. VENUGOPAL : Notice was regarding an important and serious matter with regard to the inhuman behaviour towards CRPF martyrs, who had been killed in the incident of Maoists attack in Chhattisgarh.

I have some reports. The matter came to light after the locals found the blood-stained uniforms and boots of the martyrs lying in the dustbin near the mortuary. The postmortem of the martyrs took place in the hospital yesterday, and the uniforms were reported thrown into the dustbin after that. That is what the report has stated. The serious thing is that allegations of dogs eating the body remains of the personnel of the slain CRPF troopers after the *post mortem* were also made, which sent shock waves across the nation. It is a very shameful incident to the entire nation.

Added to this, there was another report regarding this incident. What is that? Encounter has taken place at 11.30 in the morning. Request for helicopters were placed only at 4.30 in the evening. Delay of arrival of helicopters has been the main cause of the death. How can we justify such an attitude? The observation by the Defence Ministry was very serious. The observation by the Defence Ministry was that the place has not been sanitized by the State Government. That is why they were not in a position to send the helicopters. This means that there is complete lack of coordination between the Government of India, especially in the Ministry of Defence, Ministry of Home Affairs, and the State Government, which has led to such a situation.

The Government is telling that *Accha Din Ayega* and they are giving good governance. But in the case of CRPF martyrs, those who are fighting against naxal extremists, the Government is not bothered about them, the Government is not bothered to save their lives. How can the country forgive this? The hon. Home Minister was here earlier. He is not here now. As far as the nation is concerned, this is a serious incident. Therefore, I appeal, through you, to the Home Minister to come here and make a statement regarding this matter.

HON. SPEAKER: Shri P. Karunakaran, Dr. A. Sampath and Shrimati P.K.

Shreemathi Teacher are permitted to associate with the issue raised by Shri K.C. Venugopal.

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक -सवाई माधोपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय सदन में रखना चाहता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र टोंक -सवाई माधोपुर में रणथम्भौर के आसपास के लगभग 50 गांवों में जंगली जानवर नीलगाय का आक्रमण काफी बढ़ गया है जिससे लोगों की लगभग 80 प्रतिशत फसल नष्ट हो जाती है और जंगली जानवरों से लोगों को जान का खतरा बना हुआ है। कई बार जंगली जानवर यहाँ के पशुओं और बच्चों को उठाकर जंगल में ले जाते हैं। अभी दो दिन पहले ही जंगली जानवर शेर की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सरकार जंगली जानवरों से मरने वाले व्यक्ति को दो लाख रुपये देती है। दो लाख रुपये से गरीब आदमी की कुछ भी भरपाई नहीं होती। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि सरकार उनको दस लाख रुपये आर्थिक सहायता प्रदान करे और आसपास के गांवों में

रहने वाले लोगों को कांटेदार तार लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान करे जो कि पहले भी सरकार द्वारा लागू थी परंतु अब नहीं है। पानी के पाइपों पर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है लेकिन कांटे वाली तार पर सब्सिडी नहीं दे रही है। यदि ऐसा कर दिया जाए कि कांटेदार तार पर 80 परसेंट सब्सिडी गवर्नमेंट दे और 20 परसेंट ज़मींदार दे, तो उनकी फसल बच जाएगी और वे बेचारे अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यही अनुरोध है।

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.पी.चौधरी को श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती पूनम महाजन (उत्तर मध्य मुम्बई) : अध्यक्ष महोदया, मैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर सदन में आई हूँ। मैं जिस चुनाव क्षेत्र का मुद्दा लेकर आई हूँ, वह केवल चुनाव क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यह मुद्दा मुम्बई, महाराष्ट्र और देश के लिए महत्वपूर्ण है। देश के बिज़ीयैस्ट एयरपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो पहले नंबर पर दिल्ली, दूसरे पर मुम्बई और तीसरे नंबर पर हैदराबाद आता है। यह दूसरे नंबर का मुम्बई एयरपोर्ट जो मेरे चुनाव क्षेत्र में है, उस एयरपोर्ट के मुद्दे के बारे में मैं यहाँ विषय रखना चाहती हूँ। मैं खुद पायलट होने की वजह से जानती हूँ कि मुम्बई एयरपोर्ट में जिस प्रकार से बिज़ीयैस्ट एयरपोर्ट के रूप से वहाँ नेशनल और इंटरनेशनल यातायात बढ़ता जा रहा है, उसके लिए जिस प्रकार की यंत्रणा चाहिए, जो डैवलपमेंट चाहिए, वह अब तक मुम्बई एयरपोर्ट पर नहीं हुआ है। उस हवाई अड्डे पर इतनी अपेक्षा की जाती है कि जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम बाहर प्रदेशों में देखते हैं, दिल्ली और कोलकाता में भी देखते हैं तो पैरलल रनवे तीन या चार लगते हैं। आज मुम्बई एयरपोर्ट में दिक्कत यह आती है कि दो और तीन पैरलल रनवे नहीं हैं। वे एक दूसरे से कटे हुए हैं तो एक ही रनवे का इस्तेमाल होता है। इसीलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जीवीकेएस ने मिलाकर एम.आई.एल. करके एक नया कंस्ट्रक्टिव जेवी तैयार किया था जो 3 मई, 2006 को *as is where is* बेसिस पर बनाया गया था। उसमें यह तय किया गया था कि वहाँ जो एनक्रोच्ड लैंड है जहाँ पर 90 हजार झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, उनको अच्छे रूप से वहाँ ही घर मिलेंगे और फिर एयरपोर्ट का भी विस्तार होगा। यहाँ पर दो फायदे होते हैं कि एयरपोर्ट का विस्तार होगा तथा डिफैन्स के रूप से, सिव्क्योरिटी के रूप से, एयरपोर्ट के पास के नज़दीकी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उनको दूर रखा जाए तो एयरपोर्ट मंत्रालय को भी इसका समर्थन होगा और जो झुग्गी झोपड़ियों में इतने सालों से रहने वाले लोग हैं, जिनके सिर पर अच्छा घर चाहिए, छत चाहिए, उनके लिए भी वहीं अच्छे रूप से घर बनें। इस एम.आई.एल. के रूप से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2006 में एच.डी.आई.एल कंपनी के साथ टाइप अप किया। उसको 2000 एकड़ के रूप में महाराष्ट्र

गवर्नमेंट में भी मदद की और स्लम रीहैबिलिटेशन अथॉरिटी के रूप में उनको घर बनाने की इजाज़त दी। लेकिन जब घर बनाने की इजाज़त दी तो उसके बाद एच.डी.आई.एल. ने जिस प्रकार से काम करना चाहिए था, वह नहीं किया और फिर एम.आई.ए.एल. और एच.डी.आई.एल. का मामला न्याय प्रविष्ट हो गया और सुप्रीम कोर्ट से आर्बिट्रेशन में पहुँच गया। आज आर्बिट्रेशन में मामला तो पहुँच गया है लेकिन वहाँ इतने सालों से रहने वाले झुग्गी झोपड़ियों के लोगों को घर नहीं मिल रहे हैं, एयरपोर्ट की सिक्यूरिटी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, वह नहीं हो पा रहा है। एच.डी.आई.एल. ने जो ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंटल राइट्स होते हैं, जिसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों से कमाया जाता है, उस एच.डी.आई.एल. कंपनी पर अभी बहुत सारी एफ.आई.आर. हुई हैं। उस एच.डी.आई.एल. कंपनी ने टीडीआर तो ले लिया, बेच भी दिया और अपनी कंपनी को मुनाफा दिया।

महोदया, बस्तियों में रहने वाले 90 हजार गरीब लोगों में से 15 हजार लोगों को भी घर नहीं दिया। जिन प्रोजेक्ट्स से लोग प्रभावित होते हैं, उन लोगों के रहने के लिए घर दिए जाते हैं, जैसे अंधेरी में तीन-चार जगहों पर घर बनाने के लिए कहा था। ऐसे 15 हजार घर बने हैं, लेकिन अब तक लोगों को रहने के लिए घर नहीं दिया गया है।

महोदया, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि नवी मुम्बई में एयरपोर्ट बने। जब मैंने नवी मुम्बई की अभ्यासिका निकाली तो मुझे पता चला कि नवी मुम्बई के पहले चरण का इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते-होते वर्ष 2018 हो जाएगा। तब तक मुम्बई का जो बीजिएस्ट एयरपोर्ट है, उससे लोगों की और अपेक्षाएं बढ़ती जाएंगी तथा लोग चाहेंगे कि मुम्बई एयरपोर्ट का विस्तार हो। मैं सदन से अपेक्षा करती हूँ कि महाराष्ट्र सरकार, एम.आई.ए.एल., एयरपोर्ट आथोरिटी आफ इंडिया और नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस बीजिएस्ट एयरपोर्ट को ज्यादा महत्व दे। मुम्बई हमारी आर्थिक राजधानी है और इंटरनेशनल सिटी भी है। मुम्बई एयरपोर्ट ने 25 प्रतिशत जी.डी.पी. इस देश को दी है। मैं अपेक्षा करती हूँ कि मुम्बई के लिए और मुम्बई के अर्बन इनफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरी तरह से ध्यान दिया जाए और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों को घर मिले।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : अध्यक्ष जी, मैं अपने आपको सुश्री पूनम महाजन द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करता हूँ।

श्री राघव लखनपाल (सहारनपुर) : महोदय, पुरातन काल में भारत में रहने वाले लोगों अपने शरीर पर जो कपड़ा पहनते थे, उसे बुनने का काम हिंदू जुलाहा और कोरी जाति के लोग करते थे, जिन्हें कबीरपंथी समाज भी कहा गया है। उत्तर प्रदेश में कोरी जाति को अनुसूचित जाति की सूची में रखा गया है। कोरी

जाति और जुलाहा जाति एक ही हैं, लेकिन जुलाहा जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित नहीं किया गया है। जबकि अन्य प्रदेशों जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ यहां तक कि जम्मू-कश्मीर में भी कोरी जाति और जुलाहा जाति को अनुसूचित जाति में माना गया है। वर्ष 1997 में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब एक आदेश भी पारित हुआ था कि जुलाहा जाति को कोरी जाति के साथ सूचीबद्ध किया जाए। लेकिन राजनीति के चलते जो सरकारें बनीं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन सरकारों ने जुलाहा जाति को उस सूची में से हटा दिया। आज जिन लोगों के नाम के आगे जुलाहा जाति लिखा हुआ है, उन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और आर्थिक रूप से इन पिछड़े लोगों को उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कर लेना चाहिए।

अध्यक्ष जी, मेरी आपके माध्यम से मांग है कि केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करे कि अनुसूचित जाति की अनुसूची में कोरी समाज के संग हिंदू जुलाहा और कबीरपंथी जुलाहा को भी सम्मिलित किया जाए, ताकि उन्हें जाति प्रमाण पत्र मिल सकें और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री अर्जुन राम मेघवाल, डॉ. भोला सिंह, श्री शरद त्रिपाठी और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री राघव लखनपाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : महोदया, देश के कई प्रदेशों में पिछले वर्षों में खनन के अंधाधुंध प्रयोग के कारण कई राज्यों ने अपने प्रदेशों में खनन पर प्रतिबंध लगाया है। खनन के प्रतिबंधों के कारण जहां पर्यावरण में फर्क पड़ा है, वहीं इस कारण एक समस्या भी पैदा हुई कि देश की विभिन्न नदियों में रेत का स्तर काफी बढ़ गया है, जिस कारण बाढ़ आना आम बात हो गई है। दूसरी तरफ नियमानुसार खनन न होने से रेत और बजरी के भाव भी आसमान को छूने लगे हैं। एक गरीब व्यक्ति के लिए घर बनाना एक सपना बन गया है। राज्य सरकारों व भारत सरकार के कार्यक्रमों के अंतर्गत चलने वाली सभी योजनाओं का खर्च भी ईट, रेत और बजरी के भाव बढ़ने के कारण डबल हो गया है।

महोदया, इस समस्या को ध्यान में रखते हुए देश में एक पारदर्शी खनन नीति का बनाना अतिआवश्यक है, जो इनक्लूसिव होनी चाहिए न कि एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप देश के आम नागरिक का अपना घर बनाने का सपना पूरा हो सकेगा।

श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : महोदया , मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका प्रदान किया।

महोदया , मेरे पाली लोक सभा क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में, हर गांव में प्राचीन काल से जो देव भूमि या ओरण भूमि कहलाती हैं, वे आरक्षित रखी जाती हैं। उस ओरण भूमि में किसी तरह का निर्माण या आबंटन नहीं होता है। उस ओरण भूमि का फायदा यह है कि वह गांव व किसान की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है क्योंकि वहां पशु-पक्षी और जितने भी जीव-जंतु हैं, वे चाहे जंगली हों या पालतू हों, वे उसमें विचरण करते हैं। लेकिन, धीरे-धीरे पिछले साठ वर्षों में इस ओरण भूमि को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। उसमें अंग्रेजी बबूल पैदा हो गए हैं, वे अतिक्रमण का शिकार हो रहे हैं और जगह-जगह प्रत्येक स्थानीय निकायों ने उस भूमि का आबंटन शुरू कर दिया है। इससे पर्यावरण असंतुलित हो गया है और जो उसमें वाटर बॉडीज़ और तालाब हैं, उनके कैचमेंट एरिया ऑब्स्ट्रक्ट हो गए हैं। इससे धीरे-धीरे वहां की वनस्पति, पशु-पक्षी और जंगली जानवर लुप्त होते जा रहे हैं।

मैं पर्यावरण मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अब अच्छे दिन आ गए हैं और अच्छे दिन को आम जनता महसूस कर रही है। मेरे पाली लोक सभा क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में, जहां कहीं भी ओरण भूमि हैं, देव भूमि हैं, उनके पर्यावरण के घटने और उन्हें लुप्त होने से बचाने के लिए जो भी आवश्यक कदम हैं, उन्हें उठाने के लिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.पी. चौधरी द्वारा उठाए गए विषय से श्री सुमेधानन्द सरस्वती और श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत स्वयं को सम्बद्ध करते हैं।

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा) : अध्यक्ष महोदया, गत तीन-चार सालों से महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा में जो अकाल की स्थिति पैदा हुई है, उस सूखे के कारण विदर्भ, महाराष्ट्र और मेरे संसदीय क्षेत्र बुलढाणा में युवा किसान बहुत बड़ी संख्या में खुदकुशी कर रहे हैं। पिछले तीन सालों से किसानों ने बैंकों से फसल के लिए जो ऋण लिया है, हर साल वहां अकाल घोषित होने से उन ऋणों के हफ्ते गिराकर हर साल वहां पर नया ऋण किसानों को दिया जा रहा है। आज की स्थिति ऐसी है कि किसानों के पास जो भी प्रॉपर्टी या खेती है, उससे भी ज्यादा उनके ऊपर बैंकों के ऋण हो गए हैं। इन्हें वे कैसे देंगे, यह सोच कर ही वहां के युवा किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूँ कि जिन किसानों ने वहां पर आत्महत्या की है, जिन पर बैंकों के फसल ऋण अभी तक लाखों की तादाद में हैं, उन्हें माफ किया जाए। जो पशु धन हैं, उनके लिए चारा न होने से किसान लोग उन्हें बाज़ारों में बेच रहे हैं, लेकिन दूसरे किसान उन्हें लेने को

तैयार नहीं हैं। इसके कारण ये सब पशु धन को कसाई लोग लेकर उसे कसाईखानों में ले जाकर काट रहे हैं। एक तरफ तो हम गौ माता को बचाने के लिए कानून लाने की सोच रहे हैं, लेकिन हमारा यह जो पशु धन है, उसका वहां पर खुलेआम कत्ल किया जा रहा है। उसके लिए भी सरकार को उन किसानों की मदद करने की आवश्यकता है।

महोदया, अभी किसानों के पास जो थोड़ा-बहुत पानी है, उससे अगर अच्छी बिजली हमारे विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में दी जाती है और जो जले हुए ट्रांसफॉर्मर हैं, जो एक-एक महीने से नहीं बदले जा रहे हैं, अगर वे ट्रांसफॉर्मर उन क्षेत्रों में दो दिनों में बदल कर मिलें तो किसान वहां पर थोड़ा-बहुत चारा पैदा कर सकते हैं, अपने पशु धन को बचा सकते हैं, और थोड़ी तादाद में उनकी फसल भी हो सकती है। इसकी तरफ केन्द्र सरकार को ध्यान देना चाहिए।

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN (MURSHIDABAD): Hon. Speaker Madam, I beg only three minutes from you to just ventilate my grievances to this House.

I rise to draw your kind attention as well as of the entire House to the serious crisis being faced by a major foreign exchange earning industry, the jute mill resulting in loss of earning as well as livelihood of around thirty five lakh jute growers mostly in my state West Bengal. Around two lakh jute workers voiced their protests and grievances against such a situation through one day total strike in all the jute mills in West Bengal on 26th June.

Madam, owing to this crisis around 58 jute mills in West Bengal have drastically cut down their production or resorted to closure. One of the main reasons of this crisis is consistent dilution of Jute Packaging Act and such dilution of jute packaging is being consistently done by successive Governments at the centre. The present Government has reportedly decided to put the last nail in the coffin of JPM Act to phase out completely over next two to three years.

The reservation of jute packaging for sugar has been gradually reduced from 100 per cent in 2009-2010 to 20 per cent in 2013-2014. In addition to this a large scale dumping of jute sacks from Bangladesh in Indian market has already reached 1.45 lakh tonnes with the indulgence of customs duty exemption by the

Indian Government. Still now, the Central Government is reluctant to initiate any anti-dumping measure against such imports.

Besides that, 35 lakh jute growers are facing serious problems because they are not getting Minimum Support Price also. The Government is saying that there are 171 departmental purchase centres of JCI to purchase raw jute at MSP but jute farmers are always facing bitter experience from JCI. This year also, jute farmers are compelled to sell their production at the rate of Rs. 1600 per quintal only though the MSP of jute is Rs. 2400 per quintal. I want to know where the JCI is to purchase jute.

Madam, lastly I want to say, to save two lakh jute workers and 35 lakh jute growers, we should stop importing jute sacks from Bangladesh and make 100 per cent jute packaging compulsory for sugar and food grains to save the jute workers and jute grower of our country. Thank you, Madam.

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर): अध्यक्ष महोदया, भागलपुर लोक सभा क्षेत्र जो बिहार ही नहीं पूरे देश के मानचित्र पर है। भागलपुर जहां कोसी और गंगा दोनों नदी अवस्थित हैं, विगत पांच-सात साल से उनसे भारी कटाव वहां पर हो रहा है। विक्रमशिला के अपस्ट्रीम में राघवपुर गांव है और डाउनस्ट्रीम में इस्माइलपुर, बिंगटोली, सैदपुर गांव हैं, जहां भारी कटाव हो रहा है। कोसी नदी पर मदरौनी, सौहरा कट चुके हैं और अब वह रेलवे लाइन को प्रभावित करेगा। पिरपैती में रौनीदेड़ा, टोफिल, अन्ठाबन, इस तरह से पूरे भागलपुर में, जो गंगा, कोसी के किनारे पर अवस्थित है, भयंकर कटाव है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों लोक सभा में मैंने इस विषय को उठाने का काम किया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहां चूंकि जनवरी में काम शुरू होना है, तभी यह काम पूरा हो सकेगा। मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि इस काम को कराने का निश्चित रूप से आदेश दिया जाए कि समय रहते इस पूरे काम को पूरा कर लिया जाए।

पिछले पांच-सात साल से बहुत भयंकर कटाव हो रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि उस कटाव में, जहां राघवपुर स्थित है, वहां हमारा घर भी है। हमारा घर भी अगर कटाव की चपेट में आएगा तो फिर इस सभा की, जो देश की सर्वोच्च सभा है, उसकी भी कहीं न कहीं बदनामी होगी। मैं चाहूंगा कि विभाग को निर्देशित किया जाए ताकि निश्चित रूप से वह काम समय रहते जनवरी-फरवरी में शुरू हो जाए।

श्री सुभाष पटेल (खरगौन) : अध्यक्ष महोदया, आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र खरगौन के अंतर्गत ग्राम पंचायत झिगड़ी, मऊ-खंडवा रेल मार्ग पर स्थित है। रेल मार्ग होने से ग्राम की जनता को रेलवे क्रासिंग करने में भारी दिक्कत होती है। उक्त मार्ग पर रेलवे फाटक न होने के कारण यह स्थिति निर्मित हुई है।

अतः आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि रेल मार्ग पर रेलवे फाटक लगाने के आदेश प्रदान करें, ताकि जनता को मार्ग में आवाजाही करने में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो।

श्री संतोष कुमार (पूर्णिया) : अध्यक्ष महोदया, मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर मिला, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बिहार राज्य के सीमांचल क्षेत्र पूर्णिया परिमण्डल में किसान मक्के की खेती प्रचुर मात्रा में करते हैं। मक्के की खेती पर आने वाली लागत के अनुरूप किसानों को उसका वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहा है। मक्का उत्पादित इस क्षेत्र में उसके रख-रखाव का कोई उचित प्रबन्धन भी नहीं है। सीमांचल क्षेत्र में कोई उद्योग-धंधा नहीं रहने के कारण आम जनता की आर्थिक और सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है। यहां के युवक और युवतियां पढ़-लिखकर बेरोजगारी की समस्या के कारण देश के बड़े शहरों में रोजगार पाने के लिए ठोकरे खा रहे हैं।

मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि सीमांचल क्षेत्र के पूर्णिया में मक्के पर आधारित कोई बड़ा उद्योग लगाया जाए ताकि इस क्षेत्र के बेरोजगार युवक और युवतियों को रोजगार मिल सके और यहां के मक्का किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाया जाए।

श्री प्रेम सिंह चन्द्रमाजरा (आनंदपुर साहिब) : अध्यक्ष महोदया, यह सच है किसी देश का ग्रोथ रेट वहां के लोगों के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। लोगों का स्वास्थ्य भी देश की पूंजी है। मैं समझता हूँ कि अगर देश की ग्रोथ रेट बढ़ानी है तो स्वास्थ्य चिकित्सा पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। मुझे इस बात का दुःख है कि पिछली सरकारों ने उस पर ध्यान नहीं दिया है। हमारी जी.डी.पी. का मात्र 1.1 प्रतिशत ही उस पर खर्च होता रहा है। जबकि चाइना जैसे देशों में उस पर जी.डी.पी. का 4 प्रतिशत से अधिक और अमेरीका जैसे देशों में 15 प्रतिशत से अधिक खर्च होता है। इसलिए हमारा सर्वाइवल रेट बहुत कम है, जैसे लीवर की बीमारियों में यह 4 प्रतिशत है, कैंसर में यह बहुत कम है। अमेरीका में सर्वाइवल रेट 50 प्रतिशत से भी अधिक है। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 'न्यू इंडिया टॉपअप हेल्थ प्लान चीपेस्ट', स्कीम के तहत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इंट्रोड्यूस की है। उसमें 43 साल के लोगों को लिया गया है और 60 साल वाले लोगों में से 1.6 प्रतिशत लोगों को लिया गया है, जबकि यह जरूरत उनकी है। 60 साल के बाद ही स्वास्थ्य

चिकित्सा की ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन जिनको यह जरूरत है उनको यह नहीं मिलती है। हेल्थ इश्योरेंस स्कीम कंप्रीहेंसिव होनी चाहिए। वह समाज को बांटने वाली नहीं होनी चाहिए। वह उम्र या बी.पी.एल. के साथ नहीं होनी चाहिए। अगर वह कंप्रीहेंसिव होगी तो सबको लाभ पहुंच पाएगा।

मैं सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उसने जेनरिक मेडिसिन इंट्रोड्यूस की है। आयुर्वेद की दवाइयां हमारे कॉलेजेज में होनी चाहिए और अस्पतालों में भी होनी चाहिए, उनका प्रचार भी होना चाहिए ताकि गरीब लोग सस्ता इलाज करा पाएं। यह मेरा निवेदन है।

माननीय अध्यक्ष : श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक) : अध्यक्ष महोदया, आज देश में जंगलों का काफी एरिया है। बहुत से किसानों की खेती जंगलों के आस-पास होती है। जंगलों से जंगली जानवर आकर उनके खेतों में भ्रमण करते हैं। जब उनके खेतों में फसल उगते हैं तो जंगली जानवर खेतों में घुसकर, उन्हें खा जाते हैं एवं पूरे खेत को तबाह कर देते हैं, जिससे किसानों पर बड़ा अन्याय हो रहा है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि जंगल को तार से फैंसिंग करें या किसान भाइयों को सब्सिडी के रूप में मदद दें या उन्हें आर्थिक मदद दें, जिससे हमारे किसानों को लाभ हो सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा को श्री कृपाल बालाजी तुमाने द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदया, दामिनि और निर्भया बलात्कार केस के बाद दिल्ली और देश में 35.8 प्रतिशत बलात्कार की घटनाएं बढ़ीं हैं। लुधियाना के जमालपुर गांव में बिहार की एक बच्ची के साथ 5 आदमियों ने बलात्कार किया और उसके बाद उसे जला दिया गया। वह 80 प्रतिशत जल गई है। उसी तरह हरियाण के अटेली में एक लड़की, जो 9 वर्ष की थी, के साथ 5 पूंजिपतियों ने ब्लेड से चीरकर उसके साथ बलात्कार किये। सरकार ने उसे 50 लाख रुपए देने की बात कही है। इस घटना के कारण लगातार हरियाण बंद रहा। उस परिवार में यह मात्र एक ही बच्ची थी, उसे मार दिया गया।

अध्यक्ष महोदया, आप खुद समझती हैं कि देश में महिलाएं कैसे असुरक्षित हैं? यहां की कैंब घटना के बारे में गृहमंत्री जी ने जवाब दिया है। यह अतिसंवेदनशील मामला है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि दिल्ली जैसी घटना लगातार बढ़ती जा रही है। देश की राजधानी में ऐसी घटनाएं कब रुकेंगी? इस देश की महिलाएं कैसे सुरक्षित हों? 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है,

उसकी इंकवायरी हो। बिहार की बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है, उन पर सख्त कार्रवाई हो। दिल्ली कैसे सुरक्षित हो, इसके लिए मैडम आपकी तरफ से कोई कार्रवाई हो। यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ।

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (GUWAHATI): Madam, I have to raise an issue regarding agricultural land. For the last 10 to 15 years, it has been seen that in the entire country, agricultural land has been sold or snatched like anything.

Land is a commodity which has been given by the God at the time of creation of the world, which, cannot be increased. The population may be increased but the land cannot be increased. It is very unfortunate that selling and encroachment of land is going on unabated and more so in my State Assam. Agriculture is the mainstay of the rural population. The agricultural produce has been reducing just like anything because of the selling and grabbing of agricultural land.

In various parts of Assam, especially, in some areas of my Constituency – Palasbari, Soygaon, Bako, Dispur – the land has been snatched. These poor people get very small amount of money and after selling their land they became pauper. Although land is in the Concurrent List yet I feel that the Central Government should take note of it and try to do something so that poor people can be saved.

SHRI RAHUL SHEWALE (MUMBAI SOUTH CENTRAL): Thank you, hon. Speaker for allowing me to speak on an important issue of water shortage in Mumbai City.

It is very painful to think that a coastal city of Mumbai has been facing acute problem of drinking water. This is not a natural problem, but it is due to the non-planning and mismanagement of the predecessor Governments.

Madam, I would like to draw the attention of the Government that in the year 2010 an MoU was signed by the Central Government, Governments of Maharashtra and Gujarat States for transfer of surplus Daman Ganga water to proposed Pinjal Dam. The proposed Pinjal Dam will transfer an estimated 1,586 MLD water from Daman Ganga to Pinjal. Mumbai will get total 2,451 MLD

water. In the proposed project two Dams will be built at Bhugad and Khargihill. The water will be transferred to Pinjal through linking tunnels. The estimated cost is around Rs. 2,747 crore. The work will be executed by the National Water Development Agency, Government of India.

Madam, this project is very important to fulfil the water shortage in Greater Mumbai. I request hon. Prime Minister to declare this link project as National Project. Fifty percent Central Government funding may be provided to MCGM for Pinjal project. Also this project may be executed by Central Government agency of its early completion.

HON. SPEAKER Shri Arvind Sawant is permitted to associate with the issue raised by Shri Rahul Shewale.

*SHRI C. MAHENDRAN (POLLACHI) : Hon'ble Madam Speaker. Under the able guidance of *Puratchithalaivi* Amma, the broad gauge conversion work has been completed between Palani and Pollachi. Hon'ble *Puratchithalaivi* Amma has stressed the need for board gauge conversion of railway lines between Pollachi to Palakkadu and Pollachi to Pothanur. I urge the Hon'ble Railway Minister for early completion of the gauge conversion work. Tamil Nadu Government under the able guidance of *Puratchithalaivi* Amma has stressed the need for commencement of train services from Pollachi where broad gauge conversion work has been completed. Palaniandavar Express train operated from Palani to Chennai should be operated from Pollachi up to Chennai. New train service in the name Amma Express should ply between Pollachi and Chennai. A new train service, Aanamalai Express, should become operational from Pollachi to Bengaluru. Pollachi city has seen rapid developments during the rule of Hon'ble *Puratchithalaivi* Amma. In order to address the issue of traffic congestion in this Pollachi city, new train services should be commenced to provide better rail connectivity. Long live my beloved leader Hon'ble *Puratchithalaivi* Amma.

Thank you.

* English translation of the Speech originally delivered in Tamil.

श्री रामस्वरूप शर्मा (मंडी) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय चुनाव क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जो देश का दूसरा सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र है। इसकी तीन जनजातीय क्षेत्रों की सीमाएं चीन के साथ लगती हैं। चीन भारतीय सीमा क्षेत्रों के साथ लगते सड़क व रेल निर्माण कार्य पूर्ण कर चुका है जबकि भारतीय क्षेत्र का आधारभूत ढांचा न के बराबर है। सीमा पर चीन का विस्तृत एवं मजबूत आधारभूत ढांचा देखकर इस क्षेत्र के लोग हीन भावना से ग्रस्त होते जा रहे हैं क्योंकि मैं स्वयं इन क्षेत्रों का दौरा करके आया हूँ।

अतः मेरी सरकार से प्रार्थना है कि सीमावर्ती क्षेत्र में शीघ्र सड़क व रेल निर्माण कार्य पूर्ण किया जाए। चीन अधिकृत तिब्बत से सटी सामरिक महत्व की पांच सड़कों पर वन विभाग ने रोक लगा दी है और फॉरेस्ट क्लियरेंस न मिलने से इनका विस्तारीकरण रुका पड़ा है जबकि इन्हीं सड़कों द्वारा सेना की रसद खाद्य सामग्री तिब्बत बार्डर तक पहुंचाई जाती है। वर्ष 2006 में चीन से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में 72 सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी मिली लेकिन वर्ष 2010 तक केवल 9 ही पूरी हो पाई हैं इनके निर्माण में पर्यावरण मंजूरी न मिलना और प्रशासनिक शिथिलता सबसे बड़ी बाधाएं हैं, जिसको तत्काल दूर किया जाए और सड़कों का निर्माण युद्धस्तर पर किया जाए। दूसरा जनजातिय क्षेत्रों में छह महीने तक बर्फबारी होने के कारण सड़कें बंद हो जाती हैं तथा दूरसंचार सेवाएं भूस्खलन के कारण ठप हो जाती हैं इसलिए जनजातीय क्षेत्रों के लिए सेटेलार्इट सेवा प्रदान करने की कृपा करें।

श्री शेर सिंह गुवाया (फ़िरोज़पुर) : महोदया, आपने एक बड़े सिरियस मैटर पर बोलने का मौका दिया है। पिछले दिनों पाकिस्तान की ओर से इंडियन आर्मी और बी.एस.एफ पर आतंकवादी हमला हुआ जिसमें काफी नौजवान हमारे देश के मारे गए। हमारे नौजवान देश की रक्षा की खातिर अपना जीवन बलिदान कर देते हैं। मोदी जी इंटरनेशनल लेवल पर इनिश्यटिव ले रहे हैं, उनकी मीटिंग भी हुई है किन्तु उसका कोई सार्थक रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा आतंकवादी हमले होते हैं। क्या हमारी सरकार उससे सख्ती से नहीं निपट सकती। अगर इससे सख्ती से निपटा जाएगा, तभी हम बच सकते हैं। मेरा निवेदन है कि जो लोग मारे गए हैं, उनके परिवार को कम्पन्सेंट किया जाए, इम्प्लायमेंट और मुआवजा दिया जाए। मेरे एरिया का एक नौजवान अफगानिस्तान में आतंकवादी हमला में मारा गया, अभी तक उसके परिवार को कुछ भी नहीं मिला है।

SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMARAJANAGAR): I am thankful to you, Madam Speaker, for allowing me to raise a matter of urgent public importance. I want to raise a matter regarding delay in release of funds from the

Central Government to the State Government of Karnataka under Mahatma Gandhi Udyog Khatri Yojana.

Mahatma Gandhi Udyog Khatri Yojana is a very important programme launched by the UPA Government. Two months back, that is, on 14th October, 2014, the Government of Karnataka had submitted a proposal stating that an amount Rs. 2,204 crore, which is a balance as 2nd installment, has not yet been released by the Central Government.

I would, therefore, request the Minister of Rural Development to release the 2nd installment amount of Rs. 2,204 crore to the State Government of Karnataka on priority basis.

HON. SPEAKER: The names of Shri S.P. Muddahanume Gowda, Shri D.K. Suresh and Shri B.N. Chandrappa will be associated on this issue raised by Mr. Dhruvanarayana.

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) : महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे देश का सबसे ज्यादा समुद्री किनारा 1640 किलोमीटर गुजरात में हैं। इसमें सबसे ज्यादा मेरे क्षेत्र अमरेली के चार तहसील में है। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे मछुआरे जो मछली पकड़ने समुद्र में जाते हैं, उनको बॉर्डर का पता नहीं है, एरिया का पता नहीं होता है, इसलिए उनको पाकिस्तानी मरिन पुलिस पकड़ लेती है, उनके साथ जो सलूक किया जाता है, जो यातनाएं दी जाती हैं, वह हम जानते हैं। आज कई सालों से पाकिस्तान की जेलों में हमारे यहां गुजरात और खासकर मेरे क्षेत्र के मछुआरे जेलों में पिछले कई सालों से सड़ रहे हैं। मैं भारत सरकार से उसको छुड़वाने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूँ कि मछुआरों की वोट जो बैंक लोन से ली जाती हैं या साहूकारों से ब्याज पर लिया जाता है। एक वोट की कीमत लगभग 50-60 लाख रुपये होती है, वह भी सड़ रहा है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि जल्द से जल्द इन मछुआरों को छुड़वाया जाए और उन्हें परिवार के मिलाया जाए, जिससे वह अपने परिवार के साथ रह सकें।

13.00 hrs.

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़-छत्तरपुर में ओरछा धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहां ऐतिहासिक किले हैं, पुरातत्व का महत्व रखने वाले मंदिरों की श्रृंखला है और भगवान राम का धार्मिक महत्व रखने वाला मंदिर है। यहां पूरे देश से बड़ी संख्या में धर्मालु और विदेशों से पर्यटक आते हैं। अक्टूबर माह से लेकर फरवरी माह के अंत तक वहां होटलों में पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती। इन पर्यटकों को ओरछा आने-जाने के लिए झांसी से खजुराहो ट्रेन चलती है, उसका और किसी भी एक्सप्रेस ट्रेन का वहां स्टापेज नहीं है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ओरछा क्षेत्र के विकास के साथ-साथ यहां से निकलने वाली बुन्देलखंड एक्सप्रेस, उत्तर प्रदेश सम्पर्क क्रांति, तुलसी एक्सप्रेस, उदयपुर-खजुराहो पर्यटन केन्द्र को जोड़ने वाली ट्रेनों का ओरछा स्टेशन पर स्टापेज किया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : अध्यक्ष महोदया, पिछले दिनों झारखंड और जम्मू-कश्मीर में अनेकों सीआरपीएफ और इंडियन आर्मी के जवान शहीद हुए। मेरी लोकसभा और हरियाणा के तीन जवानों ने इस देश में सुख-शांति रखने के लिए अपना बलिदान दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि एंटी टेरोरिस्ट और नक्सल एक्टिविटीज के अगेन्स्ट हम जिस तरह की पालिसी फार्मेशन की बात करते रहे हैं, उस पर सरकार जल्द से जल्द गंभीरता के साथ कदम उठाये। हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए वह एक ऐसी पालिसी लाये या फिर आल्टरनेट कोई ट्रीट्री दूसरे देशों के साथ करे, जिससे हम अपने जवानों को सुरक्षा और बेहतर इक्विपमेंट्स दिलवा पायें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। भारत कृषि प्रधान देश है और आज भी देश की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा, यानी 70 से 80 प्रतिशत हिस्सा गांव में रहता है। लेकिन जब से कोरियर सेवा शुरू हुई है तब से संचार मंत्रालय के अन्तर्गत देश के लगभग 1 लाख 55 हजार डाकघरों की हालत बहुत खराब है। कहीं डाकघर का भवन नहीं है और अगर भवन है तो कर्मचारी नहीं हैं। सरकार की तरफ से इस पर ध्यान न देने के कारण उनकी हालत बहुत खराब होती जा रही है।

अध्यक्ष महोदया, मैं कौशाम्बी लोक सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं, जिसे 4 अप्रैल, 1997 को इलाहाबाद से अलग करके एक अलग जिला बनाया गया। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक वहां पर एक हैड पोस्ट आफिस भी नहीं है, जिस कारण वहां डाक समय से नहीं पहुंच पाती।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के संचार मंत्रालय से मांग करना चाहता हूँ कि देश में जितने भी डाकघर हैं, जिनकी हालत बहुत खराब है, उन्हें आप सुदृढ़ करें और मेरे चुनाव क्षेत्र में एक हैड पोस्ट आफिस खोलने की कृपा करें।

श्री धर्म वीर गांधी (पटियाला) : अध्यक्ष महोदया, मैं बड़े अदब से सरकार और सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि पंजाब और देश के अलग-अलग भागों में हजारों ऐसे कैदी हैं, जो अपनी पूरी सजा भुगतने के बाद, यानी दस-पन्द्रह साल बाद भी जेलों में पड़े सड़ रहे हैं। इस बारे में पंजाब में दो बार मरण व्रत भी रखा गया। पहले मोहाली में और अब अम्बाला में रखा गया। यह काफी गंभीर और चर्चित मुद्दा है।

मैं सरकार से विनती करता हूँ कि पंजाब के ऐसे तमाम लोग, हिन्दुस्तान के तमाम लोग, जो अपनी सजा भुगत चुके हैं, उसके बावजूद भी वे जेलों में सड़ रहे हैं, उन्हें तुरंत रिहा किया जाये।

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : आदरणीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। मैं यह सवाल 15 करोड़ आम जनता, हजारों वकीलों और देश की हायर ज्यूडिशएरी की तरफ से उठा रहा हूँ। लोग कहते हैं कि *Justice delayed is justice denied*. अगर हम न्याय में देरी करते हैं, तो न्याय नहीं मिलता। इसी तरह कहा जाता है कि *Costly justice is a curse; and it devastates the rural /common man*. हमारी 20 करोड़ की जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट है। उसकी एक ब्रांच वर्ष 1948 में अवध में बनी थी, जो केवल मात्र 12 जिलों के लिए है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 160 जजों की स्ट्रैन्थ है, जबकि उसमें अभी केवल 80 जजेज ही हैं। जिस प्रकार से हार्ड ज्यूडिशएरी में जजेज जाते हैं, उसी तरह वर्ष 2012 में वहां से 15 जजों की संस्तुति हुई थी, जिसमें से केवल मात्र 9 जजेज ही सलैक्ट हुए। इससे पूरे देश की ज्यूडिशएरी अफैक्ट होती है। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार और लॉ मिनिस्टर से दरखास्त है कि उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ लोग रहते हैं इसलिए मेरठ, आगरा, बनारस और गोरखपुर चार और बेंचिज़ बनाई जाएं। अवध केवल 12 जिलों को कवर करता है। इलाहाबाद मेन हाईकोर्ट है, इसके अंतर्गत 15 जिले रखे जाएं और अन्य जगह 12 जिले रखे जाएं। इससे आम आदमी को न्याय मिलने में सुविधा होगी।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में तीन बेंचिज़ हैं जबकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20 करोड़ है, यहां केवल एक बेंच है। इन सभी जगहों पर मेरठ का स्थान देश के इतिहास में सर्वोपरि है। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मेरठ से हुई थी। मेरा निवेदन है कि इस ध्यान में रखते हुए मेरठ में सबसे पहले बेंच स्थापित की जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री भोला सिंह को डॉ. सत्यपाल सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): I would like to invite the attention of the hon. Government, through you, Madam, to the tremendous demand from trade unions and social organizations for implementing a decision taken during the UPA Government. During the UPA Government, the ESIC Board had decided to enhance the wage ceiling from Rs.15,000 to Rs.25,000 for joining the ESI scheme

If the decision is implemented, it is estimated that around 25 lakh new employees will come under the purview of ESIC and thereby, they will get social security cover. While we are talking in terms of giving medical insurance cover to more employees, the salary ceiling enhancement will be a great boon to the employees, workers and their families. It will benefit them not only in terms of medical insurance but also in terms of other social security cover.

But the Ministry has not notified the decision even after one year. This is due to the delay of the Ministry. Madam, 25 lakh workers are not coming under the ESI scheme because the Ministry has not issued the Notification. Thousands of journalists also will come under the ESI scheme because of the enhancement of the wage ceiling.

I would like to request the hon. Labour Minister and the Government to issue this Notification and implement it at the earliest. Thank you, Madam.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निर्वाचन क्षेत्र हरिद्वार देश और दुनिया का अध्यात्म हृदय कहा जाता है। यहां पिछले दिनों लगातार घटनाएं हो रही हैं, इससे संपूर्ण क्षेत्र आहत है और दहशत में है। 6 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद् के बड़े आयोजन से ठीक 50 मीटर दूरी पर एक भीषण बम विस्फोट हुआ। इसमें एक बच्चे की जान गई जिससे पूरा क्षेत्र दहशत में है।

मैं कहना चाहता हूं कि सामरिक दृष्टि से उत्तराखंड बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दो देश की सीमाओं से जुड़ा है। देश की सीमाओं की बड़ी घटना में शायद ही इस क्षेत्र का नौजवान शहीद नहीं होता होगा। इस सामरिक क्षेत्र में माओवाद की घटनाएं हो रही हैं और आतंकी गतिविधियां शुरू हो रही हैं। यहां

वर्ष 2016 में कुंभ का मेला होना है। मेरा विनम्र निवेदन है कि तत्काल जांच करके ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और ऐसी गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई जाए।

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.10 p.m.

13.08 hrs

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Ten Minutes past Fourteen of the Clock.



14.12 hrs

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Twelve Minutes past Fourteen of the Clock.

(Hon. Deputy-Speaker in the Chair)

MATTERS UNDER RULE 377

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, we shall take up the 'Matters under Rule 377'.

(i) Need to provide land lying unutilized with Forests and Railway Departments to landless labourers for farming.

श्री कौशल किशोर (मोहनलालगंज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान भूमिहीन व खेतिहर मज़दूरों की दयनीय अवस्था की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर भूमिहीनों व खेतिहर मज़दूरों की बहुत बड़ी तादाद है जिस कारण उनके समक्ष रोज़ी-रोटी की समस्या व आर्थिक तंगी हर समय बनी रहती है जबकि हमारे देश में वन विभाग के पास बहुत बड़ी मात्रा में करोड़ों एकड़ भूमि ऐसी है जिसमें मात्र या तो कटीले पेड़ गिने-चुने स्थानों पर लगाये गये हैं या यह वन विभाग के नाम पर खाली पड़ी है जिसका जनहित में कोई उपयोग नहीं होता। इसी तरह रेलवे लाइन के किनारे-किनारे भी पूरे देश में लाखों एकड़ भूमि पड़ी है जिसमें अच्छी खासी फसल पैदा की जा सकती है। यदि उक्त भूमि का आवंटन खेती करने के लिए भूमिहीनों व खेतिहर मज़दूरों को फसल बोनो के लिए आवंटित कर दिया जाए तो करोड़ों भूमिहीनों व खेतिहर मज़दूरों की जिन्दगी संवर सकती है और उक्त बेकार पड़ी भूमि का सही उपयोग भी हो सकता है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि रेलवे विभाग व वन विभाग में खाली पड़ी भूमि को भूमिहीनों व खेतिहर मज़दूरों को फसल बोनो हेतु आवंटित किया जाए।

(ii) Need to provide adequate passenger facilities at Darbhanga railway station in Bihar and also beef up security system at the station.

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दरभंगा (बिहार) 'A1' श्रेणी रेलवे स्टेशन होने के बावजूद भी यहाँ 'A1' श्रेणी की सुविधाएं स्टेशन पर उपलब्ध नहीं हैं। स्टेशन पर साफ-सफाई की व्यवस्था दयनीय है। शौचालयों की सफाई तो कल्पना से परे है। स्टेशन परिसर में व्यापक वाहन पार्किंग व्यवस्था नहीं होने के कारण स्टेशन के बाहर जाम की स्थिति बनी रहती है। स्टेशन पर सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मेटल डिटेक्टर का अभाव है तथा अधिकतर खराब स्थिति में हैं। सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी भी सदैव नदारद रहते हैं। सी.सी. टी.वी. कैमरे उपयुक्त मात्रा में नहीं है। दरभंगा स्टेशन से निकले पानी की निकासी का समुचित समाधान न होने के कारण दरभंगा शहर वार्ड संख्या 17 में सदैव पानी भरा रहता है जिससे स्थानीय लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र के अन्तर्गत कई छोटे-छोटे रेलवे स्टेशन हैं, जहाँ पर पेयजल, शौचालय, रोशनी की व्यवस्था का अभाव है तथा क्षेत्र के अन्तर्गत बने कई समपारों के दोनों तरफ की सड़कों की स्थिति दयनीय है।

(iii) Need to provide the minimum pension of Rs. 1,000/- to all the eligible EPF pensioners

श्री रामदास सी. तडस (वर्धा) : महोदय, मार्च, 2013 के सर्वे के अनुसार कुल 44 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या की जानकारी मिली है जबकि कुल 44 लाख लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने सरकार बनने के 100 दिन में एक हजार रुपये पेंशन देने की घोषणा की जिससे 28 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों को किसी कारण से लाभ नहीं मिल पा रहा है जिसमें सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए जो पूर्व में एक कमेटी सरकार ने भगत सिंह कोश्यारी जी के नेतृत्व में बनाई थी, उसने जो सिफारिश की है, उसे लागू करने की कृपा करें जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों, जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण में अहम भागीदारी निभायी है, उनका रखरखाव करना हम सबका फर्ज है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों, जिनकी देखभाल एवं रखरखाव हेतु एक हजार रुपये पेंशन लागू की गयी है, उसे कर्मचारियों के हित में शीघ्र बढ़ाया जाए।

(iv) Need to ensure social security of employees working in news channels rendered jobless or facing the threat of retrenchment in the country

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : महोदय, देश के अंदर चल रहे कुछ लोकप्रिय चैनल जैसे पी7न्यूज, पलर्स-मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, पलर्स-हरियाणा, जिया न्यूज, 4रियल न्यूज, आजाद न्यूज, जी.एन.एन. न्यूज, श्री न्यूज, भास्कर न्यूज, सहारा इत्यादि चैनलों में काम करने वाले कर्मचारियों से जानकारी मिली है कि इनमें से कई चैनल बंद हो गए हैं या कुछ चैनल के कर्मचारियों को तीन-चार महीने से वेतन नहीं दिया गया है तथा कुछ कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। इन चैनलों में काम करने वाले मीडियाकर्मियों का परिवार इसी वेतन पर आधारित है और उन परिवारों की स्थिति दयनीय हो गयी है। देश में चैनल प्रारम्भ करते समय तीन करोड़ रुपये की सुरक्षा निधि ली जाती है पर बंद करते समय कोई शर्त या नियम नहीं है।

राष्ट्रीय स्तर पर एन.बी.ए.-न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन एवं बी.इ.ए.-ब्रॉडकास्ट एडीटर एसोसिएशन नाम की दो संस्थाएं हैं, लेकिन वे उन कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करने में विफल रही हैं। इस भयावह स्थिति के बावजूद मीडिया बेरोजगार हुए हजारों तकनीशियन एवं बौद्धिक पत्रकार श्रमिकों का पक्ष रखने में विफल रहा है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार को इस संबंध में कोई वैकल्पिक एवं तात्कालिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि अचानक बेरोजगार बनाने वाली संस्थाओं, चैनलों एवं चैनल मालिकों को रोका जा सके।

**(v) Need to ensure proper operation of sewage treatment plants
in the country**

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): महोदय, देश के बड़े शहरों में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट सरकार की सहायता से लगाए गए और उन्हें बाद में नगर निगम को संचालन के लिए सौंप दिया गया। उनकी हालत बहुत ही खराब है और उनका रखरखाव भी ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है, यहां तक कि कई निगमों और नगरपालिकाओं ने ट्रीटमेंट प्लांट लगाया ही नहीं और कचरा सीधे नदी में गिरा रहे हैं। नदियों के सफाई अभियान का कोई अर्थ नहीं रह जाता जब तक कि बड़े शहरों में प्लांटों को दुरुस्त नहीं किया जाता और इस बात की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जाती कि नदियों में बिना शाधन के पानी न गिराया जाए।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि देशभर में सीवर ट्रीटमेंट प्लांटों की हालत सुधारी जाए और वह ठीक ढंग से कार्य करें, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

(vi) Need to shut down slaughter houses in Unnao district, Uttar Pradesh causing pollution of Lon river of the region and posing a serious health hazard to the people of the region

डॉ. स्वामी साक्षीजी महाराज (उन्नाव) : महोदय, जनपद उन्नाव, उत्तर प्रदेश में टेनरियों व बूचड़खानों के कारण लोन नदी भयंकर रूप से प्रदूषित है। बूचड़खानों के मलबे से लोन नदी लबालब भरी है। लोन नदी से लगे नालों से पानी शहर की गलियों में घुस जाता है, छोटी सी वर्षा से उन्नाव नगर डूबने लगता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, दूषित जल घर में घुस जाता है तथा जाम लग जाता है। सरकार गंगा को निर्मल, अविरल बनाने के लिए नदियों को आपस में जोड़ने के लिए संकल्पबद्ध है, परन्तु जनपद उन्नाव में लोन नदी की स्थिति भयानक है तथा लोन नदी के मलबे में फंसकर पशु मर जाते हैं, जल दूषित हो रहा है। अतः लोन नदी की तत्काल सफाई का कार्य कराया जाए व उन्नाव में मेरे साथ केन्द्र सरकार की टीम भेजी जाए। यहां स्थित चमड़ा फैक्ट्री या अन्य किसी फैक्ट्री में ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है जिससे फैक्ट्रियों से निकलने वाला कैमिकलयुक्त पानी तथा बूचड़खानों से निकलने वाला खून 12 इंच बोर से जमीन अंदर जाता है। दूषित जल पीने से उन्नाव में विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि लोन नदी की सफाई कराई जाए और सभी फैक्ट्रियों में ट्रीटमेंट प्लांट अनिवार्य किया जाए और बूचड़खाने बंद किए जाएं क्योंकि इन बूचड़खानों का पूरा मांस विदेशों को निर्यात किया जाता है। जब दुधारु पशु काट दिए जाएंगे तो सरकार की श्वेत क्रान्ति का लक्ष्य कैसे पूरा होगा।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Only the approved text will go on record and other things will not go on record.

(vii) Need to undertake doubling of Jhansi-Manikpur and Banda-Kanpur railway lines in Uttar Pradesh and also increase the frequency of trains running on these routes

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : उपाध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र से गुजरने वाली एकमात्र रेलवे लाइन झांसी मानिकपुर में दोहरीकरण न होने से मेरे संसदीय क्षेत्र के यात्रियों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। गाड़ियां क्रॉसिंग की समस्या के कारण काफी समय लेती हैं तथा लेट होती हैं। नई ट्रेनें भी जब हम मांगते हैं तो सिंगल ट्रेक कहकर वहां की उपेक्षा होती है।

अतः सदन का ध्यान इस ओर दिलाते हुए आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उक्त सबसे पुराने झांसी मानिकपुर मार्ग तथा बांदा कानपुर मार्ग को शीघ्र गी दोहरीकृत कराने को इसी बजट में धन उपलब्ध कराकर उसे शीघ्र पूरा कराने तथा तब तक यात्रियों को तत्काल राहत हेतु इन दोनों लाइनों पर चलने वाली सभा ट्रेनों के फेरे बढ़ाकर नियमित कराने की कृपा करें।

माननीय उपाध्यक्ष : श्री अशोक कुमार दोहरे - उपस्थित नहीं।
श्री दुष्यंत सिंह - उपस्थित नहीं।

(viii) Need to establish a centre for Cotton Excellence in Gujarat

DR. KIRIT P. SOLANKI (AHMEDABAD): Sir, Gujarat is the largest producer of cotton and also largest producer of cotton seed in the country. There is a strong need to establish a centre for Cotton Excellence in Gujarat which will work especially for improving quality seed production and adaptation of good practice among the cotton farmers. We can improve the capacity production on the same available land for cotton farming, and improve the employment level by 20-25 per cent of the rural area. This centre will provide employment by promoting other related industries like transportation, ginning, cotton cake and fibre.

The State Government had sent a proposal to the Central Government. This comes under the jurisdiction of Indian Council of Agricultural Research (ICAR), Krishi Bhawan, New Delhi.

The existing research network in the State which comprises of two all India coordinated cotton improvement projects funded by the Indian Council of Agricultural Research are presently operating at Surat and Junagarh. These are not adequate to cope with the challenges. So, there is a strong need for establishment of another Centre for Cotton Excellence in Gujarat.

(ix) Need to take appropriate action regarding dumping of uniform and shoes of jawans of CRPF in a garbage pile martyred in naxal attack in Sukma District of Chhattisgarh

श्री ताम्रध्वज साहू(दूर्ग) : उपाध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 14 जवान नक्सली हमने में शहीद हुए। नक्सली हमने में शहीद हुए जवानों के बूट और वर्दी रायपुर में अंबेडकर हॉस्पिटल के बाहर कूड़े के ढेर पर पड़े मिले थे। इसी अस्पताल में मंगलवार को इन जवानों का पोस्टमार्टम हुआ था। शहीद जवानों का सामान 24 घंटे से ज्यादा समय तक कूड़े पर पड़ा था और इसे कुछ मरीजों के रिश्तेदारों ने सबसे पहले देखा था। हमले में मारे गए 14 सी.आर.पी.एफ. जवानों की शहादत का 'अपमान' हुआ। इस मामले में सी.आर.पी.एफ. के किसी अधिकारी की गलती हुई या सरकारी नाकामी रही, सरकार इस मामले में उचित कार्यवाही करे।

(x) Need to construct an alternative approach road to Namakkal Railway Station in Tamil Nadu and augment train services in Namakkal Parliamentary Constituency

SHRI P.R. SUNDARAM (NAMAKKAL): In my Namakkal Constituency of Tamil Nadu, Namakkal Railway Station is situated on the Senthamangalam Road. During the peak hours, due to heavy traffic, passengers are not able to reach the railway station in time.

In the interest of the general public, a study was carried out. It was observed that another road can be laid to reach the railway station through Thuraiyur Road which is beside the railway track. Vacant land is also there on the western side of the railway track that is suitable for a new road.

A joint inspection was conducted on 17th November 2014 for the new road by the Southern Railway Divisional Manager, Divisional Engineer along with the Namakkal MLA and the Member of Parliament. It was proposed to take up the new approach road which is estimated to cost Rs. 3 crore. Hence, the hon. Railway Minister may consider my request and take necessary steps to complete the laying of road to link the railway station. I also want to make the following requests:-

- (i) The Chennai Express running from Chennai to Salem may be extended up to Namakkal;
- (ii) The passenger train running from Salem to Karur may be extended up to Tiruchi and also be operated on Sundays;
- (iii) A computerized reservation counter may be set up in Rasipuram Railway Station to benefit general public.

(xi) Need to construct a flyover or subway at level crossings at Krishnanagar and Bethuadahari in Nadia in Krishnanagar Parliamentary Constituency, West Bengal

SHRI TAPAS PAUL (KRISHNANAGAR): Lack of flyover or subway at Krishnanagar and Bethuadahari, Nadia, West Bengal has created massive problem to the people of Krishnanagar Lok Sabha Constituency. The railway gate No. 68T in Krishnanagar town which is at Beledanga near Khaunish Park remains closed half of the time, as the road is connected to the State Highway, that is, NH-34 connecting Krishnanagar. Two more railway gate Nos. 83/84T at Bethuadahari are connected to the State Highway, that is, NH-34 connecting Bethuadahari Hospital. There is a lot of congestion, the traffic movement is very slow and any kind of accident can take place at any point of time. So, to avoid this situation, a flyover or a subway is required.

I would, therefore, request our hon. Railway Minister to consider the proposal at the earliest.

**(xii) Need to construct a flyover between Khandagiri Square-
Kolathia Chhak in Bhubaneswar, Odisha**

SHRI PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR): Khandagiri, a famous tourist spot, is situated in Bhubaneswar, Odisha. People from different parts of the country as well as abroad visit this place because of its historical, archaeological and religious importance. Most of the people including tourists make the visit to the tourist spot through Khandagiri square, an intersection situated on National Highway No. 5 resulting in traffic congestion. In the last couple of years, this square has seen many accidents resulting in deaths and injuries and in some cases the tourists have also lost their lives. Due to the frequent accidents on this square, the Khandagiri Local Committee has been demanding construction of a flyover at the intersection to avoid traffic congestion as well as accidents. Hence, I would like to request the National Highways Authority of India to look into the matter and construct a flyover between Khandagiri square and Kolathia Chhak in Bhubaneswar, Odisha.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Chandrakant Khaire – not present.
Shri Jayadev Galla – not present.

(xiii) Need to develop mega tourist circuits in Telangana

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): The Telangana State has a rich cultural heritage right from Satavahanas to Asafzahi dynasties from 200 B.C. to 20th Century A.D. All the districts of Telangana have rich historical monuments.

Two mega tourist circuits can be planned by the Ministry of Tourism, Government of India.

One circuit should be planned by connecting Hyderabad, Nalgonda, Warangal and Karimnagar districts. This circuit will connect Yadagirigutta-Kolanapaka, Thousand pillar temple, Fort Ramappa, Kaleshwaram temple, Kondagutta and Vemulawada.

Another circuit should be planned between Hyderabad to Nalgonda and Mahabubnagar districts which connects Jogulamba temple, Srisailam and Nagarjunasagar.

I urge upon the Government of India to take up these projects and make Telangana a tourist destination.

(xiv) Need to increase the honorarium of teachers and helpers engaged in Child Welfare Scheme

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): I would like to place before the House the serious problems of our teachers and helpers working under the Child Welfare Scheme. This Scheme was introduced by the Central Government to look after the children and to nurse them. There were thousands of such centres known as creches throughout the country. The honorarium given to the teachers is Rs. 1260/- and the helpers Rs. 800/- per month. They are really doing voluntary service to our nation. The State Governments are not in a position to increase the honorarium without the financial assistance of the Central Government. At present, this meagre amount is met by the State Governments.

So, I urge upon the Government to sanction financial assistance to increase the honorarium of teachers and helpers of this scheme.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri P. Srinivasa Reddy – not present.

(xv) Need to take stringent action against quacks and doctors indulging in unethical medical practices in the country.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, फर्जी डिग्री वाले चिकित्सकों का पेशा देशभर में निर्बाध गति से चल रहा है। इस संबंध में कई बार समाचार-पत्रों में छप चुका है। यह मामला देश की 120 करोड़ जनता के जीवन से जुड़ा हुआ है। फिर भी गांव से शहर तक के अस्पताल एवं प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद नर्सिंग होम एक्ट का कारगर नहीं होना, राष्ट्रीय प्रत्यानन बोर्ड का प्रयोगशालाओं पर अंकुश नहीं होना, चिकित्सक का अनावश्यक एवं ऊँची कीमत की किसी खास कम्पनी की दवा लिखने के साथ-साथ अनावश्यक अत्यधिक जांच लिखना, जांच में कमीशनखोरी, महिला मरीज के साथ शारीरिक शोषण के अलावा चिकित्सक के द्वारा अधिक एवं बार-बार फीस वसूलना एवं अन्य प्रकार की समस्या जो स्वास्थ्य से जुड़ी हैं एवं जानलेवा बीमारी जैसे कैंसर, किडनी, लीवर आदि बीमारियों का निःशुल्क इलाज (खासकर गरीब, दलित, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) तथा करीब पांच महीने पहले एक न्यूज चैनल के स्टिंग ऑपरेशन के आलोक में कहा गया था कि रोकथाम के लिए एक कमेटी बनायी जाएगी तथा एम.सी.आई. इंतजार कर रही है कि सरकार इस पर रोकथाम के लिए क्या कदम उठा रही है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में अविलंब ठोस कदम उठाए जाएं एवं अन्य आयोगों की तरह एक ऐसे आयोग की स्थापना की जाए, जिसे स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारी हो एवं स्वास्थ्य से जुड़ा कोई भी अवैध कार्य करने वाले व्यक्ति, संस्था एवं कंपनी पर तुरंत कार्रवाई करने का अधिकार हो।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैकैय्या नायडू) : सर, पप्पू यादव जी विषय को ले कर इतना अच्छा बोले हैं। वे यही काम हरेक दिन कर सकते हैं। हमें समझ नहीं आता कि वे क्यों हंगामा करते हैं। ... (व्यवधान)

14.34 hrs

REPEALING AND AMENDING (SECOND) BILL, 2014 – Contd.

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, we will take Item No. 12.

SHRI M. VEERAPPA MOILY (CHIKKABALLAPUR): Mr. Deputy Chairman, thank you very much for providing an opportunity for me to speak on this important Bill with regard to the repeal of certain enactments and to amend certain other enactments.

In fact, this exercise has been undertaken from time to time. I have a little problem on this. You may kindly recall that in the Monsoon Session, we passed a similar Bill covering about 35 enactments with amendments. It has been referred to the Standing Committee. It is being examined with reference to certain decisions given on the same subject by the Supreme Court. Instead of rushing through in passing the Bill here, which may be sometimes an unnecessary exercise and taking away the precious time of this House, maybe this can also be referred to the Standing Committee. This could be taken up together with the report of the Standing Committee on those 35 enactments passed in the Monsoon Session. This is the more appropriate way of taking up a matter like this.

I made an enquiry with the status of that Report also. I think, it is still under consideration and they have not yet finalised the Bill. I do not know whether this has been recommended by the Law Commission or by a Review Committee. If any one of these bodies has recommended this, perhaps, the entire text of the Report could have been made available to this House. Just bringing a skeleton of a list and presenting it, will be quite an elaborate exercise for all the hon. Members to go through the merit of each case. Sometimes, we may have to blindly approve this Bill and send it. It is very risky. Sometimes, the law may be blind, but Members cannot be blind. I think, we need to make a serious exercise on a matter like this so that we do not regret for any mistake tomorrow.

There are very important matters on a matter of principle. For example, long back, when our Government was there, we had referred to the Law Commission to enact a Law of Torts, which is a necessary enactment. The Supreme Court or the Courts pass judgment on the basis of certain verdict from the Supreme Court of the US or the British law. That is how our case, particularly relating to the victims of the Bhopal Gas Tragedy suffered. They proceeded for two years. They failed there for want of jurisdiction. They came here because the headquarters of that corporate entity is in US. Ultimately, they had to arrive at some compromise which worked to the detriment of the victims of the Bhopal Gas tragedy. That is why, even now it is unresolved. I think, the Government should be very careful. We should ask the Law Commission to apply their mind on an urgent basis, come out with a draft law on torts which is a must for any civilised society. It is just now available. I would request the Law Ministry and also the Government to ensure that they ask the Law Commission to come out with a report on an important enactment like the Law of Torts.

Another point which I started examining as Law Minister earlier was at various stages of consideration and I would like to know the status of that today. That is about sensitising of our laws on the principle of gender equality. Many of our laws are not sensitive to gender. There is a law for one gender and there is a different law for another gender. Ultimately it results in abuse of law as a result of which people suffer. I think it should be on the top of the agenda of the Government and this Parliament to ensure that all our laws are made gender sensitive.

Section 377 of the Indian Penal Code was considered by the Supreme Court and again the hon. High Court of Delhi considered and it unfortunately restored it to the statute book. Laws are ideally made or unmade by the Government, not the judiciary. The burden of deciding the validity of Section 377 of IPC had to be entertained only because legislatures have not reviewed it since it was passed in

1861. This is again a matter which requires the urgent attention of the Government and Parliament.

We have a lot of flab, no doubt, in our legal tomes. For instance 43 years after the abolition of Privy Purses, there is a law which still requires a police official to appear bareheaded before royalty. The Indian Treasure Trove Act makes it criminal to fail to inform the District Collector in writing of the discovery of the treasure of value exceeding Rs.10. Many such laws continue to operate even now. The law regulating dead industries like the Bengal Indigo Contracts Act still exists. And the Concurrent List duplicates legislation at the Central and State levels.

I am told that the Government has identified as many as 1,300 laws for repeal. I think they have been very slow on this. When a law becomes trivial and defunct it will have to go out of the statute book. In fact, we need to have a total status report on what has happened on this front and at what stage some of these things are pending.

A March 2002 Government statement on the progress in abolition of dated legislation reveals that out of the 1,382 laws recommended for repeal, 700 pertain to Appropriation Acts. We are yet to take a decision on them. Once the Appropriation Act is passed, we simply maintain them, they become outdated but they are still in the statute book. Of these, 114 Central Acts relate to State Subjects, 166 Central Acts include 11 prenationalisation Acts and 20 validation Acts, 11 relate to British statute still in force, 17 relate to wartime permanent Ordinances, 35 reorganisation Acts, 12 laws applicable to High Courts, and 12 personal laws. I do not think some of these things should continue to exist. They should be repealed in one go. We also have even Macaulay's Law on Indian Penal Code and many such things. They require total review, total restructure. We need to go in for a change. Otherwise, people will suffer because of this. We need to work on this and the Government should give a comprehensive reply on what is happening. The World Bank has gone into many of the aspects with regard to law



enforcement and the existing laws. In World Bank's report of 2004 and even earlier report of 1997, they conducted a survey and after assessing the views of 3,600 firms in 69 countries they found that more than 70 per cent respondents felt that judicial credibility is a big factor for investment in any country and for quarter of the variations in per capita income growth among developing countries. So, the time has now come when the judiciary or the laws should not become obstructive, rather they should become facilitators.

I would like to say a few things about commercial cost. The previous Government passed the Bill. When we say doing business in this country is difficult and there are a number of obstructions, we need to definitely restructure many of our laws. Also, the judiciary should be proactive and ensure that it should not be an obstacle in ensuring investment in this country. No doubt, laws should be retired precisely as they are made, routinely and continuously. They should make automatic route for exit whenever they become irrelevant. We need to work on this system in a thorough way. You should not bring piecemeal bills as we have done in monsoon session, as we are doing in winter session and many other Bills, Acts and amendments are still hanging fire. I think this is a very serious issue. The Government should have a very comprehensive approach to avoid crapping up hundreds of outdated laws. We should wait for the Standing Committee to come out with a report so that they may lay down certain standards, formulas and ultimately we can get into that kind of an automatic route. We do not know what suggestions or recommendations will be given by the Standing Committee so that ultimately we can have clarity on this and comprehensively come out with a solution to the problem which is just hanging even today.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Hon. Deputy Speaker, with regard to Repealing and Amending Bill 2014, let me first place what is the object and reasons of the enactment. The basic necessity of the object was that the Acts mentioned in this schedule have become obsolete and exercise of different steps. Now the question arises as to why they have become obsolete. In our country, there is no dearth of law. Various laws are there, but unfortunately, the agencies which have been assigned by the Act to discharge their duties, are not discharging their duties. A vibrant law has been turned into an obsolete law just because of non-implementation of the legal provisions by the agencies which have been assigned. That is not done within a day or two. It is because decades after decades, the authorities have not discharged their duties and the laws have become obsolete. So, while we are taking steps for repealing the Bills, simultaneously, it is the responsibility of the Central Government to look into whether the provisions of all the existing Acts are being implemented within appropriate time and executed properly or not. That would be the benevolent object, if we really go by the Statutes which have been enacted by Parliament.

In Parliament, we only legislate laws and send them. But it is the duties and responsibilities assigned to the Government agencies and the officers to implement the same. I will request the hon. Law Minister, when he has come up with this, to please put up a mechanism through which he can ensure that the legal provisions are implemented.

I will give only one example. Prior to Independence and after Independence, the Code of Criminal Procedure is there. Section 154 is there and simultaneous provision was also there before the 1973 Act. After long years, the Supreme Court said that when there is a cognizable offence made on a complaint in a quasi-Constitutional Bench, arising out of the Lalitha Kumari's Uttar Pradesh case, then the FIR is mandatory. Why? It is the responsibility of the executive agencies to see that the law is being implemented.

Another reason to bring in this law is the defect in drafting. It is very unpleasant for the legislature to hear, outside Parliament, criticism by the court of law that the drafting is very bad. Why should it be done like this? Why should the Supreme Court repeatedly criticize the law-makers because of poor and bad drafting of laws? Why should the Supreme Court repeatedly interpret the doctrine of *Casus omissus* for the fault of drafting of the law? I will request the hon. Law Minister that henceforth, he may personally look into the drafting of the law because he has brought the amendment – some of the amendments by this Bill itself – because of defect in drafting of the law.

That law does not remain in an island. The law has to be enacted on the basis of the requirement of the country. Please do not enact any law only because of the desire of an individual. Individual may come and go. Otherwise, when an individual goes, the law again becomes obsolete. So, feel the need of the enactment of the law on the basis of the necessities of society. Then only there should be an enactment of law.

I will say that we have the Law Commission, which examines different provisions of enactment of law. Is the Law Commission very effective to deliver the goods? I have no disrespect for the Law Commission. It consists of very senior judges.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Please address the Chair.

SHRI KALYAN BANERJEE : I am not addressing you. Why are you disturbing me now? You have become the Minister now. What I have to do, I know. Please listen.

Sir, please see how the Minister is behaving! ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: You may please address the Chair.

... (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE : This is the way the Minister is behaving.

Unfortunately, he has gone beyond. ... *(Interruptions)*

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: He should address the Chair. ... *(Interruptions)*

SHRI KALYAN BANERJEE : He should teach his own Members. ...
(Interruptions) This is what the Minister is doing. ... *(Interruptions)*

HON. DEPUTY SPEAKER: Okay, please address the Chair.

... *(Interruptions)*

SHRI KALYAN BANERJEE : Since the Cabinet Minister for Parliamentary Affairs is not remaining here, these things happen and because of Ministers like him, the Parliament does not function! ... *(Interruptions)* I do not have disrespect for the Members of the Law Commission but the Law Commission has to be more effective.... *(Interruptions)*

SHRI S.S. AHLUWALIA (DARJEELING): What he said, Sir, you may go through the record.... *(Interruptions)*

HON. DEPUTY-SPEAKER: Any aspersion will not go on record.

(Interruptions) ... *



HON. DEPUTY-SPEAKER: Please address the Chair.

... *(Interruptions)*

HON. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

... *(Interruptions)*

HON. DEPUTY-SPEAKER: Ahluwalia ji, please take your seat. There should be no arguments.

... *(Interruptions)*

SHRI KALYAN BANERJEE : I have respect for the Law Commission....
(Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: You address the Chair.

... *(Interruptions)*

* Not recorded.

HON. DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) ...**

HON. DEPUTY SPEAKER: Except the relevant matter, nothing will go on record.

... (Interruptions)

SHRI KALYAN BANERJEE : I have all respect for the Law Commission....
(Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Have you finished?

SHRI KALYAN BANERJEE : No, Sir, I have just started. You please bring the House to order. The Minister is roaming from here to there. *

HON. DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) ...**

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir, he has taken my name.... *(Interruptions)*

SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, I do not mind if they create obstruction. I can create obstruction any moment in every speech. What is this? *

HON. DEPUTY SPEAKER: I am not allowing all this to go on record. Please take your seat.

... (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) ...**

HON. DEPUTY SPEAKER: I do not want this kind of an argument.

श्री कल्याण बनर्जी : आपको लगाना होगा, ...(व्यवधान) *

HON. DEPUTY SPEAKER: I am on my legs. Please sit down. We are seriously discussing the Amendment Bill. You may have grievance but arguing like this is not good on the part of both the Members. I will control the House. I am here but

* Not recorded.

if you go on fighting like this how can I conduct the House? I cannot allow both of you argue like this. I am very sorry for what is going on in the House. It is not correct. I will not accept this kind of arguments going on in the House. Whatever arguments have been made will not go on record. Only relevant part spoken with regard to the Bill will go on record. Please continue now.

SHRI KALYAN BANERJEE : I was saying that I have no disrespect for the Members of the Law Commission but the Law Commission has to be made more efficient, more effective. The Reports of the Law Commission... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: I have given the ruling. All those arguments made will not go on record.

*(Interruptions) ... **

HON. DEPUTY SPEAKER: This is the Parliament. This is not West Bengal Assembly. All of you please take your seats. I have already expunged those things. Please take your seat

SHRI KIRTI AZAD (DARBHANGA): He should say sorry for what he has said.... (*Interruptions*) My request is that the Parliament should not be used as a medium for using language which should not be used here. That is all. What he is speaking is very good but my only request is that he should not use that kind of language which he has used.

HON. DEPUTY SPEAKER: I have already told that this will not go on record.

15.00 hrs.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): If he has said anything un-parliamentary the Deputy-Speaker will take note of it... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: You may complete your speech.

SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, I have all respect for the Members of the Law Commission but the Commission has to be made more effective. It has become ineffective. The Reports of the Law Commission should be made available, at least to the Parliament, to understand the things.

* Not recorded.

There should be a mechanism for review with regard to the implementation of law. Very recently an amendment has been made in the month of August with regard to SEBI but I would like to know why those provisions have not been implemented. The broad object of bringing an amendment is to implement the new provisions otherwise the law will become obsolete. The service-oriented laws should be publicized. If the service-oriented law is not publicized it is of no significance. The results of the Consumer Protection Act have been very good as it was publicized a lot. The public has become more cautious of this Act. All the pre-independence law, like the Indian Penal Code or the Police Act, need to be reviewed as they were drafted long back. The time has come to think about it. The Ministry should undertake this exercise as I do not think such Acts are required any more now.

Sir, I expect the Ministers, like Shri Rudy, to listen to us.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir, this is the first time he has the taste of his own pill because this is exactly what he has been doing in the House all through these days.

Secondly, my only submission was that he should address the Chair and not the Members. This is what I was trying to correct. He should learn through times how to perform in the House ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: It is all right. It is over now.

Shri Dushyant Chautala.

... (*Interruptions*)

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ... (व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Nothing is going on record.

*(Interruptions) ...**

श्री दुष्यंत चौटाला : मैं यहां रीपिलिंग और अमेंडमेंट की बात करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यही अपील करना चाहता हूँ कि इंटरस्टेट वाटर डिसप्यूट्स के लिए सरकार द्वारा ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। ट्रिब्यूनल्स के तहत हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के लिए रावी-व्यास वाटर ट्रिब्यूनल वर्ष 1986 में बनाया गया और वर्ष 1987 में दोबारा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत उसका गठन हुआ। आज तक उसके तहत हरियाणा प्रदेश को उसके हिस्से का पानी नहीं मिला है। पिछले दस सालों में हरियाणा ने दिल्ली को 1000 क्यूसेक से ज्यादा पानी दिया है, फिर भी हमारे किसान सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बैठे हैं। मैं मंत्री जी से अपील करूंगा कि वाटर ट्रिब्यूनल को इतनी अथॉरिटी दें ताकि लंबे समय से पड़े हुए कावेरी वाटर डिसप्यूट, कृष्णा वाटर डिसप्यूट और कावेरी-व्यास वाटर डिसप्यूट का जल्द से जल्द समाधान हो सके। ... (व्यवधान) जल्द से जल्द इनका समाधान कर, भारत के कोने-कोने तक पानी पहुंचाने का काम करें। ... (व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: I am here. I will take care of it. Please wind up now.

श्री दुष्यंत चौटाला : पानी एक बहुत अहम चीज है और आज अधिकतम क्षेत्रों में पानी की किल्लत है। ... (व्यवधान) जहां हम शुगर डैवलपमेंट फंड की बात करते हैं, हरियाणा का अधिकतम हिस्सा शुगरकेन की क्रॉप उगाता है। हम दूसरे देशों से शुगर इम्पोर्ट करते हैं जिसके कारण हरियाणा के किसानों की समय पर न गन्ने की बिक्री होती है और न ही उन्हें चीनी के सही दाम मिलते हैं। मैं अपील करूंगा कि शुगर डैवलपमेंट फंड के तहत एक ऐसा कानून बनाने का काम किया जाए जिससे हमारे किसानों के लिए समय पर पैसों का प्रावधान हो।

* Not recorded.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां अंग्रेजों के जमाने के और उनके बाद से कई कानून विद्यमान हैं। कई बार कानून बनाने के बारे में संशोधन लाया गया। समय, पात्र और काल के अनुसार कानून हमेशा चेंज होता है। समाज में हर बात को समय, पात्र और काल के अनुसार देखा जाता है, समाज में कोई न कोई अमेंडमेंट आते हैं, तो कानून को भी उस दृष्टि से देखा जाना चाहिए। जब नेहरू जी आए थे, उस बीच सरदार पटेल द्वारा हस्तक्षेप करके आईएफएस से आईएएस नई पद्धति लागू की गई। कलैक्टर राज, पुलिसिया राज आदि जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया, उस पर नेहरू जी की व्यापक समाजवादी सोच थी। सरदार पटेल ने उस बीच हस्तक्षेप किया तो बहुत सारी चीजें तब से आज तक बनी हुई हैं।

मैं दो मिनट में कुछ बातें कहना चाहता हूं। कई कानून आए जो प्रभावकारी, प्रभावशाली हैं। लेकिन जब कानून प्रभावशाली व्यक्ति के हाथ में चला जाएगा तो क्या वह आम गरीब व्यक्ति, समाज के कमजोर लोगों का कानून रहा या मुट्ठीभर और पूंजीपतियों लोगों के हाथ में रह गया। क्या वह नौकरशाह के हाथ में रह गया? आज अंग्रेजों का राज चला गया, लेकिन नेहरू जी के जमाने से कलैक्टर राज, पुलिसिया राज, सीओ राज, बीडीओ राज है। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बार-बार पुलिस के सिस्टम को चेंज करने, उसमें व्यापक बदलाव लाने के बारे में कहती है। ... (व्यवधान) मेरा इस कानून के माध्यम से आपसे दो-तीन बिन्दुओं पर आग्रह है। एक, हिन्दुस्तान में अंग्रेजों के जमाने से जो कलैक्टर राज की स्थापना है, क्या आप ऐसा कोई कानून लाएंगे जिससे आम राज कायम हो, कलैक्टर राज, पुलिसिया राज समाप्त हो? ... (व्यवधान) दूसरा, आप जो कानून बनाते हैं और न्यायालय द्वारा उसका इंटरप्रिटेशन होता है, आज तक देखा गया है कि हिन्दुस्तान के इतिहास में आम आदमी को पूरा न्याय नहीं मिलता। क्या ऐसा कोई कानून होगा जिसमें गरीब लोगों, आम व्यक्ति, दलित लोगों के लिए न्याय की संभावना होगी? ... (व्यवधान)

मैं दो मिनट में कुछ नहीं कह सकता लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने समाज की संरचना देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए की थी, आम आदमी के लिए कानून लाने का काम किया जाए।

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): Sir, while this House is discussing the Repealing and Amending (Second) Bill, the Departmentally-Related Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice is having its meeting tomorrow for the discussion and consideration of a report to be submitted before this august House.

So, I would like to submit before the hon. Minister that while a Standing Committee has been entrusted with the job of going through the issues, the Government is insisting that this House should consider and pass this Bill. My humble submission is that this Bill may not be discussed *in toto* and should not be passed in the House today itself. It is because in our Parliamentary system, there are 24 Departmentally-Related Standing Committees and they have a function to discharge. We have to trust the wisdom of the Standing Committees. While taking part in this discussion on the repealing of all these old amending Bills which have become redundant, I agree with our learned Minister in this. Shri Veerappa Moily ji had initiated the discussion on this Bill, he also was a former Minister. Our law making process should cater to the needs of the day. But what happens is that something is being done today but the effect of it is felt after eight or ten years.

I was a practising lawyer and I never wanted to go to court either as an accused or as a witness but I went to court because it was my daily bread and since I was a lawyer. Now, the criticism is that our judiciary has become a casino judiciary. At the same time, the people have a feeling that the law-makers have become the law breakers. If the people lose faith in this House, if they lose faith in the Judiciary, then the whole system will crumble down. I will cite an example. We are carrying on with all the imperialist and colonial baggage with us. In CrPC a thorough re-vamping has to be done. I would like to ask the hon. Minister, what is the position of the Government in respect of Euthanasia? What is the stand of the Government in case of right to suicide? There have been conflicting views by the Judiciary itself. If we have a right to life, then there is a right to commit suicide also. If nobody wants my life, I may like to end my own life. But the Government

is taking criminal action against a person who tries to commit suicide. There are many countries which have legalised Euthanasia also. We are not even in a position to give protection to the witnesses also in many cases, recently, even after Shri Sadanand Gowda ji had taken over as the Law Minister. It might have come to the notice of the hon. Minister also after he had taken charge. Some of the victims, including the rape victims, are coming before the court and say that they did not want to proceed with criminal action. They did not want to continue with the legal action and they say that whatever has happened has happened and that their lives have been spoiled and that they are now a victim of the whole society. They also say that once they were victims of one man or a group of men, now they are a victim of the whole society. Such a ridiculous thing happens here. My humble submission is that we should have a thorough and a definite introspection regarding the validity of these laws and the male chauvinistic approach in almost all these laws, including the criminal laws and the civil laws should be done away with.

We should have a thorough discussion with the Bar Council of India and the Bar Associations. Even the Constitution of Canada was drafted only after having discussions and deliberations with the Bar Council of Canada. Here we are not taking our lawyers into confidence.

I hope, our beloved hon. Minister will take the issues raised by the hon. Ministers in this House and my humble submission before him is that it is true that we need such a legislation, but today if the Standing Committee is going to meet and they are going to take evidence, in accordance with the instructions given by you or by the Chairman of the other House, this is not proper to pass such a Bill here.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI D.V. SADANANDA GOWDA): Hon. Deputy-Speaker, Sir, the former hon. Law Minister, Shri Veerappa Moily ji mentioned that this Bill should be referred to the Standing Committee. I think, my learned friend will make a difference between the earlier Bill which was presented and the present Bill. In the earlier Bill, out of 36 Acts, there were four principal Acts. As far as this Bill is concerned, there are no principal Bills, only the amending Bills are taken into consideration. Hence, if there were any principal Acts, then what was suggested by him about referring this Bill to the Standing Committee, it would have had some value. But here, there is no principal Act. Altogether, these are all Amendment Acts. It is said by the Law Commission that these are obsolete and redundant and so, they should be taken away.

I would like to place on record a small observation made by the Law Commission. On the need for formal repeal, the Law Commission has observed that the statutes, unlike human beings, do not die a natural death, with the possible exception of statute whose life is pre-determined by the Legislature at the time of their enactment. A statute, unless it is expressly enacted for a temporary period, survives until it is killed by repeal. To this extent, statutes enjoy immortality. Taking out obsolete laws from the Statute Book can be achieved only by a formal repealing Act.

All hon. Members said that all these Acts, which are dead Acts, need to be taken away from the Statute Book and thereby the confusion in the whole system can be avoided.

I want to make a small reference to the observation made by the hon. Members. Every Member has appreciated and has welcomed it that this needs to be done. One of the hon. Members said that updation of the website needs to be done. We are having a small group constituted for updating and monitoring the website on a regular basis and it will be taken care of.

One hon. Member asked as to when will the Bill come into force. The provisions of this Bill will come into force after the Bill is passed by both the Houses and gets the assent of the President under article 111 of the Constitution. So, it will come into force as soon as it is approved by both the Houses and assent is given by the President.

Some hon. Members including Shri Veerappa Moily observed that many Appropriation Bills are pending. The Law Commission has recommended to repeal nearly 2000 obsolete Acts. Of course, we are working on it. I am also making an effort to bring another comprehensive Repealing Bill which will consist more than 700 Appropriation Acts including the Railway Appropriation Bill. It is ready and I am going to bring it.

Another hon. Member expressed concern over the increasing number of the pending cases and their resolutions. Of course, the Government is working on it. We are going to bring certain amendments to the Arbitration Act, Motor Vehicles Act and Negotiable Instruments Act so that the pendency will get reduced as more than 30 per cent of the cases comes under these three Acts.

One of the hon. Members on the other day expressed his view that regional languages also should be used in the High Courts and Supreme Courts. Everybody knows that under the provisions of Article 348, English language has to be used in the Supreme Court and High Courts. However, in the District Courts, regional languages are being used.

I agree with my learned friend that there are several laws which have been enacted since 1935. They are in force and are creating some administrative problems thus hindering the development of the process. Of course, we are also working on it. In the coming days, it is the vision of the hon. Prime Minister to see that all obsolete laws which are almost dead laws should be taken away from the Statute Book. So, this is one exercise in that direction.

So, I pray the House that this Bill may be passed.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That the Bill to repeal certain enactments and to amend certain other enactments, be taken up for consideration.”

The motion was adopted.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

“That clauses 2 to 4 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

The First Schedule was added to the Bill.

The Second Schedule was added to the Bill.

Clause 1

Amendment made:

Page 1, line 2, *omit*,--

“(Second)”. (1)



(Shri D.V. Sadananda Gowda)

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That clause 1, as amended, stand part of the Bill”.

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

The Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The Minister may now move that the Bill be passed.

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: I beg to move:

“That the Bill, as amended, be passed.”

HON. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill, as amended, be passed.”

SHRI M. VEERAPPA MOILY: Hon. Deputy-Speaker, I heard our hon. Minister saying that the earlier Bills pertain to repeal of the principal Acts and that this is not the repeal of principal Acts. He said many of these are Amendment Acts.

As you know, the word 'socialist' was introduced in the Constitution through an amendment. So, if such crucial words like 'socialist' are removed, then what happens? I think this is quite dangerous. I think they are relying on the Supreme Court decision and they are misinterpreting the Supreme Court decision. The Supreme Court has only asked for removal of 'deadwoods'.

If you do this indiscriminately, then even the live ones will be repealed. So, I think it is totally mistaken. This amounts to totally sabotaging the Standing Committee. When other Bills have been referred to the Standing Committee where they are under serious consideration, what is the hurry in pushing through this Bill?

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: Hon. Deputy-Speaker, the last Bill which was moved, includes four principal Acts. But as far as this Bill is concerned, no principal Act is there. Only Amendment Acts are there. It has been clearly observed by the Law Commission that these are absolutely obsolete and redundant.

DR. A. SAMPATH : I agree with what the hon. Minister has stated. But there is a point of disagreement because while adopting the Constitution, it did not have the words 'sovereign socialist secular democratic Republic'. It was brought in through an amendment during the regime of Shrimati Indira Gandhi. At the time of Constituent Assembly, these words were not there. There may be certain lacunae and discrepancies if we are going to pass this Bill in a haste. Through this even the Constitution of India can be changed.

The Minister and the Government of India say that they are only repealing the amendments and that they are not touching the parent Acts. So, by this Constitution of India can be changed. Such things can happen here also. The Standing Committee is holding its meetings and painstakingly collecting the

evidence also. The Standing Committee has already fixed a meeting and issued notices for the meeting tomorrow for collecting evidence from various Secretaries to the Government of India. At the same time, just 24 hours before, this House is discussing this Bill and it is going to pass this Bill by voice vote. I may be permitted to express my disagreement because as a Member of that Standing Committee from this House, I cannot agree with this because I have to uphold the dignity of the House and the rights of the Members sitting that side and this side also. This is the privilege, this is the right and this is the power of the Members of Parliament. So, my humble submission is that, please do not infringe upon the powers of Members of Parliament.

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: There is a difference between the principal Act and the Amendment Act. Here only Amendment Acts have been brought in. Earlier, the Bill which was referred to the Standing Committee, included four principal Acts. There were some discussions regarding those four principal Acts. On that basis, it was referred to the Standing Committee. This Bill does not contain any principal Act. It need not be referred to the Standing Committee.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That the Bill, as amended, be passed”.

The motion was adopted.



15.25 hrs

**DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY
GRANTS(GENERAL), 2014-15**

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, the hon. Minister Shri Arun Jaitley to present the Supplementary Demands for Grants (General)

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, I beg to present a statement (Hindi and English versions) showing Supplementary Demands for Grants in respect of the Budget (General) for 2014-2015.

15.26 hrs

**PAYMENT AND SETTLEMENT SYSTEMS
(AMENDMENT) BILL, 2014***

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Payment and Settlement Systems Act, 2007.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to amend the Payment and Settlement Systems Act, 2007.”

The motion was adopted.

SHRI ARUN JAITLEY: I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 08.12.2014.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Sir, you will agree that the matter regarding the inhuman attitude exhibited towards the CRPF jawans in Chhattisgarh was raised in the morning ... (*Interruptions*) The hon. Home Minister wanted to make a Statement. Because of some other issue, he did not make it. Kindly ask him to make the Statement. Otherwise, this will continue tomorrow also. Today, they have raised it. He also agreed to it.... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Sir, you may rightly recall, a few days ago, when the incident took place in Chhattisgarh, the hon. Home Minister had come and made a *suo motu* Statement.... (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): That is not the issue. That was about the incident *per se* ... (*Interruptions*)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: What are you talking about?... (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL : In the morning itself, we tried to move an Adjournment Motion regarding the inhuman attitude exhibited towards the CRPF Jawans. That is a serious thing.... (*Interruptions*)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: As far as that issue is concerned, the hon. Home Minister was here. If this is the desire of the House, we will bring it to his kind notice.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Sir, anyway, he agrees to it.

HON. DEPUTY-SPEAKER: That is why, he is telling. He is going to convey this to the hon. Minister. He will come here.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : With this assurance, I will sit down.

HON. DEPUTY-SPEAKER: All right.

15.26 ½ hrs.

DISCUSSION UNDER RULE 193

Natural calamities in various parts of the country-Contd...

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House will take up Discussion under Rule 193 on natural calamities. I call Shri Keshav Prasad Maurya to speak on Natural Calamities.

श्री केशव प्रसाद मौर्य (फूलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 193 के अंतर्गत चर्चा में शामिल का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज ओडिशा और आन्ध्र प्रदेश में आये हुए तूफान के लिए यहाँ पर चर्चा शुरू हुई है। जब से देश में माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से देशवासियों को भरोसा है कि अगर उन पर कोई संकट आता है तो निश्चित तौर पर संकट मोचक के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी सरकार खड़ी होती है। इसे साबित भी किया गया है। चूंकि मैं उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोक सभा क्षेत्र से आता हूँ, देश के अंदर बाढ़ की समस्या आती है, मैं उस पर आपके सामने अपने विचार रखना चाहता हूँ।

15.27 hrs.

(Prof. K.V. Thomas in the Chair)

अभी पिछले दिनों जब हुए तूफान आया था, उस समय निश्चित रूप से ओडिशा और आन्ध्र प्रदेश उससे प्रभावित थे, लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश भी उससे प्रभावित हुआ था। उस तूफान के कारण उत्तर प्रदेश में वर्षा और तेज हवाओं के कारण किसानों की लाखों बिघे फसल बर्बाद हुई थी, लेकिन उस समय किसानों के लिए कोई राहत की व्यवस्था नहीं की गयी थी। आज देश में जिस प्रकार से ये समस्याएँ खड़ी हो रही हैं, वे शायद न खड़ी होतीं, पूर्व जो यू.पी.ए. सरकार थी, जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार थी तो उस सरकार ने नदियों को जोड़ने की एक योजना शुरू की थी। उस योजना को पिछली सरकार ने ठण्डे बस्ते में डाल दिया और उसके कारण जहाँ हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ में डूब जाता है, वहीं दूसरी ओर देश का बहुत बड़ा हिस्सा सूखे की चपेट में आ जाता है। मैं एक किसान परिवार से संबंध रखता हूँ, इसलिए किसानों की समस्या को मैं समझता हूँ। किसानों की तीन प्रकार से हानि होती है। कभी बाढ़ के कारण और कभी सूखे के कारण हमारा किसान आजादी के 68 साल बाद भी आज इस स्थिति में है कि अगर अपने बच्चों को पढ़ाना हो तो खेती के माध्यम से वह अपनी जरूरत को

पूरी नहीं कर सकता है। गांवों में बैठा हुआ किसान अन्य अनेक संकटों का सामना करता है। मेरे फूलपुर लोक सभा क्षेत्र में दो तहसीलें - फूलपुर और सोरावं, जो ग्रामीण क्षेत्र के हिस्से हैं, उन दोनों तहसीलों में सैकड़ों ऐसे गांव हैं जो पिछले वर्ष आई बाढ़ के कारण टापू के रूप में परिवर्तित हो गए थे। नदियों के किनारे बांध के निर्माण की आवश्यकता है। इलाहाबाद शहर में कुम्भ मेला का क्षेत्र है, वहां गंगा-यमुना पावन नदियों का संगम है, वहां पर छः वर्ष में अर्धकुम्भ और बारह वर्ष पर महाकुम्भ का आयोजन होता है और दुनिया का सबसे बड़ा मेला वहां लगता है। उस मेला क्षेत्र में आने वालों की बहुत भीड़ होती है। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गंगा और यमुना जी के दोनों तरफ बांध का निर्माण करके कुम्भ मेले में आने वाले करोड़ों भक्तों की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इलाहाबाद जैसे ऐतिहासिक शहर के सलोरी, राजापुर, भारद्वाजपुरम, दारागंज, बरूआघाट, सैदपुर, बक्शीमोढ़ा, ढोकरी, ककरा, कोटवा, झूंसी, कोहना आदि इलाके पिछली बाढ़ में डूबे हुए थे। नदी पर एक बांध के निर्माण का काम वर्ष 1977 में शुरू हुआ था, उसे थोड़ी दूर तक बनाने का काम हुआ, लेकिन उसके बाद से वह ठप पड़ा है। जब मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा का सदस्य था, मैंने प्रदेश सरकार को भी इस संबंध में लिखा था, लेकिन प्रदेश सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वहां लीलापुर नाम का एक गांव है, बाढ़ के समय मैं वहां गया था, वह गांव एक टापू के रूप में परिवर्तित हो गया था। आज किसानों की स्थिति इतनी बदतर है। कभी कहा जाता था - उत्तम खेती, मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी, भीख निदान। आज किसान भिखारी से भी बुरी दशा में पहुंच गया है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि किसानों की समस्या पर ध्यान दिया जाए। उत्तर प्रदेश में बहुत देर में 40 जिले सूखाग्रस्त घोषित किए गए, जब केन्द्र सरकार ने योजना की घोषणा, लेकिन उसमें इलाहाबाद को शामिल नहीं किया गया। वहां कई लाख बीघे जमीन के सूखे से प्रभावित होने के कारण धान की फसल नहीं हो पाई, बिजली नहीं आने के कारण सिंचाई नहीं हो पाई और वर्तमान में भी रबी की बुआई का समय है, लेकिन वहां की नहरों में पानी नहीं है।

महोदय, कभी बाढ़ के कारण हमारे किसान नुकसान का सामना करता है और कभी सूखे के कारण नुकसान उठाता है। बाढ़ और सूखे के कारण इस देश में जो संकट आया करता है, उससे मुक्ति के लिए निश्चित रूप से कोई नई प्रकार की योजना तैयार करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम भ्रष्टाचार-मुक्त और गरीबी-मुक्त भारत की ओर बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में भारत प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है, उसी प्रकार किसानों के हित में मेरी मांग है कि उनके लिए अलग से एक व्यवस्था बनाई जाए। आज मुआवजे की जो राशि निर्धारित की गयी है, वह बहुत कम है। बाढ़ के दौरान किसानों के मकान ढह जाते हैं, लेकिन मुआवजे के रूप में किसी को 500 रुपये और किसी को 5000 रुपये दिए जाते हैं। मैं मांग करता हूं कि अगर बाढ़ से किसी का मकान गिरता है, तो उसे आवास

देने की व्यवस्था की जाए। अगर किसी किसान की एक बीघे फसल डूब जाती है तो उसे कम से कम 50 हजार रुपये मुआवजे के रूप में देने की व्यवस्था की जाए। नदियों के किनारे रहने वाले बहुत से माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, जब बाढ़ आती है तो लाखों बीघे जमीन कटकर नदियों में चली जाती है। मेरे क्षेत्र में ककरा-कोटवा ऐसे गांव हैं, जहां की लाखों बीघे जमीन गंगा जी में लगभग सात-आठ वर्ष पहले समा गयी। कब वह जमीन वापस आएगी, पता नहीं है, लेकिन उस समय तक उन किसानों का परिवार कैसे चल रहा होगा। इसलिए मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि जिनकी जमीन किसी नदी में समा जाती है, जब तक वह जमीन नदी से वापस नहीं मिलती है, तब तक उनको प्रति एकड़ कम से कम 50 हजार रुपये मुआवजे के रूप में देने की व्यवस्था की जाए, खेती का बीमा कराया जाए जिससे किसान की क्षति की पूर्ति हो सके।... (व्यवधान)

मैं केवल एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं गांव से आता हूं। इस देश के किसानों की स्थिति सांसद महोदय जानते हैं। वह मेहनत करता है, खेती में अनाज पैदा करता है, लेकिन उस अनाज को वह खा नहीं पाता है। अच्छी सब्जी उसके खेत में पैदा होगी तो वह बाजार में बिकने के लिए चली जाती है और जो बाजार में बिकने लायक सब्जी नहीं होती है वह किसान और उसका परिवार खाता है। ऐसे किसानों के हित में आज मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि कोई नयी योजना बनाकर के किसान को राहत पहुंचानी चाहिए। धन्यवाद।



SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Mr. Chairman, Sir, we are all familiar with the natural disasters which have become a perennial problem for the country like India. It is true that Indian sub-continent is most disaster prone area. I am goaded to give you a few account of it that 85 per cent is vulnerable to one or multiple hazards; 23 States are disaster prone; 57 per cent of the land is vulnerable to earthquakes; 68 per cent of the land is prone to droughts; 8 per cent to cyclones and 12 per cent to floods. Ever since 2004, we are experiencing the Tsunami syndrome in India also. You will be astonished to note that 30 million people are affected by floods in the Ganga- Brahmaputra plains and 40 million hectares of land is prone to flood. Flood has become a perennial problem for five States including West Bengal, Assam, Bihar, Jharkhand etc.

Each year, India is incurring 2 per cent of its GDP for the disaster. Each year, we are spending 12 per cent of our revenue for relief, rehabilitation programmes for the flood affected victims. Naturally, floods, earthquakes, Tsunami, volcanoes, all are the manifestations of natural disaster which act as an impediment to our economic growth also. We know that we have National Disaster Response Fund, National Disaster Response Force etc. But our National Disaster Management Authority now is acting as a headless chicken without having an effective and proper mechanism. At least, we would not be able to mitigate the onslaught of the natural disaster.

Natural disasters take place because of climatological problem, geophysical problem, meteorological problem, and hydrological problem. So, naturally, we need to have a very robust institution and infrastructure to deal with this situation. Here, the problem used to be faced by those States who are suffering from recurring natural disaster.

Take for example, West Bengal. In 2009, West Bengal was struck by the cyclone Aila. Hundred kilometres of embankments got wiped out. There was ingress of sea water into the cropped area. Till now, there has been no

perceptible work done by the Government. I am not here to blame any Government but the fact is, I want to know how much fund has been released from the Central coffer to deal with the Aila syndrome that had struck West Bengal in the year 2009. Lakhs of people got displaced due to Aila syndrome but still there is no ray of hope for those hapless people of the State of West Bengal. There is an Inter-Ministerial Central Team which was sent to assess the damages as per norms. Their assessment report has to be placed before the Sub-Committee of National Executive Commission. Thereafter, it will further be placed before the high level Committee for approval. I would suggest the Government to expedite the entire assessment process because there is a saying 'a stitch in time saves nine'. If you do the work in a proper manner then many things could be saved.

Sir, I know that there is a paucity of time. I am just referring as to what has happened in the city of fortune, Visakhapatnam. It is a steel city. First of all, I must congratulate to our Army personnel who had done their best in saving the people of those distant areas. Secondly, I must congratulate our Meteorological officials who had remained themselves busy in constantly conveying early warnings to the affected States. In spite of the early warning system, what has happened in the Visakhapatnam steel city? There was no production at all for about 21 days. Considering the operational loss per day put at Rs. 21 crore, the total loss to the Visakhapatnam Steel Plant was around Rs. 840 crore. The initial estimate of loss due to damage to equipment is put at Rs. 300 crore by the management.

Therefore, I would urge upon the Government that considering the loss to heavy industry, as it is a public sector industry, it should be given immediate relief in the form of tax relief. Total tax holiday should be given for two years. The tax relief should be given in Excise Duty, Customs Duty and Dividend Duty.

In spite of all kinds of early warning mechanisms, what had happened to the Visakhapatnam city during cyclone? The water was sold at a price of Rs. 100 per litre. But it was not given to the people who were in desperate need of it. A

complete disorder and chaos was hovering during that period when the cyclone was ravaging the coastal city of Andhra Pradesh.

Due to paucity of time, I would simply refer to two or three suggestions. First of all, we need to have a robust disaster reduction plan. National level plans needs to be specific to each level of administrative responsibility and adapted to the different social and geographical circumstances that are present.

Secondly, degradation of the environment can alter the frequency and intensity of natural hazards. We need to have an elaborate plan for preparedness. Only resilience could mitigate the onslaught of natural disaster. Therefore, preparedness should be based on a sound analysis of disaster risks and good linkages with early warning systems, and includes such activities as contingency planning, stockpiling of equipment and supplies, the development of arrangements for coordination, evacuation and public information, and associated training and field exercises. These must be supported by formal institutional, legal and budgetary capacities. The related term 'readiness' describes the ability to quickly and appropriately respond when required and where the Government failed miserably.

Sir, I would like to say something about Kashmir. This area is a seismic prone area. There is a need for 'building code'. The Kashmir Government had not followed any 'building code and, as a result of which, a great loss had been incurred upon the common people. However, I would like that the Home Ministry should prevail on the reasons for this.



श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा) : सभापति महोदय, प्राकृतिक आपदा के कारण कई हैं और हमारे बहुत सारे सदस्यों ने इस विषय पर बात की है। मैं अभी अधीर रंजन जी की बात सुन रहा था। उन्होंने बताया कि आर्या के कारण सन् 2009 में पश्चिम बंगाल में बहुत समस्या हुई थी। जब इस प्रकार की कोई आपदा आती है तो हम सभी संवेदना रखते हैं। उस समय केंद्र में इन्हीं की सरकार थी। अभी छह महीने हमारी सरकार को आए हुए हुए हैं। मुझे मालूम नहीं कि पांच साल तक ये क्या कर रहे थे कि अभी तक वहां के लोगों को रिलीफ नहीं मिल पाई है। उसके बारे में संभवतः यही अच्छी तरह से बता पाएंगे या राज्य सरकार बता पाएगी या उसके पहले जो सरकार थी, उसने क्यों नहीं किया। उसका जवाब शायद ये ही दे पाएंगे। उसमें हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ... (व्यवधान) सन् 2005 में नैशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट आथॉरिटी का कानून पास हुआ था। उसके कारण कई हो सकते हैं कि राज्यों में संभवतः लोगों के पास उतनी वित्तीय सहायता नहीं थी या फिर वे उतने सक्षम नहीं थे कि प्राकृतिक आपदाओं के ऊपर वे किस प्रकार से नियंत्रण पा सकें। प्राकृतिक आपदाएं, अगर हम देखें तो मुझे याद है कि बिहार में सन् 2008 में पहली बार आई थी, जब कोसी टूटा था। आज भी लगभग 3700 लोग लापता हैं। लगभग 193 पंचायतें, पांच डिस्ट्रिक्ट्स में साफ हो गए थे। आज भी क्या परिस्थिति है, इसके बारे में बिहार सरकार से पता करने का प्रयास करते हैं, हमें पता नहीं लगता है। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Hon. Member, please do not disturb. Let him speak.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except what Shri Kirti Azad speaks.

(Interruptions) ...*

श्री कीर्ति आज़ाद : सभापति महोदय, सन् 2008 में कोसी में आपदा आई थी और इस वर्ष हमारे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी प्राकृतिक आपदा आई है। 2 सितंबर को मौसम विभाग ने वहां की राज्य सरकार को बता दिया था कि परिस्थिति बहुत खराब है और सौ मिलिमीटर के ऊपर वर्षा हो सकती है। राज्य सरकार ने कोई तैयार कर के नहीं रखी थी। लेकिन धन्यवाद करते हैं, हमारी जो नैशनल डिज़ास्टर रिस्पांस टीम थी, वह तुरंत वहां पर गई। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत फोर्स को बुलाया। गृह सचिव भी वहां पर गए। लगभग 30 हज़ार आदमियों को वहां पर भेजा गया, जिसमें आर्मी, सीआईएसएफ और अन्य ऐसे लोग शामिल थे। ... (व्यवधान)

* Not recorded.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please do not interfere like this.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except what Shri Kirti Azad speaks.

(Interruptions) ... *

श्री कीर्ति आज़ाद : सभापति महोदय, जब वहां की राज्य सरकार इस आपदा के ऊपर काम नहीं कर सकी तो केंद्र सरकार की ओर से तुरंत मदद पहुंचाई गई। वहां का मास्टर प्लान भी जो सन् 2001 में श्रीनगर में बना है, उसके मुताबिक भी 26 फीट तक कोई मकान नहीं बन सकता और पानी इतनी ऊंचाई तक जा रहा था। जो नगीन लेक और डल लेक वहां पर है, जो एक बफर का काम करता था कि जब कभी भी इस प्रकार की कोई त्रासदी हो, जो पहली बार 1902 में हुई थी, वह सारे पानी को लिया करता था। लेकिन ड्रनेज सिस्टम और न जाने कितनी गड़बड़ियां थी, उसके कारण नहीं हो पाया। आज अगर श्रीनगर में किसी प्रकार से मदद हुई तो केंद्र सरकार की तरफ से हुई। नैशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से टीम वहां पर गई। वहां जाकर, जितनी भी समस्याएं थीं, पूरी की गईं।

केंद्र सरकार ने शुरू में ही 510 करोड़ रुपये क्षतिग्रस्त घरों के लिए दिए। 170 करोड़ उन अस्पतालों के लिए दिए गए जो टूटे थे। यहां तक कि बच्चों की किताबों के लिए 20 करोड़ रुपये दिए गए। केंद्र सरकार की ओर से यह रिस्पांस था। जिस दिन यह चर्चा शुरू हुई थी, तब उस समय श्री शशि थरूर जी ने कहा था कि आर्मी का उपयोग क्यों करते हैं। आर्मी का उपयोग इसलिए किया जाता है, क्योंकि इन विपरीत परिस्थितियों में अभी तक राज्यों में ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी गई, जो लोग बाढ़ में किसी प्रकार से सहायता कर सकें। इसीलिए हम सदैव अपनी सेना, वायु सेना और नौसेना उपयोग करते हैं। यह शशि थरूर जी को मालूम होना चाहिए। पिछले दस सालों से जब वे सरकार में थे तब उन्होंने ट्रेनिंग क्यों नहीं दी? उस विषय के ऊपर उनको बताया चाहिए था, जो उन्होंने नहीं बताया। वहीं दूसरी ओर अगर आप पिछले वर्ष उत्तराखण्ड में हुई त्रासदी को देखें तो चार दिन तक केंद्र सरकार की ओर से कोई भी सहायता उत्तराखण्ड में नहीं पहुंचाई गई थी। लोग जलमग्न हो गए। जल में लोगों की समाधि हो गई। आज तक वहां लोग जमीन में दबे हुए हैं। किसी को मालूम नहीं है कि कौन कहां है। इसलिए जब कभी भी कोई कहता है कि हैडलेस चिकन, आज भी एनडीएमए है, प्रधान मंत्री उसके अध्यक्ष हैं। कहीं भी एनडीएमए की ओर से कोई कमी हुई हो तो ये हमें बताएं। उसके लिए मैं इनसे जानकारी लेना चाहूंगा। जब से हमारी सरकार बनी है, कहीं पर हमारे रैपिड एक्शन फोर्स ने काम किया हो या न किया हो? अभी आन्ध्र प्रदेश और ओडिशा की

* Not recorded.

बात हुई। मैं ओडिशा की सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने तेजी दिखाई, लेकिन 24 घंटे के अन्दर केन्द्र सरकार की तरफ से आन्ध्र प्रदेश और ओडिशा के अन्दर सहायता भिजवाई गई और जो हानि हुई, उसे रोकने में बहुत हद तक, हानि तो हुई ही, लेकिन केन्द्र सरकार की तरफ से एन.डी.आर.एफ. की जो टीम गई थी, उसकी बहुत ज्यादा सहायता रही है। वर्ष 2008 में, प्राकृतिक आपदा में अगर सबसे भयंकर आपदा किसी को कहा जाए, जिसका वर्णन मैंने शुरू में भी किया था कि पाँच डिस्ट्रिक्ट की लगभग 193 पंचायत डूबकर खत्म हो गई, टूट-टूटकर सब कुछ निकल गया, वहाँ सब कुछ खत्म हो गया। वहाँ के 3,700 लोग आज भी लापता हैं। बिहार सरकार से अनेकों बार इस विषय के ऊपर हमने पूछने का प्रयास किया, लेकिन बिहार सरकार से आज तक हमें जवाब नहीं मिला है।...(व्यवधान)

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : उस समय आप तो सरकार के साथ थे।...(व्यवधान)

श्री कीर्ति आज़ाद : जब उस समय के माननीय प्रधानमंत्री जी, श्री मनमोहन सिंह जी वहाँ पर गए थे तो उन्होंने कहा था कि यह राष्ट्रीय आपदा है। जब वे दिल्ली आये और उनसे पूछा गया तो उसके ऊपर उन्होंने कुछ नहीं कहा और कोई समर्थन नहीं मिला। बहुत लोगों की ओर से जो पूरे देश भर से अलग-अलग जगहों से रिलीफ आई थी, उस रिलीफ को उस समय के मुख्यमंत्री जी ने वापस किया। जैसे गुजरात से रिलीफ आया था तो उसको उन्होंने वापस किया। वह रिलीफ उन लोगों के लिए था, जिनके घर उजड़ गए थे, परिवार उजड़ गए थे, जिनके मवेशी खत्म हो गए थे, लेकिन खेद की बात यह है कि उस समय के मुख्यमंत्री ने उस पैसे को वापस किया।

श्रीमती रंजीत रंजन : आपने क्यों नहीं लिया? आप तो सरकार के साथ थे।...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसीलिए हमने उनका साथ छोड़ दिया।...(व्यवधान)

श्री कीर्ति आज़ाद : उस समय हमने केन्द्र सरकार से...(व्यवधान) आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।...(व्यवधान) मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूँ।...(व्यवधान) इसीलिए यह हुआ।...(व्यवधान) आप बैठ जाइये।...(व्यवधान)

महोदय, मैं मिथिला की भूमि से आता हूँ। मैं मिथिलांचल के क्षेत्र से आता हूँ। हम लोग सदैव मौर्य सभ्यता की या फिर गुप्तकालीन सभ्यता की बात करते हैं। मैं उस मिथिला की भूमि से आता हूँ, जिसका वर्णन त्रेता काल से है। राजा जनक, जगत जननी जानकी, माँ वैदेही, मैथिली, सीता माँ के अनेक नाम हैं, मैं उस जगह से आता हूँ। वह त्याग की भूमि है और जो उत्तर बिहार का क्षेत्र है, वह सदैव जलमग्न रहता है। नेपाल से अनेकों जंगली नदियाँ निकलती हैं और वे आकर पूरे मिथिलांचल के, उत्तर बिहार के क्षेत्र को ध्वस्त कर देती हैं। आज भी मिथिला रो रही है। अगर पुराणों में देखा जाए, ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से

मिथिला का बहुत उच्च स्थान रहा है। आप आज भी पुराणों में देखेंगे तो जानेंगे कि जिस समय पूरे विश्व भर में अकाल था, तो वह केवल एक मिथिला की भूमि थी, जिसने सबको भोजन कराया था। आज मिथिला की यह परिस्थिति है कि केवल प्राकृतिक आपदा नहीं, हम अपनी भाषा नहीं बोल सकते हैं, हम पढ़-लिख नहीं सकते हैं, हमारे ऊपर शैक्षणिक आपदा भी है, हमारे ऊपर आर्थिक आपदा भी है। हम नेपाल के उस बॉर्डर से लगते हैं, जहाँ से ये नदियाँ चली आती हैं। जब नेपाल में पानी भर जाता है तो जहाँ पानी फँसा होता है उन बाँधों को खोल दिया जाता है और वे नदियाँ नेपाल से आकर हमारी पूरी मिथिला की भूमि को खराब करके चली जाती हैं। आज परिस्थिति यह है कि अनेक जगहों पर चौर, चौर यानी जहाँ नीचे की जमीन होती है, जब उसके अन्दर बाढ़ आती है तो पानी सालों-साल तक वहाँ रह जाता है। अगर आज आप देश भर में देखेंगे तो गंगा के उत्तर के लोग, जो मिथिलांचल के क्षेत्र के लोग हैं, वे लोग आपको दिल्ली में भी मिलेंगे, बम्बई में भी मिलेंगे, गुजरात में भी मिलेंगे, वे आपको हरियाणा में भी मिलेंगे, ये सभी वे लोग हैं, जो पीड़ित हैं। इस कारण से वे अपने देश को छोड़कर परदेस में आकर जगह-जगह पर अपनी रोटी कमाते हैं। हमारे साथ तो मिथिला में और भी गड़बड़ी हुई कि सन् 1816 में सुगौली का एक पैक्ट हुआ। सुगौली के पैक्ट में जहाँ पर जनकपुर के अन्दर जनकपुर मन्दिर है, जहाँ राम जानकी विवाह हुआ था, वह भी नेपाल में दे दिया गया। हमारे आठ ऐसे जिले हैं, जो नेपाल में चले गए। उसके कारण से हमारी मिथिला की जो संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, हमारे यहाँ के जो अलग-अलग तीज, त्यौहार हैं, अपने यहाँ पर हम जो दूसरे अलग-अलग रूप में चीजों को मनाते हैं, आज भी उन्हें वह स्थिति नहीं मिल पाई है। हमारी परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि इस बाढ़ के कारण से जो मिथिला सदैव त्याग की भूमि रही थी, वह सदैव त्याग करती रहती है। सबसे मजेदार बात तो यह है कि वहाँ पर केवल दो फसलें होती हैं। एक होती है खरीफ, जिसे किसान अपनी मेहनत से उगाता है और दूसरा होता है रिलीफ, जो अफसर खा जाता है। वहाँ लोगों को रिलीफ नहीं मिलता है, लेकिन वह रिलीफ अफसरों की जेबों में चला जाता है। वे उसको गट करके चले जाते हैं और गरीब आदमी वहाँ समस्याओं से जूझता रहता है। अभी हुदहुद आया था। लोगों ने हुदहुद की बात की कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश में हुआ, लेकिन क्या आज तक किसी ने बात की कि उस हुदहुद ने मिथिलांचल के क्षेत्र में आकर भी अपना डंका बजाया। वह हमारे लोगों को तोड़ते हुए, खत्म करते हुए दरभंगा से मधुबनी के क्षेत्र में गया। वह परिस्थिति कोई नहीं देखता। बिहार में जो परिस्थिति इस समय अफसरों और सरकार की है, वह केवल बयानबाज़ी कर सकती है। बयानबाज़ी के अलावा दूसरी कोई चीज़ नहीं करती। लोगों को जो रिलीफ मिलना चाहिए, वह मिलता नहीं है। उसके कारण से वह मिथिला की भूमि, जो बिहार के नाम से जानी जाती है, आज यदि कोई बिहार कहता है तो हमें खुशी ज़रूर होती है

लेकिन यदि कोई मैथिल या मिथिलावासी कहता है तो हमें बहुत सम्मान और गर्व महसूस होता है कि हम जगत जननी माँ जानकी के क्षेत्र से हैं।

मेरे पास कुछ सुझाव हैं जो मैं रखना चाहता हूँ। माननीय प्रधान मंत्री जी की एक बहुत अच्छी योजना है प्रधान मंत्री सिंचाई योजना। उस सिंचाई योजना के माध्यम से जहाँ जहाँ पर सुखाड़ होता है, वहाँ पर बराबरी से सिंचाई हो, उसको लेकर उन्होंने बड़ी अच्छी योजना शुरू की है। जिस प्रकार से प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई थी और हरेक गाँव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली बात हुई थी, उसी प्रकार से यह योजना भी माननीय प्रधान मंत्री की तरफ से शुरू की गई है। हरेक साल, चाहे सूखा भी हो, तब भी मिथिलांचल क्षेत्र में बाढ़ आती ही है क्योंकि किसी न किसी नदी में कहीं न कहीं जब बरसात होती है तो तराइयों से निकलता हुआ पानी यहाँ आता है। बाढ़ का एक कारण यह भी है कि पानी आया और वहाँ से गाद नहीं निकाली गई, डीसिल्टिंग नहीं हो पाई है, इसलिए नदी और ज़मीन दोनों का लैवल बराबर हो गया है। उस बराबर लैवल होने के कारण हल्की बारिश भी हुई तो वह पानी घूमकर अंदर क्षेत्रों में घुस जाता है और हमारी स्थिति खराब होती है। इसलिए आवश्यकता है कि वाल्मीकि नगर से लेकर किशनगंज तक में एक बड़ी नहर को बनाया जाए जो इन नदियों पर रहे और उसमें से अलग-अलग नहरों को निकाला जाए जिससे वह क्षेत्र में जहाँ-जहाँ सुखाड़ होता है, एक तो नियंत्रण होगा कि बाढ़ पूरी तरह से नहीं आएगी, उसको रोकने में हम कामयाब होंगे। साथ ही साथ उनके माध्यम से हम जगह जगह पानी को ले जा सकते हैं और जहाँ सूखा है, वहाँ हम पानी पहुँचा सकते हैं।

अंत में मैं कुछ सुझाव देकर अपनी बात खत्म करूँगा। एक बड़ी अच्छी योजना इंटरलिकिंग ऑफ रिवर्स की योजना है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में नदियों को जोड़ने की योजना शुरू हुई थी। कई नदियाँ सूखी रहती हैं, कई नदियों में बाढ़ आती है, कई नदियों में गाद भरी रहने के कारण से हल्के पानी के कारण से भी पानी ऊपर से उफनकर ज़मीनों पर जाता है। इसलिए इंटरलिकिंग ऑफ रिवर्स से जो पानी बरबाद होकर समुद्र में चला जाता है, उसको बचाया जा सकता है। लोग कहते हैं कि यदि तीसरा विश्वयुद्ध होगा तो वह पानी को लेकर होगा। इंटरलिकिंग ऑफ रिवर्स की जो योजना थी, जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच थी, सरकार उसके ऊपर देख रही है। मैं यह चाहूँगा कि कम से कम उन क्षेत्रों में यह सबसे पहले की जाए जहाँ आवश्यकता है। मुझे मालूम है कि बिहार से अभी तक इन नदियों को जोड़ने के लिए कोई योजना नहीं मिली, लेकिन मैं चाहूँगा कि केन्द्र सरकार इसको अपने ऊपर ले और यह मिथिला की भूमि, यह पूर्वांचल ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

... (Interruptions)

SHRI KIRTI AZAD : I am just concluding within a minute. केन्द्र सरकार इसको करे जिससे हम कम से कम नदियों को जोड़ें और आगे काम हो सके।

सभापति जी, हमारी बहन उधर से बैठी हुई बोल रही थीं। मैं उनसे यह कहूँगा कि बाढ़ का राजनीतिकरण न करें। बाढ़ सबको बराबर प्रभावित करती है। ... (व्यवधान) मैंने तो केवल इतना कहा कि राजनीतिकरण न करें, वे तुरंत उठ गए। ... (व्यवधान) मैं अपनी बात कनक्लूड कर रहा हूँ। सभापति जी, आपने एक मिनट समय दिया है, मैं कनक्लूड कर रहा हूँ। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down.

... (*Interruptions*)

श्री कीर्ति आज़ाद : मैंने कहा राजनीतिकरण न करें, एक साथ आएँ। आप बिहार की बहू हैं, आप बिहार आई हैं। हमें प्रसन्नता होगी कि बहू बहू की तरह रहकर काम करे, हमें अच्छा लगेगा। ... (व्यवधान) 1953 में माननीय जवाहर लाल नेहरू जी हवाई जहाज़ में चीफ इंजीनियर सीपीडब्लूडी के साथ हमारे यहाँ गए थे लेकिन जो डैम हमारे यहाँ बनना था, वह भाखड़ा नंगल में बन गया। हमारे लोग आज ग्रसित हैं।... (व्यवधान) अब मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं तो मैं क्या बात करूँगा? I am talking about all of us, I am not doing anything wrong. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

... (*Interruptions*)

श्री कीर्ति आज़ाद : दूसरी तरफ अस्पतालों की स्थिति है। सबसे पहली बात है कि हमारे बिहार में अस्पताल हैं ही नहीं। अस्पताल हैं तो डाक्टर नहीं हैं, डाक्टर हैं तो दवा नहीं है और अगर दवा है तो वह एक्सपाइरी मैडिसिन है। यह बिहार के अस्पतालों की स्थिति है। सर्पदंश की दवा नहीं मिलती। वहाँ चूना गैमैक्सिन डालने के लिए नहीं मिलता। वहाँ लोगों को जो अलग अलग हैज़ा या दूसरी बीमारियाँ होती हैं, उसके लिए दवाइयाँ नहीं मिलतीं। लोगों को बांध के ऊपर रहना पड़ता है, क्योंकि उनका घर पूरी तरह से पानी में डूबा होता है। वे बीमारियों से ग्रसित रहते हैं।... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now. You have already taken 15 minutes.

... (*Interruptions*)

श्री कीर्ति आज़ाद : मैं सुझाव देना चाहता हूं कि केंद्र सरकार इस बारे में गंभीरता से सोचे। इंटर लीकिंग का बहुत अच्छा कार्यक्रम शुरू किया है, प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी योजना " प्रधानमंत्री सिंचाई योजना " है। मेरा अनुरोध है कि उत्तर बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में इस कार्य को सबसे पहले किया जाए।

16.00 hrs

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER (KANNUR): Thank you, Sir. Hon. Members have described the serious situation that we are facing in different parts of our country due to natural calamity. Natural calamity, in real terms, is a natural disaster, which is brought about by change in natural phenomenon, and the extent of loss experienced is dependent on the vulnerability of the population. This calamity, no matter natural or man made, has caused immense damage to life and property, and it would take a long time to cushion people from the aftereffects of such happenings; bring back everything to normalcy; and also to rehabilitate the people.

India has been a victim to every form of destruction by nature, namely, droughts, floods, famines, earthquakes. To some extent, the exploitation of natural resources by man is also a cause for such calamities. Disaster only occurs when hazards come face to face with vulnerability. As such, when natural occurrences bring about damage and there are no casualties, then it is not referred to as natural disasters.

As we have seen, last year's disaster in Uttarakhand was aggravated by a large number of landslides, and it had caused huge loss of human life, property, etc., and the rehabilitation is still going on there. Similarly, it happened in Jammu and Kashmir, Vishakapattanam, Odisha, and it is happening all over India including my State of Kerala.


I do not want to describe all those serious situations prevailing everywhere in India, but I only want to place some demands before the Government of India. The people from the affected areas are not seeking any sympathy or kindness from the Government. They are expecting some financial assistance for their lives. So, I would urge upon the Government that the following steps may be taken by the Government of India immediately.

The package announced by the Prime Minister is insufficient, and the Central Government must come forward with a more comprehensive package,

particularly for the rehabilitation of people who have been completely rendered homeless and face total uncertainty regarding their future.

Business, tourism and commerce sectors have been virtually decimated in the State, particularly, in Jammu & Kashmir and Vishakhapatnam. All of us know that tourism is a source of livelihood for lakhs of people in the valley of Jammu & Kashmir, particularly, in this season. Therefore, measures must be taken for revitalization of business and commercial activities while ensuring new employment opportunities for the youth.

Sir, much of the arable land has been devastated, cattle destroyed and all standing crops, virtually, were destroyed in the State, particularly in the Valley and in Visakhapatnam. Therefore, immediate concrete relief measures for the farmers and adequate compensation for the loss of standing crops must be announced.

There is a widespread feeling  and anger amongst some sections of the people in the Valley, particularly on the fact that offers of foreign assistance to help the victims of this disaster are not being accepted by the Central Government. A clear statement from the Central Government on this issue is necessary to scotch unnecessary speculation on this score which can be very damaging for the objective of securing the confidence of the people in the Valley.

Sir, the representatives from my Party went to Kashmir and Visakhapatnam along with our Polit Bureau member and leader of our group in Rajya Sabha Shri Sitaram Yechury. I think he is the first Member of Parliament who visited the affected areas and seen the pitiable condition of people there.

16.06 hrs

(Shri Hukmdeo Narayan Yadav *in the Chair*)

It was reported in newspapers that many elected representatives have not visited these places till now and that is very unfortunate. Even the Government officials have not visited these places to assess the serious condition and to review

the extent of damage. In this situation, what should be the role of the Government? I would say that it was not prompt in its response. So, the point I want to mention is that immediate steps should be taken in Jammu and Kashmir, Visakhapatnam and in other places to help the victims of natural calamities. Thank you.

DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY): Sir, natural calamities cannot be stopped by mankind irrespective of the latest technologies. Man can only get ready to face it and reduce its impact. Meteorological predictions are more or less accurate. Due to uneven growth or playing with nature has resulted in huge floods and droughts. A couple of years back, Uttaranchal faced the nature's wrath. This year, Kashmir faced it. It was devastating to look at the picture of flooding in Kashmir. It was unprecedented.

Of late, due to climate change and global warming, floods and droughts have become a recurring feature. Management of floods is a State subject, but States face financial problems. In dealing with providing relief and rehabilitation, when it comes to floods and droughts, States become hapless and helpless.

Coming to my State of West Bengal, last year too floods affected many districts resulting in paddy output drop by more than 30 per cent. West Bengal has not only faced the brunt of floods, but also heat spell. In April-May, 2014, due to heat spell, jute cultivation in Bengal suffered heavily. There was a drought-like situation in April-May, 2014 specifically in 24 Paraganas. When rains are deficient, heat spell is around; at some other time, floods create panic, and people of West Bengal are put at high risk and great distress.

Added to this, West Bengal Government which is already in financial quagmire faced the daunting task of taking care of these natural calamities, floods and droughts. Why can the Central Government not take a realistic view of floods and droughts in affected States and give generous funds from National Calamity Contingency Fund and Calamity Relief Fund to ease the situation of the State, which is facing acute flood and drought situation?

I would like to suggest to the Central Government to set up a permanent monitoring cell in the Prime Minister's Office as floods and droughts are occurring one after another or are being witnessed simultaneously in different States of the country. I would also plead with the Central Government to have a

review committee to undertake the realistic situation in those States which are affected by floods or droughts and report back to the Central Government in consultation with the State authorities so that States get enough funds to face the flood and drought situation.

National Disaster Response Fund should be used generously when it comes to West Bengal Government which is not financially sound. I would also urge the Central Government to see that more funds are allocated to the Rashtriya Krishi Vikas Yojana and other schemes to mitigate the situation of deficient rainfall in West Bengal.

An estimate 8.35 lakh population of West Bengal was affected during floods in 2013; West Bengal lost 112 lives in 2013 due to floods; and the total damage is to the tune of Rs. 4,114 lakh. When the Government of India is having the paraphernalia to study, analyse and act in advance, why is the Central Government not taking appropriate steps to address floods and droughts, well in advance, by extending data or information or by allocating funds to attend to the after-effects of droughts and floods?

Being an agricultural country, more than 60 per cent of our population is dependent on agriculture. Farmers face the brunt in the event of floods or droughts. The Government should announce waiving of loans in the event of natural calamities.

In the end, I would like to summarise a few important points. There is an urgent need to take preventive measures to face floods. Efforts should also be undertaken to ensure full utilization of flood water. Erosion of arable land by floods is a major problem which needs to be addressed by the Central Government on war footing.

Sir, will an action plan be put in place at the Centre as well as the State level which should be reviewed at regular intervals? Losses incurred by floods and droughts by States should be adequately compensated. An expert body should

conduct study on floods and droughts and come out with remedial measures and recommendations to be followed by the Centre and States in letter and spirit.

Our Government in West Bengal headed by Chief Minister Kumari Mamata Banerjee has been doing outstanding work with limited financial resources for the poor and disadvantaged people of the society. We would strive harder in future too, to see that the common man is not affected by floods and droughts.

Thank you Sir.

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA (ARAKU): Thank you hon. Chairman for giving me an opportunity to speak on natural calamities.

Sir, there is no country in this world which is immune from natural calamities, though the vulnerability of such disaster may vary from time to time and place to place. The disaster for which India is more prone are basically floods, hurricanes, landslides, fires, tsunamis and of course, cyclones. These disasters interrupt essential services such as healthcare, electricity, water transportation and communication and cause a hindrance to the public life.

Sir, I stand in this august House with the fresh memories of the Hudhud cyclone which hit my area - north coastal Andhra Pradesh and particularly, the four districts of Vishakhapatnam, Vizianagaram, Srikakulam and East Godavari which form a part of my constituency. The cyclone has created a devastating situation all over the place. Today, it is recorded as the third highest intensity cyclone storm out of the 505 storms that developed in either Bay of Bengal or in the Arabian Sea since 1891. The damage caused has not only changed the landscape of the port city but also made it the first city in the world which is directly hit by a cyclone as per 1891 records of IMD. My senior colleagues have already mentioned the figures that the people have suffered the losses. I would not like to say the same things but I thank the hon. Chief Minister for being physically present when the situation occurred and monitored the relief activities himself. I also thank the IMD for forecasting this cyclone and this forecast has prevented a lot of life-loss and we really thank the IMD for its support. There are four stages of this disaster namely, prevention, preparedness, relief and the last part is recovery.

When it comes to prevention, natural calamities are God made disasters. So, most of the disasters cannot be prevented. As far as preparedness is concerned, I draw the attention to my own State where the Chief Minister has instructed all the education institutions to be closed, the National Highway to be

closed and all the public life was interrupted from moving out of their houses. So, this actually saved the lives of many people today. We could actually prevent a lot of loss to the particular cyclone-hit areas. Regarding the preparedness, I would, through you, want to convey the message that the IMD forecast should be taken very seriously by the people. This would also prevent the loss. Some girls were staying in the hostels. They were not given holidays. The hostels did not have water and food. The girls suffered miserably for two, three days. The parents of the children were asking for help. But, we could not move from the area because the entire city was hit very badly. The garbage was on the road; the trees were on the road and the public transport was interrupted. Whenever the IMD instructs certain things, the Government takes it very seriously. I wish the people also should react on this and take the situation very seriously.

Regarding the relief activities, we have formed many Relief and Rehabilitation Centres wherein people were moved. The facilities at the Rehabilitation Centres, as some of my colleagues have said, were very bad. Because of that, a lot of people suffered. Many people died in the relief camps also.

Today, I would like to bring to the notice of the Government that the National Disaster Management Authority has to be pro-active in this regard. I have gone through the *Times of India, New Magazine* that the Disaster Management is going to be reconstituted. The Prime Minister of the country is the Chairman. There will be five Members. The Home Ministry has put up a proposal saying that five members will be the part of the NDMA. They will only be technical Members. I would support this cause. If the NDMA is constituted with the technical team, it would be useful for the entire nation. The State Disaster Management Authority has to be guided in such a way that they will be fully equipped to tackle this disaster. I would thank you very much for giving me this opportunity.

श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझुनू): सभापति महोदय, आपने मुझे नियम 193 के तहत गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।


एक प्राकृतिक आपदा एक प्राकृतिक जोखिम का ही परिणाम है, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप या भूस्खलन, जो मानवीय गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। मानव दुर्बलताओं के कारण आपातकालीन प्रबंधन के अभाव, इन कष्टों को और भी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से मानव को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। परिणामस्वरूप होने वाली हानि निर्भर करती है कि जनसंख्या आपदा को बढ़ावा देने का विरोध करने की क्षमता कितनी है। जब जोखिम और दुर्बलता का मिलन होता है तब दुर्घटनाएं घटती हैं। जिन इलाकों में दुर्बलताएं निहित नहीं हैं, वहां एक प्राकृतिक जोखिम भी आपदा में तब्दील नहीं होती है। जैसे - निर्जन प्रदेश में अगर भूकंप आता है और मानवीय भागीदारी वहां नहीं होती है तो जोखिम या आपदा वहां बनती नहीं है। प्राकृतिक जोखिम किसी ऐसी घटना के घटने की संभावना को कहते हैं जिसमें मनुष्य अथवा पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो। कई प्राकृतिक खतरे आपस में संबंधित हैं, जैसे - भूकंप सूनामी लाते हैं तो सूखा सीधे तौर पर अकाल, भूखमरी और बीमारियां पैदा करता है। वर्ष 2004 में हिन्द महासागर में आया भूकंप, इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा भूकंप है। इस भूकंप के कारण आई भीषण सूनामी में करीब 229000 लोगों की जानें गईं। हुदहुद से 24 मौतें हुईं और दर्जन भर जिलों को बुनियादी ढांचे को भारी क्षति पहुंची। पुणे के गांव में भी लोग मारे गए। जम्मू-कश्मीर में बाढ़, आंध्रप्रदेश और ओडिशा में चक्रवात तथा पुणे में भूस्खलन से आई इन प्राकृतिक आपदाओं से अपार क्षति हुई है। इससे जान और माल की क्षति तो हुई फसलों की बर्बादी भी सम्मिलित है। आपदाओं के कारण पिछले साल 21.40 लाख लोग विस्थापित हुए। घाटी में बाढ़ से एक लाख करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है। मौजूदा आपदा प्रबंध प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 बनाया गया था। इस अधिनियम में आपदा प्रबंधन से संबंधित समस्त योजनाओं को तैयार किया गया और उनके क्रियान्वयन पर निगरानी रखने का संस्थागत ढांचा खड़ा किया गया। बचाव और राहत सहित आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी वैसे तो राज्य सरकारों की है, लेकिन भारत सरकार इस स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने के लिए राज्य सरकारों की मदद करती है, सहायता पहुंचाने का प्रयास करती है।

मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी तथा गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने विशाखापटनम का दौरा किया, प्रभावित राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बातचीत की। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु आवश्यकता है तो सिर्फ इस बात की कि पूर्व चेतावनी प्रणालियों को सुदृढ़ किया जाए तथा गंभीर आपदाओं से निपटने के प्रभावी प्रयास किए जाने चाहिए।

सभापति महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र में लगभग दस वर्षों से प्रति वर्ष 20 और 30 मार्च के लगभग भयंकर ओला वृष्टि होती है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि सरकार आकलन करे कि ऐसा प्रति वर्ष क्यों हो रहा है। जैसे नियति ने यह तय ही कर लिया है कि इस क्षेत्र की फसलें तबाह करनी ही हैं। यह वह समय होता है जब फलियों के अंदर दाने पड़े होते हैं, दाने पकने की तरफ अग्रसर होते हैं। इससे सब्जियां, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, पशु मर जाते हैं, घर तहस-नहस हो जाते हैं।...(व्यवधान) जिनका जीवन-यापन ही खेती या पशुपालन है, उनके लिए यह कहर कितना बड़ा होगा, यह वही आदमी जान सकता है जिसने यह आपदा झेली है। कहते हैं -- 'जिसके पैर न फटे बिवाई वह क्या जाने पीर पराई।'

मैं आपके माध्यम से यह बात प्रधान मंत्री जी तक पहुंचाना चाहती हूं कि ओला वृष्टि को प्राकृतिक आपदा में सम्मिलित किया जाए, किसानों की मदद की जाए और भारत सरकार राज्य सरकार को भरपूर मदद दे। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए पुनः आपका आभार व्यक्त कर रही हूं।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): सभापति महोदय, पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि देशभर और दुनियाभर में प्राकृतिक आपदाएं पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं, वह चाहे जम्मू कश्मीर में हो, आंध्र प्रदेश में हो, ओडिशा में हो, असम में हो या मेघालय में हो। हमने इसी वर्ष देखा है कि जब हुदहुद साइक्लोन आया तो आंध्र प्रदेश में चार जिले और एक लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए। ओडिशा में पन्द्रह जिले अफैक्टेड हुए और लगभग ढाई लाख लोग अफैक्टेड हुए। जम्मू कश्मीर में दस जिले और ढाई लाख परिवार बेघर हुए। असम में तेइस जिले और चार हजार से ज्यादा गांव अफैक्टेड हुए। यह कहा जा सकता है कि वर्ष 2014 में लाखों परिवारों के लिए अच्छे दिन नहीं आए हैं। आज जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है - गरीब, ट्राइबल लोगों, महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों पर पड़ता है। बूढ़े लोगों को समय पर दवाई नहीं मिलती, बच्चों को कपड़े नहीं मिलते, महिलाओं को औषधि नहीं मिलती, खाने की सामग्री नहीं मिलती। यहां जितने सांसद हैं, हमारा समय इसी चर्चा में चला जाता है। आज कश्मीर में छः रिलीफ कैम्प हैं और जम्मू में तेरह रिलीफ कैम्प हैं। प्रधान मंत्री जी ने एक हजार करोड़ रुपये के रिलीफ पैकेज की घोषणा की। क्यों जम्मू कश्मीर में घोषणा की, अन्य राज्यों में क्यों नहीं की, यह सब आप जानते हैं। लेकिन आज जब प्रधान मंत्री जी जम्मू कश्मीर के जिलों के दौरे पर हैं, क्या वे रिलीफ कैम्प में जा रहे हैं? क्या वे देख रहे हैं कि हजार करोड़ रुपये के रिलीफ पैकेज का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है?

क्या वे उन स्कूलों में गए हैं, जिन स्कूलों में पानी आ गया है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्या उन बूढ़ों के हाथ उन्होंने देखा है, जिन्हें समय पर दवाई नहीं मिलती। सिर्फ राजनीति करने से हम देश को प्राकृतिक आपदा से बचा नहीं पाएंगे। आज प्राकृतिक आपदाएं और बारिश के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। दुनिया भर की साइंटिस्ट कम्युनिटी कह रही है कि क्लाइमेट चेंज का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव बारिश पर पड़ेगा। पहले कहा जाता था कि भारत के लोगों के लिए बारिश एक तोहफा है,  की तरफ हमारे किसान लोग देखते रहते हैं, लेकिन बारिश जो पहले एक तोहफा था, आज एक सर्ज बन गया है। जब किसानों को समय पर बारिश का पानी नहीं मिलता, तो उनकी साल भर की जो कठिनाई और परिश्रम है वह सब पानी में चला जाता है। असम के गांव में रहने वाले लोग बारिश के समय डरते हैं, बारिश आने से नदी का हाइट बढ़ जाएगी, नदी की हाइट बढ़ने से इरोजन के जरिए यह उनके गांव की जमीनों को खा जाएगी। कोस्टलाइन पर जो लोग रहते हैं वे डरते हैं कि बारिश के समय समुद्र का पानी उनके खेतों को उजाड़ देगा। शहर में रहने वाले लोग डरते हैं कि जब ज्यादा बारिश आएगी तो शहर में आर्टिफिशिएल फ्लड होगा। हमने मुंबई में भी देखा था गाड़ी और बसों में बैठे हुए लोगों को अपनी जान खोनी पड़ी, क्योंकि आर्टिफिशियल फ्लड के खिलाफ हमारा क्या मिटिगेशन है, हमारे पास इसके लिए कोई प्लान नहीं है।

क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। प्रधानमंत्री ने टीचर्स-डे पर बच्चों से बात करते हुए कहा कि क्लाइमेट चेंज नहीं है। यह कैसा मैसेज दे रहे हैं, पूरी सांइटिफिक कम्युनिटी कह रही है कि क्लाइमेट चेंज एक मुद्दा है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज से हम डिजास्टर को मिटिगेट कर सकते हैं। वही देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जैसा कोई मुद्दा नहीं है। हम ब्यूरोक्रेट को क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या यह सरकार इस पर सीरियस है? आदर्श ग्राम की बात करते हैं, लेकिन आदर्श ग्राम कैसे हो सकता है, जब हम अपने गांवों को बाढ़ से बचा नहीं पाते हैं, हम अपने गांव को इरोजन से बचा नहीं पाते, तो हम आदर्श ग्राम का निर्माण कैसे करेंगे? हम करोड़ों रुपये रिहैबिलिटेशन में खर्च करते हैं। करोड़ों रुपये हम प्लानिंग में खर्च क्यों नहीं कर सकते हैं? आज हम एनडीआरएफ की बात कर रहे हैं, हम सूखे की बात कर रहे हैं, आज गेहूं पैदा करने वाला किसान केन्द्र सरकार की तरफ हाथ फैलाए हुए देख रहा है। सूखे के समय गेहूं का दाम बढ़ाना चाहिए, केन्द्र सरकार ने प्रॉमिस किया था कि 50 प्रतिशत एमएसपी प्राइस को बढ़ाएंगे, लेकिन केवल 50 रुपये बढ़ाए, क्या हम ऐसे उनको बचाएंगे? आज असम फ्लड रिलीफ के ऊपर पॉलिटिक्स चल रहा है। एक हजार करोड़ रुपये जम्मू-कश्मीर को दिए गए। गृह मंत्रालय के मिनिस्टर साहब यहां बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि असम को आपने क्यों नजरअंदाज कर दिया? इरोजन को हम प्राकृतिक आपदा क्यों नहीं मानते? देश के 85 प्रतिशत क्षेत्र श्रेट में है, 12 परसेंट रेवेन्यू डिजास्टर मैनेजमेंट में जाता है। क्यों नहीं हम मिनिस्ट्री ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को एक सेपरेट मिनिस्ट्री बना दें। क्यों हम आर्मी पर निर्भर हैं? क्यों नहीं हम अपने एडिमिनिस्ट्रेशन की शक्ति बढ़ाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का अलग मंत्रालय बनाएं, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करें। क्लाइमेट चेंज की बात आ रही है, प्रधानमंत्री उसका नेतृत्व करें। फ्लड रिलीफ के ऊपर राजनीति नहीं करें। असम के इरोजन मामले को एक नेचुरल डिजास्टर का दर्जा दें।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : महोदय, राजनीति-राजनीति की बात होती है। आजादी के 67 साल में सदन में राजनीति नहीं हो रही है, तो हो क्या रही है, राजनीति ही हो रही है। अभी जो कश्मीर में एक लाख करोड़ रुपये की क्षति हुई है, आपकी सहायता ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। राजनीति नहीं किए हैं तो क्या किए हैं। इस सदन में बैठे हम लोग राजनीति ही तो करते हैं, क्या देश के सम्मान और देश के आम, गरीब के लिए यहां कोई दर्द सुनने वाला बैठा है? क्या कोई गांधी, भगत सिंह या सुभाष चन्द्र बोस जैसे नेता बैठे हैं क्या? इसीलिए मैं सिर्फ एक आग्रह करना चाहता हूँ कि यह प्राकृतिक आपदा का सवाल उठा है, प्राकृतिक आपदा क्यों आती है? प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ कौन करता है? गरीब तो करता नहीं है, आम आदमी तो करता नहीं है।

जिस सरकार की नीयत सही न हो, वह नीति और पालिसी कैसे अच्छी बना सकती है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि भौतिकवादी सुख और पूंजीपतियों की खुशी के लिए प्राकृतिक स्रोत को समाप्त करने की तैयारी है, जैसे कोयला है। आप पहाड़ों में कोयले की स्थिति को देखिये। कोयले के लिए एक समय निर्धारित है, लेकिन जिस तरह से खदान का डेवलपमेंट किया जा रहा है, खदानों को बढ़ाकर प्राकृतिक स्रोत को समाप्त करने की बात हो रही है तो उससे प्राकृतिक आपदा ही आयेगी। मैं देश के बारे में सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा। ... (व्यवधान) मैं विषय पर ही आ रहा हूँ। प्राकृतिक आपदा और हुदहुद की बात जब आती है। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय, आप उसी मिथला और कोसी के इलाके से हैं। कश्मीर की त्रासदी के बारे में सबको दर्द है। ओडिशा, पुणे, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम आदि के इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं, लेकिन आप सब बिहार की स्थिति के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। बिहार में कोसी की त्रासदी दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी है। वहां मिथला के शिवहर से लेकर मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा आदि इलाके बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित होते हैं। यूपीए सरकार ने इस संबंध में 11 हजार करोड़ रुपये और छः महीने में एक सौ केंजी अनाज दिया था। उस समय वहां की सरकार बीजेपी के गठबंधन से चल रही थी। वहां डेढ़ लाख हैक्टेयर जमीन उससे प्रभावित है। इस संबंध में हमने दिन-रात एक किया था। जब तक कोसी में सिल्टेशन का मामला सॉल्व नहीं होगा, जब तक बालू की गारत को नदियों से नहीं निकाला जायेगा तब तक आप कोसी को उस त्रासदी से कैसे बचा पायेंगे? आप वहां न तो बांध को ठीक कर पाये और न ही कोई और चीज कर पाये। वहां नहर और शहर पूरी तरह से समाप्त हो गया। आप वहां नहर के लिए पैसा नहीं देते हैं। नहर को बनाने के लिए आपके पास कोई योजना नहीं है। कोसी की त्रासदी, बाढ़ या प्राकृतिक आपदा से कैसे बचा जाये, इसके लिए सरकार के पास ठोस पालिसी होनी

चाहिए, ठोस नीति होनी चाहिए। प्राकृतिक स्रोत को हम समाप्त न कर पायें, उसके लिए एक पालिसी होनी चाहिए।

मैंने कहा था कि आप नागपुर की तर्ज पर बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट क्यों नहीं खोलते? जबकि आप जानते हैं कि बिहार के तीन हिस्सों में हर साल बाढ़ आती है। जब वहां बाढ़ आती है, तब हम लोग हल्ला करते हैं, चिंतित होते हैं। जब किसान मरता है तब हम हल्ला करते हैं। किसान जब भूख से मरता है, तब हम वहां अनाज भेजते हैं। देश की विडम्बना है कि हम लोग यहां सिर्फ राजनीति करते हैं।

सभापति महोदय, मैं बिहार के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। आप सभी जगह नदियों को जोड़ने की बात करते हैं। आप बिहार की कमला, गंडक, महानदी, कोसी आदि नदियों को जोड़कर कैसे एक सुन्दर बिहार बनाने की कल्पना करेंगे? आप बिहार को विशेष पैकेज का दर्जा नहीं दे रहे, लेकिन कम से कम आप बिहार को 3500 करोड़ रुपये दें, ताकि बिहार बाढ़ के मामले में मजबूत हो सके। कोसी और मिथला में हुदहुद के कारण जो स्थिति बनी, उससे वहां का किसान तबाह हो गया। वहां आपने एक पैसा नहीं दिया। इससे वहां का किसान और मजदूर तबाह हो गया। आपने न तो घर के लिए पैसा दिया, न आम आदमी की क्षतिपूर्ति के लिए पैसा दिया और न जानवरों की क्षतिपूर्ति के लिए पैसा दिया। बिहार में हुदहुद, प्राकृतिक प्रकोप या कोसी बांध द्वारा जो क्षति हुई है, उसके लिए क्या भारत सरकार कोई सहायता देगी? आप वहां हैल्थ सेंटर की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे, बांध पर जो रोड बननी चाहिए, उसकी कोई व्यवस्था नहीं कर रहे।

सभापति महोदय, मैं दो प्वाइंट्स के बारे में मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं। आज देश में प्राकृतिक आपदा या जम्मू-कश्मीर के दर्द पर बातें हो रही हैं। जम्मू-कश्मीर में एक लाख करोड़ रुपये की क्षति हुई है। क्या कश्मीर को 1 लाख करोड़ रुपये देकर नया कश्मीर बनाने के लिए सरकार के पास कोई योजना है या सिर्फ इस चुनाव के लिए हमारे प्रधान मंत्री जी वहां गये और राजनीति करके आ गये? ...(व्यवधान) जो दर्द डॉ. मनमोहन सिंह जी के पास कोसी के लिए था। ...(व्यवधान) मैं चाहूंगा कि आप कोसी को उबारने के लिए ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन : मैं चाहूंगा कि बिहार के तीन हिस्से जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं। ...(व्यवधान) मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : समय का अभाव है। आप कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री राजेश रंजन : मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात कोसी के बारे में आई थी। राष्ट्रीय आपदा घोषित भी हुई। आपकी भूकम्प से निपटने की योजना है। आप भूकम्प जोन में क्या करना चाहते हैं?

अंत में, मैं यह जरूर कहना चाहता हूँ कि प्राकृतिक आपदा के बारे में सदन में हम सब मिलकर कोई राजनीति न करें। हम मिलकर ठोस नीति बनाएं। हम मिलकर यह सोचें कि कैसे भारत के लिए ठोस नीति बनाकर 120 करोड़ लोगों को प्राकृतिक आपदा से छुटकारा दिलाएं।

श्री धर्मन्द्र यादव (बदायूँ) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जब से इस विषय पर चर्चा हो रही है मैं तब से पूर्व वक्ता साथियों की चर्चा सुन रहा था। जहां पप्पू भाई ने अपनी बात खत्म की है, मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूँ।

सभापति जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप गवाह इस बात के हैं कि सदन में हर सत्र में इन मुद्दों पर चर्चा हुई है। लेकिन सवाल केवल चर्चा का नहीं है बल्कि सवाल यह है कि हमें देश में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए ठोस नीति बनानी चाहिए, स्थायी नीति बनानी चाहिए। मैं यह सदन में केवल आज ही नहीं कह रहा हूँ, आदरणीय डॉ. राम मनोहर लोहिया बहुत पहले कहकर चले गए कि जब तक देश में सभी नदियों को नहीं जोड़ेंगे तब तक देश को प्राकृतिक आपदाओं से मुक्त नहीं करा पाएंगे। यह बात आज की नहीं है, 60-70 के दशक की बात है। सभापति जी, आप उस समय के गवाह हैं, उस समय हम इस सदन के सदस्य नहीं रहे होंगे।

सभापति जी, सदन में बहुत सी बातें कही गईं। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि नदियों को जोड़ने का स्थायी इंतजाम किया जाए। मेरी सरकार से दूसरी मांग है कि मौसम विभाग को और प्रभावी बनाया जाए। सरकार तकनीकी जानकारी जुटाते हुए वैज्ञानिकों की सलाह पर बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के अमल करे। मेरी तीसरी मांग है कि प्राकृतिक आपदा चाहे कश्मीर में आए, चाहे बिहार में आए, चाहे ओडिशा में आए, चाहे आंध्र प्रदेश में आए, चाहे उत्तराखंड में आए या असम में आए, यदि आप केवल राज्य सरकारों के ऊपर जिम्मेदारी डालकर निपटना चाहेंगे तो इससे कभी नहीं निपट सकते हैं। देश के किसी भी हिस्से में संकट आता है तो भारत सरकार की स्वाभाविक और नैतिक जिम्मेदारी बनती है इसलिए भारत सरकार कभी इससे अपने आपको अलग न करे। ... (व्यवधान) उत्तर प्रदेश अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभा रहा है, आप उत्तर प्रदेश की चिंता छोड़िए।... (व्यवधान)

सभापति जी, सत्ता पक्ष के कुछ साथी किसानों के दर्द के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमें खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को किसानों का दर्द है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुनावी वादे याद दिलाना चाहते हैं। उन्होंने जिसमें कहा था कि देश के किसानों को उनकी फसल की लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देंगे। मैं सत्ता पक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि यह कब होगा? मैं यह सवाल बाद में उठा रहा हूँ जबकि सरकार के लोगों ने पहले उठाया था।

जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, चाहे सूखे का इलाका रहा हो, चाहे बाढ़ का इलाका रहा हो, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने जी हर इलाके के लिए अपने स्तर पर प्रदेश सरकार के खजाने से जो राहत दे सकते थे, वह दी है और भारत सरकार से विशेष पैकेज की मांग भी की है। 73 लोग उत्तर प्रदेश

से आए हैं, अगर वे पैकेज नहीं पहुंचा पाए तो जनता देख रही है, अभी उपचुनाव में सबक भी सिखा दिया है और आने वाले चुनाव में भी सबक सिखा देगी।

सभापति जी, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं सत्ता पक्ष से कहना चाहता हूँ कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे को, संवेदनशील मुद्दे को राजनीतिक न बनाइए। अगर इसे राजनीतिक बनाने का प्रयास करेंगे तो आपके पास किसी सवाल का जवाब नहीं होगा। आप बिजली का सवाल उठाते हैं, आप कोयला नहीं देंगे, उत्तर प्रदेश के कोटे की बिजली नहीं देंगे और उसके बाद सदन में हंगामा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं है। देश की जनता जानती है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बहुमत दिया है वहीं सरकार बनाने के लिए जनता ने आपको भी बहुमत दिया है इसलिए लिहाज़ा आपकी भी जिम्मेदारी बनती है।

इसलिए हम इस विषय को बहुत ज्यादा लम्बा नहीं खिंचना चाहते हैं। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की चर्चा सत्ता पक्ष के लोगों ने की, सभापति महोदय आप जानते हैं, किसानों के दर्द को आप समझते हैं, जिस देश के 60-65 फीसदी लोग और आबादी के हिसाब से तकरीबन 80 करोड़ लोग जो आज खेती-किसानी पर निर्भर करते हैं, उनके लिए एक हजार करोड़ रुपए राशि की सिंचाई योजना बना दी और आप उसकी तुलना प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना से कर रहे हैं। एक हजार करोड़ रुपए राशि की योजना से आप पूरे देश के किसानों की समस्या को दूर कर देंगे, इस देश के किसान गुमराह होने वाले नहीं हैं। देश के किसान देख रहे हैं कि बुलेट ट्रेन के लिए 60 हजार करोड़ रुपए दिये गये हैं, लेकिन किसानों की सिंचाई योजना को सिर्फ एक हजार करोड़ रुपए देना चाहते हैं। इस देश के किसान देख रहे हैं और आने वाले समय में वे जवाब भी देंगे। मेरा भारत सरकार के लिए एक विनम्र सुझाव है। इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करना बंद करें। यह कहना बंद करें कि हमने फलां जगह फलां काम किये। माननीय मंत्री जी महत्वपूर्ण यह है कि चाहे वह पूर्वोत्तर की समस्या हो, ओडिशा, आन्ध्र प्रदेश जैसे समुद्री राज्यों की समस्या हो, चाहे बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की बाढ़ की समस्या हो, चाहे कश्मीर की समस्या हो या उत्तराखण्ड की समस्या हो, इन सभी समस्याओं पर बिना किसी भेदभाव के पूरी गंभीरता से विचार करके जो वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, पर्यावरणविदों की राय हो, उसे स्वीकार करके एक सार्थक पहल करें, उसका हम लोग भी समर्थन करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री धर्म वीर गांधी (पटियाला) : सभापति महोदय, इस विषय पर बोलने से पहले मैं एक-एक लाइन में दो मुद्दों पर अपनी बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहले बात यह है कि जब सभी पार्टियाँ, विपक्ष वाले और सत्ता पक्ष वाले बोलते हैं तो कहते हैं कि इस विषय पर अब राजनीति मत कीजिए और सभी लोग राजनीति कर रहे हैं। ह्यूमैन ट्रेजडी पर राजनीति करना बुनियादी तौर पर गलत है। We should talk on facts and we should have suggestions to make. पर राजनीति वाली बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ... (व्यवधान) श्री आज्ञाद जी ने मैडम के ऊपर कमेंट किया कि आप बिहार की बहू हैं, ऐसे जो पितृसत्तामक दिमागी चौखटे हैं, उससे बाहर निकलें। ... (व्यवधान) कम से कम इस हाऊस से यह आशा नहीं की जा सकती है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होगा। ... (व्यवधान) इससे यह होता है कि औरतों की जो भागीदारी है, उनका जो आत्मविश्वास है, उनको झुठलाया जाता है, उन पर हमला होता है, ... (व्यवधान) I disagree with Mr. Azad. He is not present here. पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि आप बिहार की बहू हैं। This is not the way of arguing in Parliament.

माननीय सभापति : कृपया आप प्राकृतिक आपदा के विषय पर बोलें।


श्री धर्म वीर गांधी : मैं प्राकृतिक आपदा के विषय पर आता हूँ। बस थोड़ा-सा मुझे कहना है कि जब से यह दुनिया अस्तित्व में आयी है, कुदरती आपदाएं आती रही हैं परन्तु पिछले कुछ दशकों में, खासकर इस दशक में भारत में और विश्व भर में इन आपदाओं की तीव्रता में, इंसीडेंस और इंटेन्सिटी में बहुत वृद्धि हुई है। केवल इसी वर्ष में हमने 10 बड़ी आपदाएं हिन्दुस्तान में देख ली हैं- चाहे वह हुदहुद हो, चाहे कश्मीर की बाढ़ हो, चाहे असम की बाढ़ हो, चाहे बिहार की बाढ़ हो, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। किसी भी आपदा से निपटने के लिए हमें चार चीजें चाहिए। वे हैं- रेस्क्यू, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन और लांग टर्म प्लानिंग। जहाँ तक रेस्क्यू का ताल्लुक है, मैं ओडिशा सरकार, आन्ध्र प्रदेश की सरकार और केन्द्र सरकार को शाबाशी देता हूँ। जहाँ ये चक्रवाती तूफान आए हैं, इन दोनों सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया है और लाखों लोगों को बचाया है। यह काम उन लोगों ने बखूबी अच्छा किया है। दूसरी बात है, रिलीफ के मामले में, तूफान के बाद जो लोगों की हालत होती है और उसके बाद जितने लोग घरों से विस्थापित होते हैं, उनके मामले में जो हमारा इंतजाम है, वह मुकाबलतन बहुत कम है। तूफान के बाद जो बीमारियाँ फैलती हैं, जो एपिडेमिक्स फैलते हैं, उनमें बहुत से लोगों की जान भी जाती है और बहुत सारे लोग बीमारी से दुखी भी होते हैं। इस ओर हमारी व्यवस्था काफी कमजोर है। हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए।



महोदय, तीसरा विषय रिहैबिलिटेशन है। यह मोस्ट नेगलेक्टेड पार्ट है। जब बड़े पैमाने पर तबाही होती है तो रिहैबिलिटेशन राज्य सरकारों के वश की बात नहीं होती है, उसमें केंद्र सरकार द्वारा इस बात को ध्यान में न रखते हुए कि कहां किस पार्टी की सरकार है, रिहैबिलिटेशन के लिए ज्यादा फण्ड्स दिए जाने चाहिए ताकि लोगों की जिन्दगी दुबारा पटरी पर आ सके और वे सामान्य रूप से जिन्दगी जी सकें। चौथा प्वाइंट है - लॉग टर्म रिहैबिलिटेशन, उसके लिए जो एनडीएमए है, जो आजकल हेडलेस बॉडी है और टूथलेस बॉडी है, मुझे खुशी है कि वैज्ञानिक लोगों को, जो अपने प्रोफेशन के माहिर लोग हैं, उनको आप उसमें ला रहे हैं। उसे ज्यादा दृढ़ता देनी चाहिए। जो नेशनल डिफेंस रेस्क्यू टीम हैं, उनको भी ताकतवर बनाना चाहिए ताकि कहीं भी आपदा आने पर सारा देश एकजुट होकर वहां पहुंच जाए और हम इन कुदरती आपदाओं से बच सकें। इनमें से कुछ आपदाएं कुदरती हैं और कुछ आपदाओं में कुदरत और हमारी गलतियों का मिश्रण है, हमने कुदरत के साथ जो बदतमीजी की है, उसका मिश्रण है। जैसे चक्रवाती तूफान है, **we do not have much to do there.** जो ज्वालामुखी फटते हैं, भूकम्प आते हैं, हम उनमें कुछ नहीं कर सकते हैं, परन्तु जो बाढ़ और सूखा है, अगर हमारी इच्छाशक्ति हो तो इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन और स्टेट इंटरवेंशन बहुत कुछ कर सकती है। हमें सरकारों और लोगों को जागरूक करना चाहिए। दरख्तों की जो कटाई होती है, जो माफिया लोग करते हैं, जिनको किसी न किसी पार्टी का संरक्षण प्राप्त होता है, जो लाखों की संख्या में दरख्त काटे जा रहे हैं, जंगल उजाड़े जा रहे हैं और बिना अनुमति के इंडस्ट्री लगाई जा रही है, उत्तराखण्ड में जो कुछ हुआ, उसे सब जानते हैं। इन बातों पर ध्यान दिए बगैर हम आपदाओं से पूरी तरह से मुक्ति नहीं पा सकेंगे।

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : महोदय, पिछले सत्र में भी इस पर चर्चा हुई थी, बाढ़ के ऊपर चर्चा हुई थी और सूखे पर चर्चा करने का अवसर इस सेशन में आया है। प्राकृतिक आपदा के माध्यम से किसानों का जो नुकसान होता है, गरीबों के मकानों का नुकसान होता है और उनके जीवन उध्वस्त हो जाते हैं, ऐसी आपदाओं के बारे में हम क्या योजना बनाएं, उस पर यहां चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन यहां जो भी बोलता है, वह अपनी राजनीतिक भूमिका रखता है और उसमें चर्चा चलती रहती है।

सभापति महोदय, मैं आपको महाराष्ट्र के सूखे के बारे में बताऊंगा। महाराष्ट्र में तकरीबन 19059 गांव सूखे की छाया में हैं। वर्ष 1972 में सबसे बड़ा सूखा आया था, तब महाराष्ट्र में 16014 गांव सूखे से प्रभावित हुए थे। इस साल एक करोड़ नब्बे लाख सूखे के इस संकट में फंसे हैं। आज महाराष्ट्र में औसतन तीन किसान आत्महत्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सूखे की इतनी गंभीर स्थिति पैदा हुई है कि कई गांवों में पीने का पानी नहीं है, जानवरों को चारे की सुविधा नहीं है, कई गांव ऐसे हैं जहां लोग काम ढूढ़ने के लिए पलायन कर रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों से सूखा, अतिवृष्टि, हिमवर्षा और लोडशेडिंग की वजह से किसान कर्ज में डूब गए हैं। मैं सरकार से विनती करना चाहता हूं कि हमारे यहां के किसानों का कर्जा माफ करना जरूरी है। वर्ष 2007 में जब सरकार ने कर्जा माफी की थी, उस समय की सरकार ने जिन पर कोई कर्ज नहीं था, ऐसे लोगों के कर्ज माफ किए थे, आपके पास उसकी रिपोर्ट भी आई है। आज उसकी बारे में चौकसी है, लेकिन जिन किसानों पर कर्ज है, उनका कर्ज माफ करने की सरकार ने घोषणा की, उनका कर्ज माफ नहीं हुआ और आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसका पाप किसके ऊपर जाएगा।

सभापति जी, वर्ष 2001 से 2014 तक, महाराष्ट्र में 17075 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। पिछले छह महीने में 1410 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं यानी 3 किसान रोज आत्महत्याएं कर रहे हैं। लोकशाही में, लोगों के लिए, काम करने की व्यवस्था होती है, लेकिन पिछली सरकार के गलत निर्णयों की वजह से ऐसी व्यवस्था निर्मित हुई है। महाराष्ट्र के किसानों द्वारा हो रही आत्महत्याओं को रोकने के लिए, महाराष्ट्र की सरकार ने, साहूकारी के विरोध में, असेम्बली में एक कानून पास किया था, लेकिन अभी तक  कानून को मान्यता नहीं मिली है। आज भी साहूकारों द्वारा किसानों को लूटा जाता है, जिसके कारण किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं।

सभापति जी, महाराष्ट्र पिछले तीन सालों से सूखे से प्रभावित है। वहां के 18 जिलों में पीने के पानी का संकट पैदा हो गया है। सभापति जी, मैंने पहले भी कहा है कि जैसे जम्मू-कश्मीर की आपदा को

राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया था, उसी प्रकार महाराष्ट्र में भी राष्ट्रीय आपदा घोषित करनी चाहिए, यह मांग मैं यहां करता हूं।

सभापति जी, स्वामीनाथन समिति की सिफारिश के बारे में भी बार-बार यहां चर्चा होती है। मेरा कहना है कि अगर किसानों को आत्महत्या करने से बचाना है, तो सरकार को स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को मानना चाहिए। अगर हम उन सिफारिशों को मान लेते हैं, तो देश के किसानों को हम लोग मुख्यधारा में ला सकते हैं। जो किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, वही आत्महत्या करे, यह देश के लिए उचित नहीं कहा जा सकता है। मैं मांग करता हूं कि आने वाले समय में, हमारे देश का किसान आत्महत्या न करे, उसके लिए सरकार के माध्यम से पूरे उपाय होने चाहिए। धन्यवाद।

डॉ. अरुण कुमार (जहानाबाद) : माननीय सभापति महोदय, इस गंभीर चर्चा में बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। नेचुरल कैलेमिटी की जड़ में प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है और बाजारवाद तथा भौतिक सुख की आकांक्षा के कारण लोग प्रकृति से छेड़छाड़ करने में कोई परहेज नहीं करते हैं। इससे बचने के लिए, हमें एक वातावरण का निर्माण करना होगा और प्रकृति के जितने करीब हम रहेंगे, उतना ही मानवता के लिए अच्छा होगा। यह ठीक है कि हम आपदाओं को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इसके तांडव के स्वरूप को कम तो कर सकते हैं। विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो विकास हुआ है, जो क्रांति हुई है, उसके माध्यम से, हम इन आपदाओं को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इसके मैग्निच्यूड के विस्तार में प्रकृति की बड़ी भूमिका है। विकास का जो एक मानक होना चाहिए कि इस विकास से कितनी प्रकार की मानवीय वृत्तियों पर चोट पहुंचने वाली है, मानवीय जीवन पर प्रहार होने वाला है, यह विकास के मूल केन्द्र में होना चाहिए।

जिस स्तर का हुदहुद तांडव था, उसके हिसाब से ओडिशा की सरकार, आंध्र प्रदेश की सरकार, मौसम विभाग और भारत सरकार ने मिलकर इसमें होने वाली क्षति को कम करने की कोशिश की और इसमें बहुत हद तक सफलता भी मिली थी। लेकिन हमें इसके लिए लॉग टर्म प्लानिंग करनी होगी। बिहार में, खास तौर से उत्तर बिहार के इलाकों नेपाल से आने वाली नदियों के कारण बाढ़ की स्थिति बनती है। लेकिन आज तक हमने इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं बनाया है। निश्चित तौर से इन नदियों में सिल्टिंग हो रही है, जिसकी वजह से गांव से उन नदियों की ऊंचाई बीस से पच्चीस फीट ज्यादा हो गयी है। इसलिए इन नदियों की डीसिल्टिंग की जानी चाहिए। हमारे आचार और व्यवहार की वजह से सुखाड़ की स्थिति और पेयजल की समस्या उत्पन्न हो रही है और काफी संकट पैदा हो रहा है।

महोदय, हम जिस खाद का प्रयोग आजकल कर रहे हैं, उसकी वजह से वॉटर रिटेनेशन कैपेसिटी घट रही है। आज जो डिफोर्सटेशन हो रहा है, उसकी वजह से भी वॉटर रिटेनेशन कैपेसिटी घट रही है। आज ज्यादातर नदियों का पानी समुद्र में जा रहा है। जल, जंगल और पहाड़ जिस तरीके से अव्यवस्थित हो रहे हैं, उसके लिए हमें एक लॉग टर्म प्लानिंग करनी होगी ताकि हमारा आज और संतति सुरक्षित हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Sir, this discussion under Rule 193 is more significant and vital. I am thankful to you for giving me this opportunity to participate in this very important discussion.

Natural calamities, whether it is cyclone, tsunami, floods, earthquake, accidents, sea erosion, lightening, as we all know, are playing havoc resulting in huge loss of life and property. In some calamities, the damages are reparable to some extent, but in some other calamities the damages are irreparable. So, it is our national responsibility to control these kinds of disasters. Disaster management is the duty of the nation.

There are different components to disaster management. As correctly pointed out by learned friends, prevention, mitigation, risk reduction, developing adequate preparedness to deal with disasters, ensuring proper response, evacuation, rescue and relief measures, ensuring recovery, reconstruction, and rehabilitation are some of them. So, we have to concentrate on these components and do the maximum possible in this.

I wish to say one more thing. In the past, our disaster management team made a tremendous impact. I, from the bottom of my heart, express my congratulations for the marvellous job done by them in tackling these kinds of disasters. The country should be thankful to them.

Coming to the laws pertaining to this, we have Disaster Management Act, 2005; Environmental Protection Act, 1986; Hazardous Waste Management and Handling Rules, 1989; Hazardous Chemicals Rules, 1989. All these laws are there. I would request the Government to bring in adequate amendments to these laws pertaining to disaster management.

Coming to other institutional framework, policy making, disaster response, and capacity building have to be reviewed and we have to make adequate reforms with regard to them also.



17.00 hrs.

We have got past experience. In the light of the past experience, we have to think what best we can do in improving the system. So, that is to be discussed threadbare.

There is another important thing which I wish to point out. As far as Kerala is concerned, it is facing lightning and sea erosion. In our State, there are near about 600 kms. of coastal belt. Sea erosion takes place not only in Kerala but also in different parts of India. Sea erosion and lightning is not included in the list of disasters. So, that is to be included. Then only at least compensation can be claimed. I hope the Government will seriously think of that.

Sir, the recommendations of various bodies are there such as the Task Force constituted by the Central Government; the Disaster Management Act, 2005; the C&AG's Report, 2013; the recommendations of the Standing Committee on Home Affairs, 2014. They have all made very effective recommendations in this respect. I hope the Government will give due consideration for that also.

In respect of the National Disaster Management Authority, some of my learned friends have stated about it. This is to be revamped. I am of the opinion that the National Executive Committee under this is to be abolished because its power is now not exercised properly. Its functions could be taken over by the National Crisis Management Committee and the NDMA.

Similarly, about execution of the projects, I would like to say that it is in a very bad shape. Out of the 10 projects which were recommended to be taken up by the NDMA during the Eleventh Five Year Plan, four were yet to be approved as of February, 2014. Out of the remaining five projects which were approved, one project, that is, the Micro-zonation of Major Cities, has been completed. The remaining four are under various stages of implementation.... (*Interruptions*)

Sir, towards the end, I wish to say one more thing. That is about the man-made calamities. About the man-made calamities, let me say in just one sentence.. Actually what is it that we are doing? Man is cruel to air, soil, water, etc. So, unless and until we stop and put an end to the man-made calamities, we will not be able to save the world and we cannot be free from disasters.

With these few words, I conclude. Thank you very much.

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय (चन्दौली) : सभापति जी, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि कई सदस्यों ने कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और सबने राजनीति की है। प्राकृतिक आपदा पर राजनीति से हट कर सेवा का क्या भाव होना चाहिए यह हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने कश्मीर की प्राकृतिक आपदा में कर के दिखाया और कैसे प्राकृतिक आपदा में संवेदनशील हो कर सेवा करने से लोगों का मन बदल जाता है, यह पूरे देश और दुनिया ने देखा। इसके लिए हमारे प्रधान मंत्री जी बहुत ही बधाई के पात्र हैं। आज इस अवसर पर मैं आपको यह जानकारी देना चाहूंगा कि हुदहुद तूफान से देश के जिन-जिन भागों की चर्चा आई, उसमें उत्तर प्रदेश की चर्चा बहुत कम आई। मान्यवर मैं यह बताना चाहता हूँ कि हुद-हुद का कुप्रभाव बिहार सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश तक पड़ा है। हुद-हुद के प्रभाव से बिहार में भी तीन मौतें हुईं। हुद-हुद के प्रभाव से उत्तर प्रदेश में भी भारी तबाही हुई। हुद-हुद से 18 मौतें उत्तर प्रदेश में हुई हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, देवरिया, मिर्जापुर, भदोही, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती आदि इन सब में इसका प्रभाव रहा। यहां तक कि लखनऊ में हवाई जहाजों की लैंडिंग भी प्रभावित हुई और ट्रेनें भी प्रभावित हुई। यह जो हुद-हुद का प्रभाव रहा, इस पर हम इस चर्चा के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। हमारे चंदौली में एक गांव जनौली में छह बच्चे मढ़ई के गिरने से घायल हो गए। महोदय, हुद-हुद के प्रभाव से हमारे गाजीपुर के गांव में खुद की बाउंड्री और पेड़ गिर गए। पूरे उत्तर प्रदेश के कोने-कोने तक इसका प्रभाव रहा है। आज की चर्चा में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसके संग जो दैवीय आपदा का पक्ष है, इस पर उत्तर प्रदेश, बिहार के इलाकों का संज्ञान लिया जाए और उनमें भी मदद का भाव रखा जाए। इस बीच में जो सबसे आवश्यक बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि यहां पर दैवीय आपदाओं के संदर्भ में जो सहायता राशि देने का प्रावधान है, उस पर पुनर्समीक्षा किए जाने की जरूरत है।

17.05 hrs.

(Hon. Deputy Speaker in the Chair)

आज प्राकृतिक आपदा, चक्रवात, तूफान से प्रभावित किसानों की लेखपाल बड़ी मिन्नत के बाद जाँच करता है और उस जाँच के बाद जब वह रिपोर्ट देता है तो कभी-कभी इतनी न्यूनतम राशि की मदद मिलती है कि उस मदद को लेने में किसान और प्रभावित आदमी संकोच का अनुभव करता है। वह बैंक जाने से हिचकना है कि ढाई सौ, तीन सौ रूपए का चेक लेकर मैं क्या करूँगा? इन परिस्थितियों में इसके पुनर्मूल्यांकन की जरूरत है।

मेरे पास पिछली संप्रग सरकार के समय का एक नोटिफिकेशन है। मैंने इसमें देखा, यह 28 नवंबर, 2013 का है, इसमें समीक्षा करके प्राकृतिक आपदाओं में जो राशि देने की बात कही गयी है, ऑनरेबल

डिप्टी स्पीकर महोदय, आपके प्रति सम्मान के साथ कहना चाहूँगा कि इस पर ध्यान लाएँ कि यह जो प्राकृतिक आपदाओं में चालीस रूपए एडल्ट को और चाइल्ड को तीस रूपए राहत कैंप में राशि का प्रावधान है, यह संग्रह सरकार के समय का निर्णय है। मैं सदन के माध्यम से अपनी सरकार से अनुरोध करूँगा कि इस पर पुनर्समीक्षा करें। चालीस रूपए में राहत कैंप में दिन भर में दो समय का भोजन एडल्ट को और तीस रूपए में बच्चों का भोजन देना सम्भव नहीं है।

प्राकृतिक आपदा में जो परिस्थितियाँ बनती हैं, उसमें सारा चारा सड़ जाता है। जो भी पशुओं का चारा है, जो उसका भूसा और खली है, सब बर्बाद हो जाता है। सरकार की तरफ से जो प्रावधान है, उसमें बड़े एनीमल के लिए पचास रूपए पर-डे का है और पच्चीस रूपए छोटे एनीमल के लिए है। आज पचास रूपए बड़े एनीमल को, गाय को, भैंस को कोई भी किसान नहीं खिला सकता है। जब बाढ़ और तूफान आता है, तो उस समय तो उसके दाम और दूने चढ़ जाते हैं, इस नाते, इस पर भी पुनर्समीक्षा किए जाने की जरूरत है।

इस चर्चा में मैं उत्तर प्रदेश से जुड़े लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा, जो लोग सरकार चलाने से भी जुड़े हुए हैं, उनका भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। अखबारों में तो सरकार ने 54 जिले सूखाग्रस्त घोषित किए, सारे प्रदेश को अजीब तरीके से जानकारी दी जा रही है, अखबारों में यह घोषित किया गया कि 54 जिले सूखाग्रस्त हैं और प्रैक्टिकली जब भारत सरकार ने रिपोर्ट माँगी तो उसे बताया गया कि 44 जिले सूखाग्रस्त हैं। जनता वहाँ परेशान हो रही है। जनता समझ रही है कि हमारा जिला भी सूखाग्रस्त है। यह जो दोहरी नीति है, यह नहीं होनी चाहिए। यह प्राकृतिक आपदा का विषय है, केन्द्र सरकार को राज्य सरकार से स्पष्टीकरण और तथ्यों का अन्वेषण निश्चित रूप से करना चाहिए।

इसमें सबसे बड़ी बात है कि कोई क्षेत्र आज प्राकृतिक आपदा में सूखाग्रस्त घोषित हो गया, वहाँ फसल बर्बाद हुई, अनेक इलाके सूखे से बर्बाद हुए, धान की फसल बर्बाद हुई, रबी की बुआई का समय है, लेकिन जिला सूखाग्रस्त घोषित है। उदाहरण के रूप में हमारा बनारस है, चंदौली है, ये सूखाग्रस्त घोषित हैं, लेकिन किसान को खाद भी क्रेडिट पर साधन सहकारी समिति की ओर से नहीं दी जा रही है। उसकी राशि पेमेंट और भी विषयों का बाकी है। धान की बिक्री का उसे पूरा पेमेंट नहीं मिला है। वह क्रेडिट पर खाद से रबी की फसल न बो सके, तो किस बात का सूखाग्रस्त है?

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि इन सारे विषयों पर ध्यान देने की जरूरत है। विशेषकर उत्तर प्रदेश को, हुदहुद तूफान से प्रभावित इलाकों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : महोदय, आपने मुझे चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

देश के विभिन्न भागों तथा जम्मू और कश्मीर में वर्षा और बाढ़, आन्ध्र प्रदेश और ओडिशा में हुदहुद चक्रवात और महाराष्ट्र में सूखे के विशेष सन्दर्भ में प्राकृतिक आपदाओं के बारे में नियम 193 के तहत आज सदन में चर्चा हो रही है। ऐसे मौके पर मुझे भी बोलने का मौका मिला है। हर वर्ष देश में विभिन्न तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। जम्मू और कश्मीर में आई भीषण बाढ़ की तबाही से जहाँ भारी जान-माल का नुकसान हुआ, वहीं देश के दूसरे छोर आन्ध्र प्रदेश और ओडिशा में हुदहुद चक्रवात के तांडव ने देश को हिलाकर रख दिया। महाराष्ट्र भयंकर सूखे की चपेट में है। जहाँ किसान आत्महत्याएं करने पर मजबूर हैं। वहीं असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर हर साल हाहाकार मचाती रहती है।

महोदय, मैं बिहार से आता हूँ। बिहार राज्य भी अपनी विषम भौगोलिक संरचना के कारण हर वर्ष बाढ़ और सुखाड़ से परेशान रहता है। यहाँ कुल 68.80 लाख हैक्टेयर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है जो कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 73 प्रतिशत, तथा देश के कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र - 400 लाख हैक्टेयर का 17.20 प्रतिशत है जो हर साल नेपाल से परेशान होता है। कोसी नदी, परमार नदी, महानंदा, मैसी, कन्काई आदि नदियों से आने वाले पानी में उत्तर बिहार के पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, कोसी, मिथिला, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सहरसा को बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है। सीमावर्ती क्षेत्र से अत्यधिक ढाल के कारण नदियाँ अपने जलस्राव के साथ भारी मात्रा में गाद लाती हैं। उसके कारण नदियों का तल ऊँचा हो जाता है और नदियाँ अपनी-अपनी धाराएँ बदल देती हैं जिसके कारण बिहार को प्रतिवर्ष बाढ़ एवं कटाव के कुप्रभाव को झेलना पड़ता है। अतः मेरी गुज़ारिश है कि भारत सरकार नेपाल सरकार से बात करके इस समस्या का समाधान करे।

महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र नालंदा की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। अभी हाल ही में आई भीषण बाढ़ से जान-माल का काफी नुकसान यहाँ हुआ है। नालंदा ज़िले के 20 प्रखंड हैं जिसमें 15 प्रखंड बाढ़ की चपेट में थे। इस विभीषिका में करीब 150 से अधिक जानें गईं, लगभग 200 जानवर पानी में बह गए, लगभग 62 हज़ार हैक्टेयर में लहलहाती फसलें बरबाद हो गईं। 2092 कच्चे मकान गिर गए, 161 पक्के मकान गिर गए और पूरी तरह से बाढ़ की भेंट चढ़ गए। 410 पुल तथा 198 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हुईं, 150 तटबंध टूट गए। महोदय, बिजली के हज़ारों खंभे टूट गए और करीब 100 ट्रांसफॉर्मर ध्वस्त हो गए। मेरी सरकार से मांग है कि एक कमेटी बनाकर नालंदा संसदीय क्षेत्र की समीक्षा

कराई जाए। राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से राहत कार्य चला रही थी मगर प्रभावित किसानों को पर्याप्त फसल बीमा मुआवज़ा देने की ज़रूरत है। जिन लोगों के घर बाढ़ में बह गए हैं या क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन सभी को पर्याप्त मुआवज़ा देने की आवश्यकता है।

महोदय, रोड, नाले, पुल, पुलिया, सारे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में मेरा आपसे अनुरोध है कि आपदा प्रबंधन को मज़बूत करके वहाँ मुआवज़ा देने की प्रक्रिया शुरू कराई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA (NIZAMABAD): Hon. Deputy Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity. We have seen a great many discussions happening in this House both about flood and also about drought. But I would like to draw the attention of the Members, through you, to one serious issue that has not come to the notice of this august House. Particularly in the Northern part of our country, Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Jharkhand, Delhi, Haryana, Rajasthan, Punjab and Himalayan States like Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jammu and Kashmir, cold has just started. It is going to intensify in the coming days. Particularly in the past few years – our own Government data says this – between 2002 and 2012, as many as 10,740 people died from exposure to cold and severe avalanche. This is only second to the number of people who die out of lightening in our country. Out of lightening, about 27,338 people have died between 2002 and 2012. This is a calamity that none of us care. We only think about drought; we only think about floods; but nobody actually thinks about the poor and the destitute who cannot protect themselves from cold in these months. Unlike flood and drought, this is not an unpredictable scenario. This is a very predictable scenario. We know that these months are going to be very cold. We know that these States have a very severe environment but still we do not do anything serious about it.

Delhi Urban Shelter Improvement Board stated a month back that nearly 3500 homeless people have died due to severe cold in the last year. I do not think the figures will be any good this year. It is because, I unfortunately had an opportunity to visit one of these cold shelters that the Government runs in Delhi. It was very unfortunate. बेसिक हाइजीन भी नहीं है। There is nothing; there is no facility.



On that day when I went there, the Government authorities were distributing blankets. The way they were distributing blankets was like this. One blanket was cut into two halves and it was given to two people. In the cold of this month in Delhi, I do not see any chance of a person, a weakling surviving with a blanket. Sir, through you, I sincerely request the hon. Home Minister to give a serious consideration to this issue because it is a repetitive scenario. It is not new. Particularly, it is very shocking for me to know that there is no national scheme to help any of the States to come up with any innovative scheme or to have a permanent solution to this issue. If 10,000 people can die in the last 10 years, between 2002 and 2012, I believe this is a sincere issue of national concern, and I urge upon the Central Government, through you, Sir, that they should come up with a permanent solution.

Particularly, whenever winter sets in, the death toll starts to go up. Last time when there was Aam Aadmi Party Government in Delhi, they suddenly declared that they could make use of the Government buses which the Government does not use at night and that they can use them as cold shelter. Typically, these temporary solutions are not going to help. Kindly look into this matter of people dying out of cold. Particularly when we talk about these deaths—and I have seen many of my colleagues talking about issues like, do not play politics with people's lives and all that--the people, who die out of cold, are faceless, homeless and poor. They do not have any religion. They do not have any caste. They do not have any political influence. That is why, maybe, we do not care. I have never seen this discussion coming up in Parliament. I suddenly stood up to talk today on this issue because I happened to visit that cold shelter and it is in an unfortunate situation. It is in a very bad condition. I am not sure if this is relevant to the discussion that is going on. But really, I would like to draw the attention of the entire House, and particularly, the Home Minister to consider this.

Today India aspires to be a super power and if we cannot save our poor and destitute people, I do not think we have any right to even aspire to become one. Thank you so much.

HON. DEPUTY SPEAKER: This is also a part of natural calamity. What she expressed is also relevant to the discussion. The Minister can very well take this point when he is replying.

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): Thank you Chairman, Sir, for giving me this opportunity to participate in the discussion on a very serious issue of natural calamity and disaster.

As all of us know, every natural calamity is a disaster and that disaster is always a disaster, no matter whether it happens elsewhere in the world or in our nation, whether it is in the northern part of India or in the eastern part or in the southern part like Kerala. Everywhere it is a disaster.

Natural disaster occurs as a consequence of the combination of natural hazards and human activities. And, if that be the situation, all the natural hazards, whether it is volcanic eruption or earthquake or landslide or lightning, whatever it is, will take away the lives of the people in our nation. Disaster occurs when hazards meet vulnerability. Vulnerability factor is very important. Because of this vulnerability factor, our Government has always failed to address the issue of vulnerability in all the issues. Disaster will take away the ability of the people to cope with the hazards.

These repeated disasters threaten the sustainable development aspiration of our nation too. From this point of view, I would urge upon this House to note that in the past 20 years, 3000 million people were killed globally and one billion people were affected due to natural disasters. But regarding pre-disaster planning aspects, especially in our nation, we are lagging behind international standards. We have failed to address the issue of pre-disaster planning and management, especially in the matter of man made disasters and all that. We are having a lot of manmade disaster potentials all over the nation, especially in Kerala too. We must need to have a plan to address all these issues. But unfortunately, without resorting to proactive measures, we are always implementing things after the disaster has taken place. This is what is happening in our nation.



So, we should have some mechanism at least at the district level to address all these issues. We are talking about the national level authorities and all. But, at ground level, the reality is quite different because we are not having any coordination among the agencies, which are entrusted with the task of addressing this issue.

In my State, the task of disaster management is entrusted with the Revenue Department. On the other hand, the expertise in handling the equipment used in disaster management is with police personnel or with some other agencies. There is no proper coordination between these two agencies. So, in all situations, we should address the issue of disaster management in a proper manner.

The other important issue, which has already been raised before this august House, is about thunder and lightning. For the last 10 years, more than 27,000 people have lost their lives due to this. But, unfortunately, disaster caused by thunder and lightning is not enlisted in natural disaster management policy and thereby we are not in a position to get relief for it.

I also want to talk about man made disasters or potentials which may cause disasters. I represent Idukki parliamentary constituency in Kerala, where Mullaperiyar dam is situated. We have no quarrel in sharing water with Tamil Nadu. We are prepared to share it but we are only concerned about the safety of the people living there.

HON. DEPUTY SPEAKER: The matter is not connected with the subject under discussion.

... (*Interruptions*)

ADV. JOICE GEORGE : I urge upon the Central Government to intervene in this matter and have a consensus on it and thereby ensure the safety of the people living there. Thank you.

श्री ददन मिश्रा (श्रावस्ती) : महोदय, नियम 193 के अधीन जारी चर्चा में बाढ़, सूखा, हुदहुद तूफान जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने हमें अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष जी, पिछले सत्र में भी इस सदन में बाढ़ और सूखे पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी। हम लोगों ने भी अपने-अपने विचार रखे थे। लेकिन, उस समय हमारे क्षेत्र में सूखे की स्थिति थी। दिनांक 14 अगस्त, 2014 को सत्रावसान हुआ और 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से आदरणीय प्रधान मंत्री जी का राष्ट्र के नाम भाषण चल रहा था। हम लोग भी आदरणीय प्रधान मंत्री जी के आह्वान पर वहां उपस्थित थे। उसी समय हमारे क्षेत्र से फोन आना शुरू हुए कि नेपाल की तरफ से बहुत तेज़ी के साथ पानी आ रहा है, तमाम गांवों में अचानक पानी घुस रहा है, फसलें तबाह हो रहीं हैं।

उपाध्यक्ष जी, उस समय हमने आनन-फानन में सारा कार्यक्रम कैंसल करके, भाग करके जब हम अपने क्षेत्र में पहुंचे तो श्रावस्ती जनपद के मुख्यालय का शेष दुनिया से संपर्क कट चुका था। जनपद मुख्यालय को जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग मुख्य मार्ग से कट कर नदी की धारा में तब्दील हो चुका था। लोग हम लोगों से गुहार लगा रहे थे कि किसी तरह से हम लोगों को यहां से निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाइए। लोग घरों की छतों पर, छप्पों पर, पेड़ों पर शरण लिए हुए थे। हम लोग प्रशासन से लगातार गुहार लगाते रहे। प्रशासन हमें आश्वासन देता रहा कि नाव, मोटर बोट वगैरह मंगा रहे हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हुई। लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। हम लोगों ने अपने स्तर से, अपने कार्यकर्ताओं को लगा कर, जितना संभव हो सका, रेस्क्यू करने का कार्य किया, क्योंकि प्रशासन ऐसी स्थिति के लिए तैयार ही नहीं था।

माननीय उपाध्यक्ष जी, नेपाल की तराई अंचल में बाढ़ कोई नयी चीज़ नहीं है, कोई पहली बार नहीं आयी है। वहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, कभी थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा। लेकिन, इस बार जो नेपाल से पानी आया, वह अप्रत्याशित रूप से बहुत भारी मात्रा में आया। बुजुर्ग लोग बताते हैं कि वर्ष 1969 में जो प्रलयकारी बाढ़ आयी थी, उस समय भी ऐसी तबाही देखने को नहीं मिली थी। इस बार नेपाल के पहाड़ों पर जो बादल फटने की घटना हुई तो उससे कई दिनों तक लगातार वर्षा हुई। हमारा संसदीय क्षेत्र बलरामपुर और श्रावस्ती पूरा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। नेपाल से 62 किलो मीटर की सीमा श्रावस्ती से लगती है और 74 किलो मीटर की सीमा बलरामपुर से लगती है। हमारा पूरा क्षेत्र नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। इस तरह से नेपाल से इतनी तेज़ी के साथ पानी आया कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। घरों में दस-दस फुट तक पानी भर गया। घर में रखा अनाज, खाद्य पदार्थ, दैनिक उपयोग की तमाम वस्तुएं, रोज की जरूरतों को पूरा करने के लिए नक़द रुपया आदि सब कुछ तहस-नहस होकर पानी में बह

गया। अवाक जनता छतों, छप्परो, पेड़ों पर चढ़ कर किसी तरह जान बचा पायी। पानी श्रावस्ती की तरफ से आया था, जो 36 घंटे के बाद बलरामपुर पहुंचा। हमने बलरामपुर के जिला प्रशासन को भी आगाह किया कि जिस तेजी के साथ श्रावस्ती की तरफ से पानी आ रहा है, कल तक बलरामपुर की सीमा में पहुंचेगा। आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिए। वहां के कमिश्नर से भी हमारी बात हुयी। उन्होंने भी हमें अवगत कराया कि बलरामपुर के जिला प्रशासन को आगाह कर दिया गया है, एलर्ट कर दिया गया है और वे लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसके बावजूद भी बलरामपुर के जिला प्रशासन ने कोई तैयारी नहीं की। इतनी कवायद करने के बाद भी लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। खास तौर से जिला अधिकारी, बलरामपुर का खैया बाढ़ पीड़ितों के प्रति बहुत ही संवेदनहीन, उदासीन, लापरवाही भरा या यूं कहें कि आपत्तिजनक रहा। बाढ़ की सबसे बड़ी विभीषिका हमारे संसदीय क्षेत्र जनपद श्रावस्ती और बलरामपुर को झेलनी पड़ी। 16 अगस्त को पी.एम.ओ. कार्यालय ने स्वतः संज्ञान लिया। 16 तारीख की शाम को पी.एम.ओ. में मीटिंग हुयी। अधिकारियों को खास तौर से बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती की बाढ़ को लेकर निर्देशित किया गया। वहां एनडीआरएफ की टीम भी भेजी गयी। उन्होंने कहा कि अगर सेना की आवश्यकता हो तो सेना भी मुहैया करायी जाए। हमारे गृहमंत्री जी ने स्वयं प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करके गोरखपुर में हम सब लोगों के साथ बैठक करके बाढ़ की स्थिति का आंकलन किया और अधिकारियों को निर्देशित भी किया। वहां हजारों एकड़ फसल बर्बाद होकर बाढ़ की विभीषिका में बह गयी। हजारों की संख्या में घर जमीदोज़ हो गए, लोग बेघर हो गए। आज भी सड़क के किनारे तमाम परिवार आज भी रहने को विवश हैं।

महोदय, हमारा सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र रहा है। हम आपका संरक्षण चाहते हैं। बलरामपुर के जिलाधिकारी द्वारा बचाव एवं राहत कार्य में भारी भेदभाव किया गया, राहत सामग्री के वितरण में भेदभाव और धांधली की गयी। सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं के भरोसे राहत वितरण का कार्य छोड़ दिया गया, तो भेदभाव स्वाभाविक था।

मान्यवर, इतना ही नहीं, बलरामपुर में राहत वितरण में घोटाला भी किया गया। अवैध खनन और वनों के कटान को सीधे संरक्षण देकर सुनियोजित ढंग से गैर-कानूनी कमाई को धन्धा बना चुके जिलाधिकारी बलरामपुर ने इस बाढ़ की विभीषिका को भी अपार्युनिटी के रूप में इस्तेमाल किया, बाढ़ राहत वितरण में भारी घोटाला किया गया। ... (व्यवधान)

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण (नांदेड़) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, देश में जो हालात इस वक्त हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपसे एक दस-पन्द्रह मिनट थोड़ा ज्यादा चाहूंगा। महाराष्ट्र की हालत ऐसी है, देश में जो हालात हैं, एक तरफ बाढ़ से पीड़ित पूरा देश है, तो दूसरी ओर महाराष्ट्र में अकाल है, स्केयर्सिटी है। मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे प्रधानमंत्री जी को यह बात जरूर बताएं कि इसे राष्ट्रीय आपत्ति घोषित करने की आवश्यकता है, महाराष्ट्र में सूखे की वजह से जो हालात आज निर्माण हुए हैं।

महोदय, आज अगर पानी की वहाँ पर हालत देखी जाए, तो महाराष्ट्र में बारिश बिल्कुल नहीं हुई है। आज अगर पूरे महाराष्ट्र का जायजा लिया जाए तो पूरे प्रकल्प, जो महाराष्ट्र में रिजर्व वायर्स हैं, डैम्स हैं, मराठवाड़ा में लगभग सिर्फ 31 परसेन्ट पानी उपलब्ध है, विदर्भ में सिर्फ 50 प्रतिशत पानी उपलब्ध है और अमरावती रीजन में 67 परसेन्ट पानी उपलब्ध है। अगर इसे देखा जाये, तो अगले आठ महीने में पानी बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं हो सकता है, इतनी वहाँ पर हालत खराब है। अगर हम लोग दूसरे तरीके से इसका मुकाबला नहीं करेंगे कि जो पानी उपलब्ध है, उस स्थिति में महाराष्ट्र में मुश्किल हालत बन गई है, इसे मैं आपको बताना चाहूंगा।

महोदय, आज किसान आत्महत्या करने लगे हैं। अगर आँकड़े देखे जाएं तो लगभग 422 लोगों ने महाराष्ट्र में आत्महत्या की है। सबसे ज्यादा फिगर 422 लोगों की है, जिन्होंने वहाँ पर आत्महत्या की है। कई लोगों ने तो अपने आपको जलाने का प्रयास भी किया है। आप देखेंगे कि उस्मानाबाद जिले में लोहारा नाम का गाँव है, वहाँ पर एक 56 वर्ष की आयु के व्यक्ति ने अपने आपको जलाने की कोशिश की। वह 90 टका जल गया है। दूसरा, बीड जिले के एक गाँव में 40 वर्ष आयु के एक व्यक्ति ने अपने आपको जलाने का प्रयास किया और वह भी 45 टका जल गया। इसका यही कारण है कि लोग लिया हुआ कर्ज वापस नहीं कर सकते हैं, आज यह उनकी हालत है। इस हालत में आपने देखा कि किसानों के खेतों में वहाँ पर जो उन्होंने बीज बोया है, उसके ऊपर कोई धान नहीं निकला है, सोयाबीन नहीं है, कपास नहीं है, गन्ने का भी वहाँ पर एवरेज उत्पादन कम हो गया है। ऐसी हालत में बैंक से लिया गया कर्ज किसान वापस नहीं कर सकता है। यह उनकी वस्तुस्थिति है। केन्द्र शासन से मेरी गुजारिश है कि बैंक्स से लिए गए ऋण को पूरी तरह से माफ किया जाए। जो आदमी आत्म हत्या करते हैं, उनको एक लाख रुपए दिए जाते हैं। 400 लोगों ने आत्म हत्या की है। क्या हम हजार-दो हजार लोगों के आत्म हत्या करने की राह देख रहे हैं। उससे बेहतर यह रहेगा कि आत्म हत्या रोकी जाए। उसे रोकने के लिए उनका पूरा कर्जा माफ किया जाए, यह मेरी व्यक्तिगत तौर पर मांग शासन से है।



दूसरा मामला इलेक्ट्रिसिटी के बिल का है। शासन ने परसों एनाउन्समेंट की हैं कि सिर्फ 33 प्रतिशत बिल को माफ किया जाएगा। जब किसान के पास पैसा ही नहीं है तो वे लाइट बिल भी कैसे भर सकते हैं? मैं पुरानी बात नहीं कह रहा हूँ, इस साल के लिए उनके द्वारा जो बैंक ऋण लिए गए हैं और लाइट बिल हैं, ये दोनों को ही माफ करने की आवश्यकता है।

आज मनरेगा के तहत काम करना जरूरी है। वह पूरे महाराष्ट्र में करने की आवश्यकता है। उसकी मांग बड़े पैमाने पर है, लेकिन ऑफिसर्स वह मंजूर करने के लिए अनुकूल नहीं हैं, वे इसलिए नहीं हैं कि धारा 156(3) के तहत उनके ऊपर गलत केसेज किए जाते हैं, जिनकी वजह से आज ऑफिसर्स नई मनरेगा में वर्क सेंशन करने लिए भी काम नहीं कर रहे हैं। ... (व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: This subject will be taken tomorrow.

... (Interruptions)

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण : मेरी गुजारिश होम मिनिस्ट्री, गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया से है कि 156(3) के अन्तर्गत जो भी कलम चलाए जाते हैं तो 156(3) को अमेंड किया जाए ताकि उसके डर से लोगों में जो दिक्कतें आ रही हैं, वे समाप्त हो जाएं।

जहां शुगर फैक्ट्रियां चल रही है, वहां पर गन्ना जा रहा है। आज बैंक्स गन्ना के लिए केवल 1500 रुपए दे रही हैं। केन्द्र शासन ने एफ.आर.पी. 2500 रुपए की घोषणा की है। आज कोई भी कारखाना 2500 रुपए नहीं दे सकता है। उसमें 1000 रुपए का जो गैप है, वह भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से देना बहुत जरूरी है। ... (व्यवधान)

आप ड्रिप इरिगेशन की सब्सिडी की फैसिलिटी 90 प्रतिशत बढ़ाइए। यह मेरी आपसे गुजारिश है। महाराष्ट्र में इस ड्राउट के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेन्ट को ज्यादा से ज्यादा राशि दी जाए, यह मेरी गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया से मांग है।

श्रीमती कृष्णा राज (शाहजहाँपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 193 के तहत प्राकृतिक आपदा पर बोलने के लिए अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ।

महोदय, हम सभी महसूस कर रहे हैं कि धरती के हर कोने से चीख-पुकारें आ रही हैं। यह कोई नई आपदा नहीं है। वर्षों से ये आपदायें आती रही हैं। पहले आपदायें 20-25 वर्षों में आती थीं लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हर दूसरे वर्ष या तीसरे वर्ष, ये आपदायें देश में आ रही हैं, जिनसे भारत का कोना-कोना दैवीय आपदा का शिकार हो रहा है। जम्मू-कश्मीर, केदारनाथ और बदरीनाथ ऐसे कई जगहों पर हमारे देश में आपदायें आई हैं। इनके कारण देश में जान और माल का नुकसान होता है। बाढ़ के कारण अकूत संपदा पृथ्वी में समाहित हो जाती है। आपदा विकास के मार्ग में बहुत बड़ी बाधक है। हमें विकास का चिंतन करने से पहले, बाढ़ और प्राकृतिक आपदायों का प्रबंधन करना चाहिए। हमें वह आज भी करनी चाहिए, यही हमारी चिंतन होनी चाहिए। हमने बहुत बड़े-बड़े पुल को बहते हुए देखा, बहुत बड़ी-बड़ी सड़कों को बहते देखा, बड़े-बड़े विद्युत उपकरण, विद्युत सबस्टेशन और विद्युत जनरेट करने वाले केन्द्र को बहते हुए देखा है। इसलिए प्रत्येक वर्ष किसी न किसी कोने से दैविक आपदा भारत के विकास को अवरुद्ध करती है। हम सब लोग महसूस कर रहे हैं कि 135 वर्ष के बाद वर्ष 2000 के बाद के वर्ष सबसे ज्यादा गर्म रहे हैं जिसके कारण अंटार्कटिका से ग्लेशियर पिघलते हुए आए और समुद्र का जल स्तर ऊंचा हो गया। समुद्री तट ने जल में समाधि ले ली और हम सब देखते रहे। हम सब सर्वप्रथम इस बारे में चिन्ता करें। हमने पिछली बार भी सदन में यह विषय उठाया था। हुदहुद का चक्रवात आया जिसने ओडिशा, आंध्र प्रदेश को हिलाकर रख दिया लेकिन बिहार, समूचा पूर्वी उत्तर प्रदेश भी इस प्रकोप से बच नहीं पाया।

हम उत्तर प्रदेश से आते हैं। वहां हमने खड़ी फसलों को जमीन पर लगते हुए देखा। इसलिए हम भारत सरकार से कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश,...(व्यवधान) यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारे संसदीय क्षेत्र में हुदहुद जैसी दिल दहलाने वाली प्राकृतिक आपदाएं प्रत्येक वर्ष आती हैं। मेरा संसदीय क्षेत्र 5-6 नदियों से घिरा हुआ है। हर बार लाखों एकड़ जमीन राम गंगा और खन्नौज जैसी नदियों में समाहित हो जाती है। हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। हमने बहुत सारी सरकारी इमारतों को जल में बहते हुए देखा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करती हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने जिस तरह जम्मू कश्मीर में दरियादिली दिखाते हुए मानवता को संवेदनशील होते हुए देखा, पूरी मदद की और वहां के लोगों को राहत दी, हमारा शाहजहाँपुर जनपद, जो प्रत्येक वर्ष आपदा का शिकार होता है,...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: The Minister will reply.

... (Interruptions)

श्रीमती कृष्णा राज : कल माननीय कृषि मंत्री जी सूखे के बारे में कह रहे थे। सूखे का विषय हमारा है और बाकी माननीय गृह मंत्री जी का है। मैंने देखा कि हमारे यहां एक तरफ सूखा हुआ लेकिन दूसरी तरफ किसानों ने मेहनत करके अपनी उपज पैदा की।... (व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please take your seat. The Minister will reply.

... (*Interruptions*)

श्रीमती कृष्णा राज : आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं।... (व्यवधान) सूखे और बाढ़ में हमारे क्षेत्र के लोगों को राहत नहीं मिली।... (व्यवधान) यह बहुत महत्वपूर्ण है।... (व्यवधान) हमारे प्रदेश के लोगों ने कठिन परिश्रम करके डीजल और पेट्रोल से ट्यूबवैल चलाकर सिंचाई की।... (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Mr. Deputy Speaker, Sir, first of all, I would like to extend my thanks to all the hon. Members. In total, 46 hon. Members have participated in this important discussion which was initiated by the hon. Member Kalikesh Singh Deo Ji. I must admit that in the course of discussion, the Ministry has also got to learn so many issues being brought out by various Members due to their experiences in different fields and in their respective areas of work. We have taken note of all the suggestions and issues which were brought up. At the same time, I would like to inform the hon. Members that the issues related to the drought would be referred to the Ministry of Agriculture and the Minister also intervened during the course of the debate. I would be in a very quick manner deal with the total issues related to floods. I may not be able to respond to the issues raised by each hon. Member but I will try to summarise the entire issues and categorize them and try to respond effectively as much possible as I can.

Deputy Speaker Sir, since the day we assumed office under the active guidance of the hon. Prime Minister Narendra Modi Ji..... .. (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Let him complete the reply. Afterwards, you raise your concerns.

... (*Interruptions*)

SHRI KIREN RIJIJU: As I said, the issues related to the Agriculture Ministry will be referred to it. The Agriculture Minister has also intervened. Hon. Members have also made certain important points. Definitely, we will refer those points to the Ministry concerned. That is an assurance that I am giving.

As I was mentioning, under the able guidance of our hon. Prime Minister and the active guidance of my senior Minister Shri Rajnath Singh ji, the Ministry has taken adequate steps to ensure that there are no lapses with regard to natural calamities and disaster in this country. I may inform the House that my first foreign trip was on this subject. The hon. Home Minister directed me to participate in the Asian Disaster Risk Reduction Conference, and my second conference also

is related to the disaster only in Washington DC. We are giving utmost importance to this particular subject because we know that there is no place for laxity when we are dealing with the disaster situation in this country.

As we all know, India is very prone to natural disasters from time to time. Even as recent as in October, we were hit by this disaster in Jammu and Kashmir, by Hudhud in the States of Andhra Pradesh and Odisha, then the floods in Assam, Arunachal and Meghalaya. I must inform the House that we have tried to respond to the situation as quick as possible in our hand. Let me inform the House that the issue was brought out for the three prominent States which were hit by this natural disaster in the States of Jammu and Kashmir, Odisha and the State of Andhra Pradesh. Besides that, three more States were hit badly by the floods, that is, the States of Assam, Arunachal Pradesh and Meghalaya. Besides these six States, we have received reports of damages due to natural disasters in 19 States. Out of that, we have received 12 memoranda from 11 States. Kerala has sent two times.


Otherwise, we have report of 19 States. ... (*Interruptions*)

SHRI R. DHYUVANARAYANA (CHAMARAJANAGAR): Karnataka has also sent it.

SHRI KIREN RIJIJU: Yes, that is what I am saying. Karnataka has sent one report. We have received the report. Now the process is that when we receive the memorandum from the State, we send the Inter-Ministerial Central Team. That Team along with the officials of the State Government assesses the flood situation or the drought situation in the prevailing condition. This is decided and placed before the National Executive Committee. There is a Sub-Committee headed by the Home Secretary. The Home Secretary then places the matter before the High Level Committee headed by the Home Minister. It decides the basic components of the assistance which is necessary to be provided. That is the laid down system.

Now let me respond to a few of the important points which were raised by the hon. Members. First of all, it has been said that the NDMA is without any Head. I must tell the hon. House that it is not the case. The National Disaster

Management Authority (NDMA) is headed by the hon. Prime Minister himself. What we have done is that we are trying to make this particular body much more strong and much more effective. Some of the hon. Members have pointed out that this should not become a parking lot for the retired politicians or for political adjustments. Definitely, we are going on the right lines. Certainly, there is a stipulation that it should not exceed more than nine Members in the Committee. We are reducing the total number of Members in the National Disaster Management Authority. But the fact is that the Prime Minister is the Chairman of the Authority. There is a provision for the Vice Chairman. There is a Secretary, which is an *ex-officio* position. There is one Member and four Joint Secretaries. So, the NDMA is effectively functioning. You must have seen this in the last three, four months. The body is fully functional. There is nothing wanting from the NDMA in the last three, four months. If any unfortunate disaster has struck this country, the response has been the quickest ever possible. This is well within the knowledge of all the hon. Members. Let me refer to flood situation in Kashmir. The issue raised by my friend Kalikeshji and some other hon. Members was that we have not done enough with regard to Kashmir floods. Let me inform the House what we have done.

When the disaster struck the Kashmir Valley, Jammu region and some other areas of the State, the Prime Minister immediately made an announcement of Rs.1,000 crore and that money was  been released as special project assistance. Beside that, Rs.94.33 crore as Central share of State Disaster Response Fund has already been released in advance. And then, Prime Minister also announced an immediate relief of Rs.570 crore for rebuilding of damaged houses, Rs.175 crore for upgrading the affected hospitals, and Rs.20 crore for replacement of lost books to all the 10 lakh children in primary and upper secondary schools, from the Prime Minister's National Relief Fund. Over and above that, from the National Disaster Relief Fund *ex-gratia* amount of Rs.2 lakh each to the next of kin of the deceased

and Rs.50,000 each to the grievously injured persons was already announced from Prime Minister's National Relief Fund.

So far we have received lists of 9,270 beneficiaries who have suffered complete damage to their houses. We are awaiting the details of other beneficiaries from the State Government. The Central Ministerial team has already visited the State of Jammu and Kashmir and we are seeking some more clarifications from the State Government. Once that is done, it will be placed before the appropriate Committee as envisaged in the system in the Government. Some hon. Members stated that the total special package asked by the State of Jammu and Kashmir is Rs.1 lakh crore. It is not the case. The State Government has proposed a total fund of Rs.42,033.45 crore. As I said, this matter will be placed before the Committee when all the reports are ready.

Let me inform the House again that it is not the effort of just the State Government or the Central Government, it is the combined effort. More than 30,000 personnel of Army, Air Force, Navy, National Disaster Response Force, along with all the Central Reserve Forces which are under the Home Ministry were pressed into action. Never before such a relief operation was conducted in the history of India. This is by far the biggest such operation ever conducted.

Let me inform the House again that the immediate response has been very successful. The people of Jammu and Kashmir have also appreciated it. We need not make political issues out of the whole tragedy as some hon. Members unfortunately tried to do. The Chief Minister of Jammu and Kashmir also appreciated the effort and written an official letter to the Home Minister. He appreciated all the attempts being made by the Central Government. These are all on record.

Beside that, I must admit to the issues raised especially by Mahtabji and Kalikesh Singh about the issues related to Odisha. They mentioned about cyclone Phailin which struck last year. There are some issues definitely as per the commitment made by the then hon. Prime Minister Dr. Manmohan Singh. The

things were not as per the expectations of the State Government of Odisha. It is after all a continuity of the Government. We are not running away from the issue. But I have to inform the hon. Members from Odisha, some other hon. Members also raised the same issue, that a total amount of Rs.934 crore was released. That is a consolidated amount. ... (*Interruptions*) There is a calculation. I do not want to go into the technical aspects of the whole issue.

Let me inform the hon. Members that the issue was placed before the high-level Committee. The high-level Committee at that time was chaired by the then Agriculture Minister Sharad Pawarji. As per the approval made by the high-level Committee the amounts were released. We should not be blamed for whatever decision was taken by the then Government. But still as I said, we are not running away from the whole issue. Recently, in response to the letter written by the hon. Chief Minister, I have given point-to-point reply.

We have said that we cannot do away with the system which was already in place. Despite that, I have written to hon. Chief Minister that if hon. Chief Minister feels that the support given by the Central Government was not enough then in the future grant, which is available in the State Disaster Relief Fund you can adjust some of the amount. The issue will be placed before a high level committee. We are a new Government. That is why I do not want to delve on the issue which was there with the previous Government but we are sympathetic to the case made by the Government of Odisha. In fact, I have complimented the hon. Members for the kind of relief activities which were carried out by the State Government, and it is a success story for all of us. When we go outside also, cyclone Phailin has been a success story for India and we have showcased this thing before international arena. That is a combined effort made by the State Government and the Central Government.

At the same time, let me refer to the current cyclone which is known as Hudhud. This unfortunate cyclone Hudhud struck the Visakhapatnam district of Andhra Pradesh on 10th of October. Before that, we had taken all precautionary

measures available at our command. That is why you must appreciate that the damage has been minimum because of the precaution taken by the agencies from the Central Government and the State Government. When gushing winds with speed ranging 170 to 195 kilometres per hour strike, it is normally a big disaster. But because of the response, we could mitigate the total damage caused by the cyclone Hudhud. Immediately, the hon. Prime Minister went to both the States. He did aerial survey as well he visited Visakhapatnam. When hon. Prime Minister went there, an amount of Rs 1,000 crore was announced. An amount of Rs 400 crore was released from National Disaster Response Fund to the State of Andhra Pradesh. In addition, an amount of Rs 115.43 crore to Andhra Pradesh and Rs 170.50 crore to the State of Odisha as the Central share of the State Disaster Response Fund. Hon. Members will appreciate that these funds are not State Fund or Central Fund. It is a combined fund. Sir, 75 per cent of the fund is provided by the Central Government and 25 per cent by the State Government. This is automatically placed before the State Government so that in the event of any disaster, the State Government can immediately utilize the amount. The Central Government is always there to come to the rescue of the State Government. We are working as a team. There is no discrimination about whole dealing of the subject. It is a tragedy and we have to work together.

When the cyclone Hudhud struck, our hon. Minister for Urban Development Shri M. Venkaiah Naidu also visited there. A team from Ministry of Commerce and Industry and a team from Coffee Board of India also visited there to assess the damage caused to the crops also. So, it is not just one agency. The whole Central Government, whoever is relevant to the effect, were all geared up and everybody reached the spot and took assessment of the whole situation. My friend from Assam and other Members also made certain partisan remarks that the Government was partisan towards North Eastern States. That is not the case. Immediately, I went to the States of Assam, Meghalaya and Arunachal Pradesh. I actively participated in the whole process including the aerial survey and

discussion with the State Government officials. Then, immediately the Home Minister also went; he had a detailed discussion with the State Governments of Assam and Meghalaya. We have told the State Government that we would be sending the Central Team immediately. We cannot just like that, send the Central Team. It has to be under the consideration of the State officials. We have to make it appropriately. Some hon. Members were saying that the team should be sent quickly and immediately. When a natural disaster strikes, the most immediate job is rescue. When we finished with the efforts of rescuing, then the next step is relief. We provide relief to the victims. Then comes the third stage of rehabilitation, reconstruction and the long-term planning process of rebuilding. We have the concept of 'build back better' – if any disaster struck any part of the country, we want to bring back the lives of those affected into normalcy, as it was before the disaster. That is why, immediate visit of the Central Team was not the idea. The idea is to provide immediate relief to the victims, to the needy people. But this suggestion is well taken.

I would like to tell you that some State Government even take time to send memorandum. The system is that we could send the Central Team only after receiving the memorandum from the State Government. So, I would like to ask all the State Governments, through all the hon. Members, to urge the State Governments to send the memorandum as quickly as possible so that the Central Government can act. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Let him reply. He is giving general information.

SHRI KIREN RIJJU: I am informing the House about the system. In most of the States, we have already received the report and the inter-ministerial Central Team has already visited, and it has come back with the report. Now, it will be placed before the Executive Committee; then, it will be placed before the High Level Committee.

Some hon. Members were talking about the abolition of National Executive Body and the hon. Member from the Congress Party was mentioning that we do

not have a coordinated effort in dealing with the whole situation. In fact, we are dealing in a very closely coordinated manner. The National Crisis Management Committee, which is headed by the Cabinet Secretary, is constantly informed of all the situations and all the disasters happening in the nation. At the same time, our Home Minister is constantly calling the meetings of all the committees related to disasters, that we have in place. There is no lapse on our part, whatsoever.

The hon. Member from Bihar and Western UP have mentioned about the floods coming from Nepal. I have informed the House during the last Session also that we have understanding with the Governments of Nepal, China and Bhutan. We have all the data available, if there is any likelihood of any kind of flood from the neighbouring countries.

For example, this time, how could we avert the possible disaster of Kosi? It is only because there was controlled blasting of that particular place, where huge water reservoir was there; there was an imminent danger of a great disaster. But due to our constant effort and touch with the Government of Nepal, our expert team went there and there was a controlled blast of that particular big reservoir which was damaged because of landslide and water could be released in a controlled manner; and the disaster was thus averted.

These are certain things that we have carefully taken into account and took action. From Brahmaputra, which is known as Sampo River in Tibet part of the Chinese territory, we have been receiving information. Unlike the 2001-flood, which my colleague from Arunachal Pradesh knows, when there was a huge disaster in the State of Arunachal Pradesh, now we could at least keep in touch, live with the Chinese authorities so that any impending danger is immediately informed and necessary actions are taken.

Likewise, some hon. Members suggested that the inclusion of some new subjects like lightning, erosion, etc. in the list of disaster. I can inform the House that the Government has already recommended about erosion. It is a big issue, whether it is a river-bank erosion or erosion due to the sea-waves. This is an issue

which is going on. The 13th Finance Commission did not accept this recommendation. We have again recommended that the subject of erosion, lightning, bamboo flowering and some other issues should be included as an item in the disaster list.

18.00 hrs.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, it is 6.00 o'clock. The time of the House has to be extended.

HON. DEPUTY SPEAKER: I know that. I am watching the time. There is one minute left. Shri Saugata Roy, do not worry. I am managing it.

It is now 6.00 o'clock. I take the sense of the House to extend the time of the House till the reply of the Minister is over.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, subject to seeking certain clarifications.

HON. DEPUTY SPEAKER: I said till the Minister's reply is over which means after clarifications the Minister may again reply.

So, the time of the House is extended till the Minister's reply is over.

श्री किरन रिजीजू : महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने काफी इश्यूज़ उठाए हैं और एक-एक करके सभी का जवाब देना सम्भव नहीं है। इसलिए जितने भी मुद्दे और समस्याएं आयी हैं, उनको हमने नोट किया है। मैं और मेरे सीनियर क्लीग श्री राजनाथ सिंह जितने भी सुझाव आए हैं, उनको बारीकी से देखेंगे।... (व्यवधान) मैंने ड्राउट के बारे में पहले ही कह दिया है।... (व्यवधान)

SHRI RAJEEV SATAV (HINGOLI): You have not said a single line about the drought in Maharashtra. You should say something about it.

HON. DEPUTY SPEAKER: He has not completed. Let him complete first.

श्री किरन रिजीजू : महोदय, मैंने शुरू में कहा कि सूखे के ऊपर एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इस चर्चा के दौरान इंटरवेंशन किया है। इसके अलावा मैंने भी कहा है कि सूखे से संबंधित जो भी सब्जेक्ट हैं, वह हम एग्रीकल्चर मिनिस्टर को भेज देंगे और हम उनके संज्ञान में पहुंचाएंगे।... (व्यवधान)

श्री राजीव सातव : उनका स्टेटमेंट कब होगा?

SHRI KIREN RIJJU: He has already made a Statement.

SHRI RAJEEV SATAV : There is not a single line spoken by the Minister of Agriculture.

HON. DEPUTY SPEAKER: He has not completed. Let him finish.

SHRI KIREN RIJJU: Sir, the hon. Member knows the system. When any discussion takes place, if it relates to two different Ministries then one of the Ministers intervenes while the discussion is going on. A major part of the discussion is related to the Home Ministry and that is why I am responding.

With regard to drought a specific reference was made to the State of Maharashtra. I have already stated in the beginning that all the issues related to the State of Maharashtra and other districts of India which faced drought will be brought to the notice of the Agriculture Ministry. I have already said that in the beginning.

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैकैय्या नायडू) : आप लोग उस समय हाउस में नहीं थे। यह विषय गृह मंत्रालय के अधीन है। सूखे का विषय कृषि मंत्रालय देखता है। संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते मैंने कृषि मंत्री जी को सदन में बैठने के लिए रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने प्वाइंट नोट किए थे। महाराष्ट्र और अन्य स्टेट, जो सूखे से संबंधित हैं या जो विषय कृषि मंत्रालय में आते हैं, उस पर उन्होंने आधा घण्टे से ज्यादा चर्चा की थी। उस समय आप लोग नहीं थे। अभी जो प्वाइंट आएंगे, उस को हम नोट करके मंत्री जी को बता देंगे।

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): It has been specifically mentioned 'Discussion under Rule 193 on the natural calamities in various parts of the country with special reference to rains and floods in Jammu and Kashmir, cyclone Hudhud in Andhra Pradesh and Odisha and drought in Maharashtra raised by Shri Kalikesh Narayan Singh Deo'. This means that drought in Maharashtra is already included. Where is the reply on drought? Chavan Ji and other Members have spoken today only. So, we should get the reply also.

(b4/1805/gg-rc)

चर्चा के पहले रिप्लाय नहीं देते हैं। चर्चा के साथ रिप्लाय देते हैं Sir, you know that. It is the practice in this House. In one discussion, there may be 3-4 subjects like cooperative, sugar factory or drought. So everything may come but the respective Minister should reply. In the present case, finally the Home Minister will reply. You cannot pass it aside and say that he has already clarified the issue. A number of Members have spoken and for them, there is no reply at all. This is not fair. Even Rule 193 says that the Minister will reply shortly to all. They never said that they should not be replied.

श्री राजीव सातव : सर, दो करोड़ लोगों का सवाल है। दो करोड़ लोग सूखे से प्रभावित हैं। ... (ब्यवधान)

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): Sir, I have a small request. An elaborate discussion has already taken place in the House. The hon. Minister has replied and he has himself accepted that 22 districts have been affected and 422 people have committed suicide in Maharashtra. Therefore, we are asking for a simple answer as to whether any relief is being granted by the Government or not. That much we need to know. Whether it is the Minister of Agriculture or some other Minister, the Government is one.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: The issues are relief, rehabilitation and support to the States. I would like to humbly submit to the House and also to Khargeji that the Minister has a responsibility to respond to the debate. Similarly, the Member has the responsibility to be present in the House when the debate takes place... (Interruptions). You want to go out and you want a reply also. You want to have both. How can you have both?... (Interruptions). What can we do? You cannot eat the cake and have it again. Please try to understand that. When the Minister of Agriculture elaborately mentioned about drought in Maharashtra, the interested Members were not present. They have come today. They wanted to say something and they have said it. Now if there is something else which is to be responded, definitely the Home Minister will respond to that. इसमें परेशानी क्या है, हमें

समझ नहीं आ रहा है? Do not accuse the Government. You gave the notice but you were absent from the House... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Let the Minister complete his reply.

SHRI KIREN RIJJU: Sir, I will conclude by saying that there is no discrimination against any State and Maharashtra was very much part of the reply or intervention made by the Minister of Agriculture. Let me inform this to the hon. Members from Maharashtra.

Finally, long term policies are in place. We have institutional mechanisms in place like National Disaster Management Authority at the Centre, State Disaster Management Authority at the State and at the district level also, we have District Disaster Management Authority headed by the Collector or the District Magistrate. Besides that, our effort is to have a proper policy at the Centre and to create resilience at the community level and at the grassroots level so that proper awareness is imparted to citizens of this country so that not only the Government but also individuals are empowered to deal or to face any natural disaster which, unfortunately, may strike our nation, quite often. We want to empower the citizens of this country so that they can deal and face these crises. From the Government side, we assure the hon. House that there would be nothing left wanting. We will be there forever whenever a disaster strikes this great nation.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Sir, my question is in respect of sea erosion, river erosion as well as lightening. It is a long pending demand by almost all the hon. Members of this House that these things should be included in the disaster management plan and distress relief fund also. Unfortunately, the hon. Minister also while responding to the question said that the 13th Finance Commission is not allowing to include all these things in the disaster management fund.

I would like to know from the Minister whether the Parliament is not supreme to make an enactment so as to include all these things within the distress management fund.

SHRI KALIKESH N. SINGH DEO (BOLANGIR): Sir, I am surprised to hear a very eloquent response from the hon. Minister that he has expressed his satisfaction with the functioning of the NDMA. He says it is not headless, the hon. Prime Minister is there, though the Vice-Chairman is missing. The NEC does not exist but the NCRMA, I think, under the Cabinet Secretary is there. If that is the reason, then the hon. Prime Minister should be replying to the debate and not the hon. Minister of Home Affairs. However, NDMA is supposed to have a long-term response on mitigation. It is not for immediate relief. Can the hon. Minister tell me in the last eight years, in 2005 the Act was passed and in 2006 NDMA was formed, how many long-term mitigation policies have been undertaken by the NDMA wherein the flood-prone areas have vents, causeways and bridges been built, wherein earthquake areas where earthquake resistant buildings have been put? This is the job of the NDMA. The response is by NEC and by the NDRF.

PROF. SAUGATA ROY : I have a small point to make about the statement of the Minister of Parliamentary Affairs. It is true that most of us in the Opposition were absent on Thursday and Friday when the debate on the matter started. At that time, the Minister of Agriculture may have made a statement, or made a speech for half an hour. Today morning after a meeting with the hon. Speaker all of us in the Opposition assured her that we will attend the House and co-operate in the running of the House. Today some Members, very respectable Members including a former Chief Minister made points about the drought in Maharashtra. The Minister of Parliamentary Affairs tried to score a point with us saying as to why we were not there when the Minister of Agriculture made his speech. I may humbly say that the Opposition will not be guided by the Minister of Parliamentary Affairs in this... (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: The hon. Member made a point saying that the Minister was absent. That is why I said that you cannot eat the cake and have it again... (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY : Sir, this discussion has been quite wide ranging on the Hudhud in Andhra Pradesh and Odisha, on the floods in Jammu and Kashmir and on the drought in Maharashtra. On the last day the hon. Minister of Agriculture cannot be so busy that he cannot be present to listen to the rest of the speeches made by the Members. His duty does not start and end with making a speech and getting away. What I would like to request you is that at this stage instead of concluding this discussion, you may kindly continue this and let the hon. Minister of Agriculture come and respond to the points made by the Members of the Opposition on the very serious drought situation in Maharashtra. It is happening for the second successive year... *(Interruptions)*

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I have no problem if the hon. Members want to discuss it. If they want to listen to the Minister of Agriculture tomorrow, I have no problem with that. The only thing is that they should be there tomorrow... *(Interruptions)*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Tomorrow he is going to answer... *(Interruptions)*

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, I would like to submit that the norms prescribed for the losses and compensation, especially for the agricultural produce and cash crops were decided years back. It was very insufficient and also meagre. I would like to know whether the Government would like to revise and revisit the norms for the compensation of the agricultural produce as well as the cash crops since it is very meagre.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: It will be conveyed to the hon. Minister and we will discuss it when he comes. If you want you can have the discussion tomorrow.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : He can give a short reply.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I have no problem with that at all. That is what I am saying.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Thank you.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, if the House agrees, then tomorrow the hon. Minister will come and reply. He will give the final reply. That is all.



18.15 hrs.

SUBMISSIONS BY MEMBERS...Contd.

(ii)Re : Inhuman treatment towards the martyrs of Chhatisgarh Naxal Attack

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, today morning, we raised the issue of inhuman attitude towards CRPF jawans of Chhattisgarh. At that time, we sought a statement from the hon. Home Minister. The hon. Home Minister is present here. I would like to seek a statement from the hon. Home Minister, through you, in this regard.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): My only concern is about the manner in which the House is being conducted today. Already, the hon. Minister has replied to the three issues that are there. Relating to agriculture, I have no issues with Maharashtra. I want to know whether we will conclude that the Minister has replied to the questions that our Member has posed or should we expect a reply from him tomorrow. Will he reply to the questions that have been put relating to cyclone, the questions that have been put relating to floods in the North-East and Kashmir?

HON. DEPUTY SPEAKER: Do you want to know, apart from agriculture, whether this Minister will also give a final reply to what you have raised?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Yes.

HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Minister, do you wish to respond to what they have raised? If you want to reply now, you can do so and tomorrow, the Minister for Agriculture may respond.

SHRI KIREN RIJJU: Sir, I want to make only one clarification about NDMA about which Shri Kalikesh Singh Deo, who initiated this discussion, was asking.

The NDMA only formulates policy and NDRF which comes directly under the Ministry of Home Affairs has been appreciated for its work by every State

including the State of Odisha. I think, you should be well aware of the wonderful work done by the members of the NDRF.

Regarding erosion, I have already stated that the 13th Finance Commission did not accept erosion, lightening, bamboo flowering and snake bites. These are issues which are still under the consideration of the 14th Finance Commission. We have already recommended it. I just want to inform this to the House.

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मुद्दा इस सदन के समक्ष उठाया है कि छत्तीसगढ़ में हमारे सीआरपीएफ के जो 14 जवान शहीद हुए थे, जिस समय उनका पोस्टमार्टम हो रहा था, तो पोस्टमार्टम के बाद उनके जो कपड़े शरीर के ऊपर थे, वे डस्टबिन में किसी ने डाल दिये थे।
...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम) : जूते भी।

श्री राजनाथ सिंह : जो भी रहा, डस्टबिन में डाल दिया। ज्यों ही मुझे इसकी जानकारी प्राप्त हुई, मेरा भी सैंटीमेंट हर्ट हुआ और तुरंत मैंने छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर को टेलीफोन करके कहा कि तुरंत इस मामले की जाँच कराई जानी चाहिए। केवल जाँच ही नहीं कराई जानी चाहिए, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए। तुरंत उसके बाद, चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ ने मुझे इनफॉर्म किया कि मैजिस्टीरियल इनक्वायरी के आदेश कर दिए गए हैं और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी।

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 11 a.m. tomorrow.

18.17 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Tuesday, December 9, 2014/Agrahayana 18, 1936 (Saka).*

